Thursday,10 June, 1971

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Govt Library

सत्यमेव जयते

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, गुरुवार 10 जून, 1971/20 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 14, Thursday, June 10, 1971, Jyaistha 20 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
391	पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों का आगमन और उनका पुनर्वास	Influx of Refugees from East Bengal and their reablilitation.	1-7
393	रेडक्रास जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बंगला देश के शरणार्थियों के लिये सहायता	Help from International Agencies like Red Cross for Bangla Desh Refugees	8-10
394	गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Minimum price of Sugar-cane	10-12
395	फसल और ढोर बीमा योजना	Scheme for Crop and Cattle Insurance	12-13
397	आम का उत्पादन	Mango Production	13-14

प्रश्नों के लिखित उत्तर / Written Answer to Questions

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
392	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दूध की कमी दूर करने के लिये कार्यवाही	Steps to solve Shortage of Milk during Fourth Plan	14-15
396	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिक अशांति	Labour Trouble in Durgapur Steel Plant	15-16
398	दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में कम उत्पादन	Underproduction in Durgapur and Rourkela Steel Plant	16
399	राजस्थान में इस्पात संयंत्र के एक छोटे एकक की स्थापना	Setting up of Small Units of Steel Plant in Rajasthan	16-17
400	गैर सरकारी क्षेत्र में स्थित कोयला खनन कम्पनियों को लाभ	Profits of coal Mining Companies in Private Sector	17
401	अनिवार्य श्रम बीमा योजना	Scheme for Compulsory Labour Insurance	17
402	कोयला खान बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस की अदायगी के लिये न्यूनतम उपस्थिति की शर्त का समाप्त करना	Discontinuance of Minimum Attendance Qualification for Payment of Bonus under coal mines bonus scheme	17-18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sing + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
403	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में कर्मचारी यूनियन को अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता	Recognition under code of Discipline to Employees Union in National industrial Development Corporation	18
404	कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के जमा हो जाने के कारण कोयला खानों के समक्ष संकट की स्थिति	Coal Mines facing crisis due to accumulation of coal at Pit-Heads	18-19
405	इस्पात वितरण के बारे में प्रक्रिया	Procedure Re : Distribution of Steel	19
406	मजूरी के साथ उत्पादन क्षमता को जोड़ना	Linking of Wages with Productivity	19-20
407	वनस्पति उद्योग की क्षमता	Capacity of Vanaspati Industry	20-21
408	औद्योगिक सम्बन्धों की मूल और प्रगतिशील नीति	Radical and Progressive Policy of Industrial Relations	21
409	खाद्यान्नों पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों का हटाया जाना	Removal of Zonal Restrictions on movement of Food Grains	21
410	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	21-22
411	त्रिजनी बौना गेहूँ का उत्पादन	Production of Tripple Gene Dwarf Wheat	22
412	अग्निगुन्डाला ताँबा-सीमा परियोजना में अन्वेषी खान	Exploratory Mining at Angnigundala Copper Lead Project	22-23
413	खाद्यान्नों से नियंत्रण हटाना	De-rationg of Foodgrains	23
414	पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के लिये सरकारी गैर सरकारी और विदेशी एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता	Relief Offered by Official, Non Official and Foreign Agencies for East Bengal Refugees	23-24
415	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूस से उपकरणों का आयात	Import of Equipments from Russia for Bokaro Steel Plant	24
416	ब्रिटेन और अमरीका के सप्लाई मिशनों में कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताएं	Personnel Requirements of Supply Missions in U. K. and USA	24-25
417	विश्व बैंक के एक दल द्वारा महाराष्ट्र में भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Survey of Underground Water in Maharashtra by World Bank Team	25
418	कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि	Increase in Wages of Textile Workers	25
419	खाद्यान्न के समाहार में भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही	Negligence of Food Corporation of India in Procurement of Foodgrains	26
420	शरणार्थियों की वित्तीय सहायता के लिये पाकिस्तान से अनुरोध	Request to Pakistan for Financial Relp for Regugees	26

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1763	खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के पास सम्पत्ति का रहन रखा जाना	Mortgaging of Assets to Financial Institutions under the Mineral Concessions Rules, 1960	27
1764	आर० एस० –09 खराब ट्रैक्टरों के प्रयोग से मध्य प्रदेश के किसानों को हुई हानि	Loss to Farmers of Madhya Pradesh due to use of Defective RS—09 Tractors	27
1765	दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग के श्रमिकों के सामने आई समस्याएं	Problems Facing Cane growers and workers of Sugar Industry in South India	27-28
1766	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की वसूली का लक्ष्य	Procurement Target in Foodgrains by Food Corporation of India	28-29
1767	मध्य प्रदेश में इल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना	Setting up of a Aluminimum Plant in Madhya Pradesh	29
1768	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Upward Trend in prices of Necessities of Life	29-30
1769	सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच विवाद	Labour-Management Disputes in Public Undertakings	30
1770	वर्ष 1969–71 में ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors during 1969-71	30-31
1771	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के जमा भण्डारों का निपटारा करने हेतु तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन	Setting up Tobacco Development Board for clearing Stocks of Tobacco in Andhra Pradesh	31-32
1772	ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास	Economic Development of Rural Areas	32
1773	भारतीय फलों की निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिये एक एजेंसी की स्थापना	Setting up of an agency for exploration of Export potential of Indian Fruits	32
1774	ऋण का शीघ्र भुगतान करने हेतु सहकारी समितियों के लिये आदर्श कानून	Model Law for Cooperative Societies to Expedite disbursement of loans	33
1775	उड़ीसा में द्रुत रोजगार कार्यक्रम	Crash Employment Programme in Orissa	33
1776	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme to solve unemployment problem in rural areas of Rajasthan	33-34
1777	त्रिपुरा में कर्मचारी भविष्य निधि के दावे	Employees Provident Fund claims in Tripura	34-35
1778	बंगला देश के शरणार्थियों के लिये सहायता	Assistance for Bangla Desh Refugees	35

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
1779 भूमि जल स्त्रोतों और कृषि में यंत्रों के प्रयोग के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for development of ground Water Resources and Land Farm Mechanisation	35-36
1780 फसल सुरक्षा ऋण प्रणाली	Crop Security loan system	36
1781 बंगाल देश की जनता के लिये चलता फिरता अस्पताल	Mobile Hospitals for Bangla Desh People	36
1782 पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों को स्कूलों तथा कालेजों की इमारतों में शरण दिया जाना	Shelter in schools and colleges buildings to evacuees from East Bengal	36-37
1784 खाद्य तथा कृषि संगठन की प्रोटीन सलाहकार समिति का प्रतिवेदन	Report of Protein Advisory Committee of Food and Agriculture Organisation	37
1785 पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्चायोग द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मंडल की सिफारिशें	Recommendations of Mission sent by United Nations High Commission for Refugees about refugees from East Bengal	37-38
1786 दिल्ली में नलकूप परियोजना की प्रगति	Progress of Tubewell project in Delhi	38-39
1788 न्यू फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी नई दिल्ली के लेखों का परीक्षण	Auditing of Accounts of New Friends Cooperative House Building Society, New Delhi	39-40
1789 औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम	Programme for training apprentices in Industrial Establishments	40
1790 केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा आन्ध्र उर्वरक परिवहन घुटाले की जाँच	CBI Investigation in Andhra Fertilizer Transport Scandal	40
1791 कृषि अर्थव्यस्था के गिरे हुए स्तर में सुधार	Improvement of Agricultural economy from Subsistence level	40-41
1792 कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के प्रभाव का अनुसन्धान	Research in Effectiveness of Insecticides and Pesticides	41
1793 फैरोमैंगानीज के निर्माण के लिये आवेदन पत्र	Applications for Manufacture of Ferromanganese	41-42
1794 उद्यान उद्योग का विकास	Development of Horticulture Industry	42
1795 बिहार द्वारा देहातों में बेरोजगारी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता की माँग	Request for financial help from Bihar for rural unemployment programme	42-43

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1796	देहातों में रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा और केरल को केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Haryana and Kerala under crash programme for rural employment	43
1798	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा रक्षा मंत्रालय को टैंक आरमर प्लेटों की सप्लाई	Supply of Tank Armour Plates by HSL to Ministry of Defence	43-44
1799	नियोजकों द्वारा देय कर्मचारी भविष्य निधि की राशियाँ	Employees Provident Fund dues with Employers	44-45
1800	खोये की बिक्री पर प्रतिबंध से प्रभावित व्यक्तियों के लिये रोजगार	Jobs for persons affected by Ban on sale of Khoya	45
1801	खान कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Mine Workers	45-46
1802	मैसर्स सोमासुन्दरम मिल्स प्रा० लि० कोयम्बटूर में भविष्य निधि अंशदानों का दुर्विनियोग	Misappropriation of Provident Fund Contributions in M/s Somasundara Mills, Private Limited Coimbatore	46
1803	गन्ना मूल्य का समायोजन	Adjustment of Sugar Cane Price	46-47
1804	चीनी उद्योग सम्बन्धी जाँच समिति	Inquiry Committee on Sugar Industry	47
1805	बिहार के बड़ागेमदा और गुआ क्षेत्र में मैंगनीज खानों में मजूरी बोर्ड के पंचाट का लागू किया जाना	Implementation of Wage Board Awards in Manganese Mines of Baragenda and Gua Area of Bihar	47-48
1806	कोयला खानों में जल प्रदाय विषयक समिति की रिपोर्ट	Report by the Committee on Water Supply in Collieries	48
1807	कृषि क्षेत्र में जल प्रबन्ध	Introduction of concept of water Management in Agriculture	48-49
1808	शहरी क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करने के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Employment in Urban Areas	49
1809	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	49
1810	बिलेट-री-रोलिंग समिति का गठन	Formation of Billet Re-Rollers Committee	49-50
1811	मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ढोरों की मुख तथा खुर की बीमारियों के लिये टीकों का उत्पादन करने हेतु संस्थान की स्थापना	Setting up of an Institute for Production of Vaccine for Mouth and Hoof diseases of cattle in Gwalior, Madhya Pradesh	50
1812	दुग्ध सप्लाई योजना हेतु मध्य प्रदेश को अनुदान	Grant to Madhya Pradesh for Milk Supply Scheme	50-51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
1813 छोटे किसानों के लिये विकास योजनाओं हेतु मध्य प्रदेश को अनुदान	Grant to Madhya Pradesh for Small Farmers Development Scheme	51
1814 उत्तर प्रदेश के देहातों में रोजगार की व्यवस्था करने की योजना	Uttar Pradesh Scheme for Rural Employment	51-52
1815 देहातों में रोजगार की व्यवस्था करन के लिये मध्य प्रदेश की योजना	Madhya Pradesh Scheme for Rural employment	52
1816 विकलांग खनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी समिति	Committee on Rehabilitation of disabled Miners	52
1817 खान-कर्मचारियों के कार्य के घंटों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Working Hours for Mine Workers	53
1818 पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में भेजना	Dispersal of Refugees from East Bengal	53
1819 बारानी खेती वाले क्षेत्रों में व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना।	Boosting up of production of Commercial crops in dry farming areas	53-54
1820 नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of Head Office of National Mineral Development Corporation Ltd.	54
1821 सरकारी कृषि फार्मों का कार्यकरण	Working of state owned Agricultural Farms	54-55
1822 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कार्य का अध्ययन	Sudy into working of Durgapur Steel Plant	55-56
1823 सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजनाएं	Schemes for drought affected areas	56-58
1824 तीसरी और चौथी योजना के आरम्भ में बंजर और कृषि के अन्तर्गत भूमि	Barren and under cultivation land at the beginning of Third and Fourth Plans	59
1825 खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता	Self sufficiency in Foodgrains	59
1826 पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी	Employees of Central Potato Research Institute, Patna	59-60
1827 पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की कृषि योग्य भूमि के कार्य परिणाम	Working results of cultivable land of Central Potato Research Institute, Patna	60-61
1828 सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली और किसानों के लिये प्रोत्साहन मूल्यों का निर्धारण	Procurement of Foodgrains by Government and fixation of Incentive price to farmers	61

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
1829 पश्चिम बंगाल में अधिक अन्न उपजाओ. अभियान का प्रभाव	Effect of Grow More Food Compeign in West Bengala	61
1830 गेहूं का उत्पादन नहीं करने वाले राज्यों में गेहूं का उत्पादन	Production of Wheat in non-wheat producing States	61-62
1831 मद्रास में कोयम्बटूर में फल अनुसंधान परियोजना स्थापिता करना	Location of Fruit Research Project at Coimbatore, Madras	62
1832 बागान श्रमिकों के कार्य घंटों में कमी	Reducation in working hours for plantation workers	62
1833 सतपुड़ा विद्युत संयंत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला निक्षेप	Coal Reserves of National Coal Development Corporatration to Satpura Power Plant	63
1834 भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में खरीदी गई गेहूं	Wheat purchased by Food Corporation of India in Haryana	63-64
1835 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in Hindustan Steel Ltd.	64
1836 अलौह धातुओं के संसाधनों का पता लगाया जाना	Location of resources of non-ferrous Metals	64-65
1837 पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति व्यय	Per capita expenditure on East Bengal Refugees	65-66
1838 चौथी योजना में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और सूखे क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम	Programme for small farmers agr cultural labour and dry areas during Fourth Plan	66-67
1839 पिट् सेफ्टी समिति की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal tc set up pit safety committee	67
1840 त्रिजली बौना गेहूं के बीजों की आवश्यकता तथा उनके वितरण का अनुमान	Estimates of equipment and distribution of seeds of Triple-gene Dwarf Wheat	67-68
1841 बिहार में सोयाबीन की खेती	Soyabean cultivation in Bihar	68
1842 अरण्डी, तिलहन अलसी और सरसों की फसलों का विकास	Development of Crops of Castor, Oilseeds, Linseed and Mustard in Bihar	68-69
1843 दिल्ली में कृषि विज्ञान मेला	Delhi Krishi Vigyan Fair	69-70
1844 आर० एस० –09 ट्रेक्टरों का मूल्य और उनका राज्यों में वितरण	Value of RS—09 Tractors and their dstribution to States	70

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1845	खनन तथा सहायक मशीनरी निगम में उत्पादन	Production in Mining and Allied Machinery Corporation	71
1846	माडॅन बैकरी के केरल स्थित कोचीन एकक के श्रमिकों की कठिनाइयाँ	Grievances of workers of Modern Bakery, Cochin Unit, Kerala	71-72
1847	विदेशों द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई	Supply of Food Articles to Refugees from Bangla Desh by Foreign countries	72
1848	बिहार में लोहे और इस्पात की कमी	Shortage of Iron and Steel in Bihar	72-73
1849	ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के लिये जिलों के चयन का मापदण्ड	Criteria for selection of districts for Rural Works Programme	73
1850	काँट छांट किये गये बन्द गोभी के पत्तों से दूध बनाने का प्रीक्षण	Experiment in production of milk from Trimmed Cabbage Leaves	73
1851	पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में चावल का मूल्य	Price of rice in West Bengal, Assam and Tripura	74
1852	चीनी मिलों द्वारा लिया जाने वाला मूल्य	Price charged by Sugar Mills	74
1853	राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा	Ceiling on Land Holding in States	74-75
1854	कृषि श्रमिक के लिये न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी विधान	Legislation on minimum wage for agricultural labour	75-76
1855	गेहूं के वसूली मूल्य	Procurement price of wheat	76
1856	दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या।	Number of persons who received Training at Industrial Training Institutes in Delhi	76
1857	उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र का विकास	Development of Uttarakhand Area of U. P.	77
1858	रेलवे में नैमित्तिक मजदूर सम्बन्धी विधान	Legislation on Casual Labour in Railways	77
1859	चीनी का उत्पादन और निर्यात	Sugar Production and its Export	77
1860	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या,	Number of Reports submitted by Committee on Review of Rehabilitation work in West Bengal	78

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1861	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति के प्रतिवेदनों को क्रियान्वित करने के लिये धन की व्यवस्था करने का वचन	Financial Commitment for Implementation of Reports of Committee on Review of Rehabilitation Work in West Bengal	79
1862	केन्द्रीयपूल के लिये वसूल किये गए गेहूं के भण्डारों का निपटारा करना	Clearance of Wheat Stocks Procured for the Central Pool	79
1863	सम्पूर्ण उठाऊ सिंचाई एकक के लिये यांत्रिक मशीन का चयन	Mechanical Components for complete Lift Irrigation Unit	79-80
1864	1970 में अन्न का उत्पादन	Production of cereals in 1970	80-82
1865	इन्दौर, मध्य प्रदेश में लोहे तथा इस्पात का वितरण	Distribution of Iron and Steel in Indore, Madhya Pradesh	82
1866	आंध्र प्रदेश की फैरोक्रोम फैक्टरी को उड़ीसा की क्रोमाइट खान का पट्टे पर दिया जाना	Lease of Chromite mine in Orissa to Ferrochrome Factory in Andhra Pradesh	82
1867	दोषपूर्ण पाये गये आर० एस० –09 ट्रैक्टरों के फालतू कल पुर्जों की सप्लाई	Supply of spare parts of RS—09 Tractors Found Defective	82-83
1868	1970-71 में आयातित ट्रैक्टरों का राज्यों को वितरण	Distribtution of Tractors to States Imported during 1970-71	84
1869	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of coal	85
1870	मध्य प्रदेश में पाये गये मैंगनीज और बौक्साइट अयस्क के निक्षेप	Deposits of Manganese and Bauxite in Madhya Pradesh	85
1872	मध्य प्रदेश में कृषि के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता देने का अनुरोध	Request for World Bank Aid for Development of Agriculture in Madhya Pradesh	85-86
1873	मध्य प्रदेश की कपास की फसल की बीमारी से सुरक्षा	Protection of Cotton Crop of Madhya Pradesh from disease	86
1874	मध्य प्रदेश में वन्य जीवन रक्षास्थल के लिये क्षेत्रों का विकास	Development of Areas for Wild Life sanctuary in Madhya Pradesh	86-87
1875	इस्पात का आयात	Import of Steel	87-88
1876	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Hindustan Steel Works Construction Ltd, Calcutta	88-90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
1877 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	Hindustan Steel Works Construction Ltd.	90
1878 राजस्थान में खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains in Rajasthan	91
1879 राजस्थान के सिचाई की सुविधाओं से रहित क्षेत्रों में कृषि विकास परियोजना	Agricultural Development Projects in Unirrigated Areas of Rajasthan	91
1880 मोतीहारी (बिहार) में मोडर्न बैकरी के एक एकक की स्थापना	Setting up of a Unit of Modern Bakery at Motihari (Bihar)	92
1881 कार्यभार में वृद्धि होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नए पद की मंजूरी	Sanction of new posts in Employees Provident Fund Organisation due to Increase in work	92
1882 सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के कारखाने की स्थापना	Setting up of an Explosives Plant in Public Sector	92-93
1883 सिम्ना घेरा टी एस्टेट में तालाबन्दी	Lock out in Simna Ghhera Tea Estate Tripura	93
1884 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को अपना धंधा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिये विशिष्ट व्यवसायों में, शिक्षण	Training to ITI trainees in specialised Skills to promote self-employment	93
1885 त्रिपुरा के गोलकपुर चाय बागान में तालाबन्दी	Lock out in Golakpur Tea Garden Tripura	93-94
1886 पश्चिम पाकिस्तान से आये दिल्ली के बस्तियाँ बनाने वाले व्यक्तियों (कालोनिस्ट) को उनके दावों के निपटान के लिये कृषि योग्य भूमि का आवंटन	Allotment of Agricultural land to Delhi Colonists from West Pakistan against their claims	94
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	94
पाकिस्तान द्वारा रावी नदी के जल का उपयोग किये जाने का कथित समाचार	Pakistan's reported use of Ravi water	94
श्री पी० गंगादेव	Sri P. Gangadeb	94
डा० के० एल० राव,	Dr. K. L. Rao	95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid. On the Table	97
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	99
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	99
बजट (सामान्य), 1971-72 सामान्य चर्चा	General Budget, 1971-72—General Discussion	99
श्री सतीश चन्द्र	Shri Satish Chandra	99
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	101
श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao	101
श्री नवल किशोर सिंह	Shri N. K. Singh	102
श्री जे० बी० धोते	Shri J. B. Dhote	103
श्री मोहम्मद ताहिर	Shri Mohammad Tahir	103
डा० कैलास	Dr. Kailas	104
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoonanand Painuli	104
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	104
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	105
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	106
श्री उन्नीकृष्णन्	Shri Unnikrishnan	107
श्री शफकत जंग	Shri Shafquat Jung	108
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	108
श्री वी० एन० पी० सिंह	Shri V. N. P. Singh	110
श्री टी० सोहनलाल	Shri T. Sohan Lal	110
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	114
अनुदानों की माँगें (मनीपुर) 1971—72	Demands for Grants (Mainipur), 1971-72	117
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deo	118
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	121
श्री एस एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	123

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 10 जून, 1971/20 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

Thursday, June 10, 1971/Jyaistha 20, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्व बंगाल से शरणार्थियों का आगमन और उनका पुनर्वास

*391. **श्री समर गुह**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व बंगाल से युद्ध के कारण आने वाले विस्थापितों की नवीनतम संख्या कितनी है और इन विस्थापितों के लिये भोजन तथा अन्य वस्तुओं पर अलग-अलग प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया जा रहा है ;

(ख) क्या अपने सम्बन्धियों के अथवा गैर-सरकारी मकानों में ठहरे विस्थापितों को राहत सुविधाएं देने से इंकार कर दिया गया है;

(ग) अब तक उनके लिये सफाई, बाल आहार और दूध की क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) विस्थापितों द्वारा शरणार्थी केन्द्रों को स्वयं चलाने का प्रबन्ध आरम्भ न करने के क्या कारण है; और

(ङ) उन्हें सीमा क्षेत्रों से 25 मील परे हटाये जाने के क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) अब तक लगभग 50 लाख विस्थापित भारत आ चुके हैं । भोजन के लिए प्रति व्यक्ति खर्च पश्चिम बंगाल में 1—रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और आसाम, मेघालय तथा त्रिपुरा में 1.10—रु० प्रति व्यक्ति प्रति-दिन

है। कामचलाऊ रिहायश, चिकित्सा सहायता आदि जैसी अन्य वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति पर होने वाले खर्च का अलग से हिसाब रखना सम्भव नहीं हो सका है।

(ख) इस समय शिविरों से बाहर रहने वाले विस्थापितों को कोई सहायता नहीं दी जाती है। जैसे ही विस्थापित अपने को पंजीकृत करा लेते हैं और शिविरों में प्रवेश ले लेते हैं, उन्हें सभी राहत सुविधाएं दी जाती हैं।

(ग) सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहाँ तक सम्भव है बाल आहार और दूध की सप्लाई इनके मिलने के आधार पर की जाती है।

(घ) विस्थापित व्यक्ति भोजन पकाने में शिविर अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं और जहाँ सम्भव होता है उनकी स्वैच्छिक सहायता का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

(ङ) बहुत बड़ी संख्या में विस्थापितों के आ जाने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित शिविरों में विस्थापितों का बहुत अधिक जमाव हो गया है और इन शिविरों में और अधिक विस्थापितों को नहीं रखा जा सकता। अतः भीतरी क्षेत्रों में या अन्य राज्यों में बड़े-बड़े शिविर खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जहाँ विस्थापितों को सीमावर्ती क्षेत्रों से भेजा जायेगा।

श्री समर गुह : जिन परिस्थितियों में शरणार्थी रह रहे हैं उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या यह सच है कि दो दिन पूर्व पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, श्री अजय मुखर्जी ने एक प्रेस वक्तव्य में यह कहा था कि 18–20 लाख शरणार्थी खुले में या वृक्षों की छाया के नीचे रह रहे हैं और किसी भी शिविर में उनके ठहरने के प्रबन्ध की कोई व्यवस्था नहीं है? क्या यह भी सच है कि इस सदन में दिये गये वक्तव्य में हैजे के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की संख्या कम बताई गई थी जब कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री, श्री जलालुद्दीन अहमद ने उसी दिन इस प्रकार की मौतों की संख्या एक हजार अधिक बताई थी? क्या यह सच है कि क्योंकि वे सभी शरणार्थियों को शरण देने के प्रबन्ध नहीं कर सकते अतः बहुत से शरणार्थियों को अपने रिश्तेदारों अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों के दान प्रिय लोगों की शरण में ठहरना पड़ता है? क्या यह सच है कि इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या लाखों में है? यदि हाँ, तो सरकारी स्रोतों से राशन या अन्य खाद्यान्न देने की सुविधा सरकार क्यों प्रदान नहीं करती? क्या यह भी सच है कि एक शरणार्थी को केवल 400 ग्राम चावल, आलू के चार टुकड़े और चार टुकड़े प्याज के दिये जाते हैं? क्या यह सच है कि उन्हें ईंधन, शालें, नकद सहायता आदि वस्तुएं नहीं दी जाती हैं? यदि हाँ, तो यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह अपना खाना पकाये और खायें? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वे अपना खाना किस प्रकार पकायें?

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त दिये गये विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री की टिप्पणियों का हवाला दिया है। यह सच है कि हम सभी व्यक्तियों को शरण नहीं दे सके हैं क्योंकि आने वालों की संख्या बहुत अधिक है। प्रतिदिन एक लाख से अधिक व्यक्ति सीमा पार करके इस ओर आ रहे हैं। समस्या की गुरुता को देखते हुए हम प्रत्येक व्यक्ति को आते ही शरण देने की बात सोच भी नहीं सकते। हम त्रिपाल 'टैन्ट' आदि जैसे सामान को जहाँ से भी हो सके प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं। कुछ शरणार्थी अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं **(अन्तर्बाधाएं)**। वह अपना पंजीकरण करवाएं और जो अपने रिश्तेदारों के साथ ठहरे उन्हें भी राशन आदि सुविधाएं दी जानी चाहिये। जहाँ तक शाकभाजी तथा अन्य वस्तुओं की बात है शिविरों का प्रबन्ध स्वयं-सेवी अभिकरणों के हाथ में है और वे संस्थाएं ही उन्हें यह वस्तुएं मुहैया कर रही हैं।

श्री समर गुह : वे इन सब वस्तुओं को मुहैया नहीं कर रही हैं। वे, तो केवल 400 ग्राम चावल, चार आलू और चार प्याज मुहैया कर रही हैं। वे तेल अथवा ईंधन के बिना अपना भोजन कैसे पका सकते हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हम सारी नकद सहायता बंगाल सरकार तथा अन्य सरकारों को देते हैं। निर्धारित सीमा के अनुसार सब वस्तुओं का प्रबन्ध करना राज्य सरकार का कार्य है। हमने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक शरणार्थी को 400 ग्राम चावल, 300 ग्राम सब्जी तथा 100 ग्राम दाल मिलनी चाहिये।

श्री समर गुह : कोई सब्जी नहीं दी जाती। केवल 100 ग्राम दाल... **(अन्तर्बाधाएं)** वह नहीं जानते हैं। वह उस स्थान पर कभी गये भी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और आप अपने आक्रामक रुख से इसके महत्व को घटा रहे हैं।

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। माननीय मंत्री यह जाने बिना कि वहाँ क्या हो रहा है, अज्ञानता से यह सब कह रहे हैं। यदि मैं यह सब कुछ बताता हूं। तो क्या मैं आक्रम रवैया अपना रहा हूँ ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : मुझे यह बताया गया था कि हमने संबंधित राज्य सरकारों को यह लिखा है कि वे निर्धारित राशन की मात्रा का पालन करें और राशन किसी भी हालत में कम मात्रा में न दिया जाये।

श्री समर गुह : सरकार ने नीति के रूप में यह घोषित किया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि बंगला देश के विस्थापित व्यक्ति अपने अपने घरों को लौट जायें। नीति संबंधी इस वक्तव्य के संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार शरणार्थियों को सीमावर्ती क्षेत्रों से आन्तरिक भागों में या अन्य राज्यों में भेज रही है और क्या उसने इस बात पर विचार कर लिया है कि शरणार्थियों को अन्य राज्यों में भेजने से—इसमें महीनों लग सकते हैं—उनके बंगला देश का जोश ठंडा हो सकता है और उस स्थिति में इन शरणार्थियों को वापस बंगला देश भेजना सरकार के लिए कठिन होगा ? क्या शरणार्थियों को देश में अन्य भागों में भेजते समय सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों समुदायों के शरणार्थियों को भेजा जायेगा और शरणार्थियों के किसी विशेष सम्प्रदाय को ही नहीं चुना जायेगा ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नीति वही है। इस ओर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि स्थिति के सामान्य होते ही ये लोग अपने देश बंगाल देश को वापस जावेंगे। **(अन्तर्बाधाएं)**

एक माननीय सदस्य : कितने कल्पनापूर्ण विचार है !

श्री बालगोविन्द वर्मा : उनके प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, अर्थात् शरणार्थियों को बाँटने के बारे में स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर कि अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। शरणार्थियों की बहुत अधिक संख्या के कारण वहाँ अधिकारियों के कार्यों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। अतः शरणार्थियों को कुछ अन्य पड़ोसी राज्यों में भेजना हम उचित समझते हैं, जहाँ पर बड़े-बड़े शिविरों में उन्हें स्थान दिया जायेगा।

जहाँ तक शरणार्थियों को स्थानान्तरित करने की बात है हम हिन्दु तथा मुसलमान शरणार्थी

में कोई भेदभाव नहीं बरतते। दोनों ही सम्प्रदाय के लोगों को, जिस प्रकार वे आए हैं, बिना किसी भेदभाव के उस स्थान से स्थानान्तरित किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद ताहिर : क्या यह सच है कि कुछ शरणार्थी जो बिहार में आ गये थे, अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे परन्तु स्थानीय पुलिस ने उन व्यक्तियों को शिविरों में जाने के लिए बाध्य किया ? जैसा कि हम जानते हैं, अब ऐसे बहुत से शरणार्थी हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को यदि वे किसी प्रकार की सहायता न चाहें तो वापस अपने रिश्तेदारों के पास जाने की अनुमति प्रदान करेगी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : बिहार में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों की संख्या बहुत नगण्य हैं। यह केवल 4301 है। भारत सरकार ने इन सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है। यह हो सकता है कि पुलिस वहाँ गई हो। रिश्तेदारों के साथ ठहरने वाले शरणार्थियों को उन स्थानों से हटाने की कोई बात नहीं हैं। उन्हें वहीं ठहरने की अनुमति दी जायेगी।

Shri Atal Behari Vajpayee. Sir, those people who came to the our country for shelter, are to-day dying and the reasons for this is that the Government did not estimate beforehand correctly the number of refugees we would be called upon to provide shelter to. May I know whether the Government has now made any assessment of the number of people likely to cross over to this side in future ? It was stated earlier that they would be confined to border areas and now they are being removed from border areas which betrays that the Government do not have any firm policy in this regard. Have the Government made an assessment of this volume of influx of refugees in furture and of the arrangements to be made for their rehabilitation ? The Government changes its policy every day.

Shri Bal Govind Verma : This is an internal matter of another country and we cannot predict about that. We had thought that about 30 lakhs of refugees might cross over to this country but our expectation did not come true. So far about 53 lakhs of refugees have come over and everyday about a lakh of people are coming. In the circumstances how can an assurance be given to the house about the possible number of refugees in future. This number can be of the order of 70—80 lakhs, but we can not give here any assurance, because no figures are available. People are coming from another country. We do not have any special information about the circumstances in that country. Therefore it is very difficult to give the figures of refugees.

So far as Government's policy is concerned, there has not been any change in the policy. We take care of all the refugees and try to give them all possible facilities within our resources.

श्री जगन्नाथ राव : इस तथ्य को देखते हुए कि 50 लाख से अधिक शरणार्थी आ चुके हैं और अधिक संख्या में उनके आने की संभावना है और इन शरणार्थियों को दी गई सहायता के संबंध में समय समय पर मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए क्या सरकार ने कलकत्ता में मंत्री तथा कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की वांछनीयता पर विचार किया है, जैसा कि देश-विभाजन के समय किया गया था जबकि शरणार्थियों की संख्या भी बहुत कम थी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस समस्या का सामना करने के विचार से हमने अतिरिक्त सचिव के अधीन एक शाखा सचिवालय स्थापित किया है। माननीय मंत्री भी वहाँ सामान्यतः जाते हैं तथा उस कार्यालय के साथ हम सम्पर्क बनाये हुए हैं।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : कुछ शरणार्थियों ने आसाम तथा मेघालय के दूरवती गावों में प्रवेश किया है और कुछ स्थानों पर बलपूर्वक भूमि पर कब्जा करने के प्रयत्न भी वह करते रहे

हैं जिसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। वास्तव में मेघालय के युवकों ने गाँवों में शरणार्थियों के आगमन के विरुद्ध शिलांग में हड़ताल का आयोजन किया था। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय करेगी कि शरणार्थियों को शिविरों में ही सीमित रखा जाये और वह गाँवों में महामारी के रूप में न फैलें ?

श्री समर गुह : मैं इस आपत्तिजनक टिप्पण का विरोध करता हूँ। इसका कारण सरकार की असफलता है।

श्री ज्योतिमय बसु : अच्छा यह है कि इस टिप्पण को वह वापस ले लें। (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप उन्हें यह टिप्पण वापस लेने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप तो बहुत ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं। आपने जो अंतिम शब्द बोला वह अच्छा नहीं था (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री विश्व नारायण शास्त्री : उन्होंने मुझे गाली दी अतः मुझे गुस्सा आ गया।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस सदन ने बंगला देश के लोगों के साथ एकता व्यक्त करता हुआ एक संकल्प पारित किया है। जब वह लोग आश्रय प्राप्त करने के लिए आते हैं तो उन्हें महामारी नहीं कहा जाना चाहिये। मेरा विचार था कि शासक दल के भी कुछ सदस्य इसका विरोध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन बातों को बंद करके माननीय सदस्य को इन शब्दों को वापस लेने का अवसर देंगे ? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री विश्व नारायण शास्त्री : मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा।

श्री बालगोविन्द वर्मा : डेढ़।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मंत्री महोदय का इससे कोई संबंध नहीं। आप सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपने उन्हें यह शब्द वापस लेने को कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह तो आपके अनुरोध की जरा भी परवाह नहीं कर रहे।

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ असंसदीय शब्द कहे गये होते तो मैंने उनकी स्वीकृति के बिना ही उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया होता। परन्तु जहाँ तक उन शब्दों का संबंध है जिन पर माननीय सदस्य ने आपत्ति की है मैं उन्हें माननीय सदस्य की सद्बुद्धि पर ही छोड़ता हूँ। यदि आप के सहयोगी इसे नहीं पसन्द करते, यदि हमने इस प्रकार का संकल्प पारित किया है.....

श्री विश्वनाथ शास्त्री : सदन के कुछ लोगों की भावनाएं दुखाने की मेरी इच्छा नहीं है, यदि वह उस शब्द को नहीं पसन्द करते तो मैं उसे वापस लेता हूं।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य का यह सुझाव है और हम उस पर विचार करेंगे।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : समस्या के हल के लिए मंत्रालय कलकत्ता में स्थापित द्वारा संगठनात्मक ढांचे के बारे में माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है मेरा प्रश्न उस उत्तर से संबंधित है। एक माननीय सदस्य ने इस ओर इंगित किया है कि 1947 या 1950 में शरणार्थियों के पहली बार आने पर शरणार्थियों के स्वागत तथा पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल में एक पूरा मंत्रालय स्थापित था। अब यह मंत्रालय लगभग पुनर्वास संबंधी अवशिष्ट कार्य ही देख रहा है, क्योंकि

सरकारी मत यह था कि पुनर्वास संबंधी सारा कार्य समाप्त हो चुका है। केवल कुछ अवशिष्ट कार्य बाकी है और वह देखा जा रहा है। क्या सरकार ने जो ढांचा गठित किया है वह उससे सन्तुष्ट हैं ? क्या जो प्रबन्ध किये गये हैं वह इतनी बड़ी तथा गंभीर समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त हैं विशेषता जिस समस्या के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह अभी तक इसका निर्धारण नहीं कर सके हैं ? क्या मंत्री महोदय कम से कम सरकार का ध्यान इस सारे विषय की गुरूत्ता, अहमता तथा विकटता की ओर आकर्षित करेंगे जिससे इस सारे विषय के लिए एक स्वतन्त्र संगठन का गठन किया जा सके ? यह अलग से एक मंत्रालय हो अथवा किसी उपमंत्री के अधीन कोई विभाग हो यह प्रधान मंत्री के निर्णय की बात हैं। हम इस संबंध में अपना स्पष्ट विरोध व्यक्त करना चाहते हैं कि पुनर्वास मंत्री देश से बाहर गये हुए हैं। अपने माननीय मित्र, उप-मंत्री के प्रति बिना किसी अशिष्टता के मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को हल करने का यह तरीका नहीं है। यह तो राष्ट्रीय संकट है। सरकार को स्थिति के प्रति जागरूकता दिखानी चाहिये।

श्री बालगोविन्द वर्मा : हम स्थिति के प्रति जागरूक हैं और हमने जो प्रबन्ध किये हैं हम उनसे सन्तुष्ट हैं। हम समयानुसार स्थिति का पुनरावलोकन कर रहे हैं तथा आवश्यकता के समय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Shri B. P. Maurya : The hon. Minister stated in his reply that the arrangement work has been entrusted to the state Governments. Keeping in view the limitation of State Governments would the hon. Minister bear in mind that the centre should have direct control on this special problem. A dangerous type of cholera has spread among the refugees and the Government policy has been to move them to various states. In view of the problem created by cholera and political and social reasons would the Government change its policy and krep the refugees near the borders ?

Shri Balgovind Verma: The hon. Member has said that this responsibility should be taken over by the centre. The centre has borne this in mind and intend to shift the refugees from West Bengal and other border states to other states by setting up big camps, in order to reduce the burden on border states. So far as the question of sendig them to other states is concerned we are taking due care that cholera etc. may not spread in those states. Due to scarcity of accommodation we are compelled to shift them to far off places even against our policy.

Shri R. S. Pandey : Over fifty Lakhs of refugees have come to take shelter in our country and we have welcomed them. The hon. Minister has stated that he is satisfied with regard to their rehabilitation. He may be satisfied so far as the administration is concerned, but we have to see if the refugees are also satisfied. You have approached various states for the rehabilitation of refugrees. Which of the states have agreed to your proposals and what arrangements have been made by them ? Madhya Pradesh has welcomed 50 thousand refugees and if the other states do not welcome them your job would become difficult.

Shri Balgovind Verma : The negotiations are being held with all the states. We intend to settle 1,30,000 refugees in Madhya Pradesh. Similarly, Orissa Government has welcomed them. We are having negotiations with U. P. and Bihar Governments also. As yet we are negotiating with the neighbouring states as their return would be difficult from far off places.

श्री एम० एन० मुकर्जी : इस स्पष्ट बात को ध्यान में रखते हुए कि यह समस्या गम्भीर होती जा रही है और हमारी क्षमता से बाहर की है, मंत्री महोदय द्वारा त्रिदिव चौधरी को दिये गये उत्तर के बावजूद, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान ब्रिटेन के हाउस आफ

कामन्स में हुए उस वाद-विवाद की ओर दिलाया गया है जिसमें सर होम ने इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाये जाने की माँग का उल्लेख किया था और उत्तर में सर होम ने कहा कि यह मामला पाकिस्तान तथा भारत का है और उनमें से किसी ने भी अभी तक ऐसी कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं किया है। समस्या के गम्भीर रूप धारण करने पर भी हम हाउस आफ कामन्स में चर्चित सम्भावनाओं के बारे में हमने विचार नहीं किया है। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस संबन्ध में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह सभी सदस्यों को परिचालित इस विवरण में दिया गया है। प्रधान मंत्री को वहाँ होना चाहिए। उन्हें इस प्रश्न के आने की आशा थी वह विदेश में नहीं है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : प्रश्न मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें उचित जानकारी के लिये एक अन्य प्रश्न की सूचना देनी चाहिए।

श्री एम० एन० मुकर्जी : यह समस्या सारे देश के लिये आपद् की स्थिति बनी हुई है। मैं नहीं समझता कि वे यह नहीं बता सकते कि सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार की कोई नीति है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः वह इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। माननीय सदस्य अपना प्रश्न विदेश मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न के भाग (5) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि शरणार्थियों को ऐसे स्थानों पर ले जाया जा रहा है जो सीमाओं से लगभग 25 मील की दूरी पर हैं। क्या वे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या मेघालय में बागमाड़ा में बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों को कतई भारत आने नहीं दिया जाता; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है; और यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह सूचना मुझे माननीय सदस्य से ही मिली है। मैं निश्चय ही इस बारे में जाँच करूंगा। और उन्हें जानकारी दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन्, यह मामला आपकी अनुमति से सभा में उठाया गया था। यदि मंत्री महोदय अनभिज्ञता प्रकट करते हैं तो यह स्थिति बड़ी दयनीय है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे नोट कर लिया है।

श्री समर गुह : आप को श्री खादिलकर को विदेश जाने से रोकना चाहिए।

Shri Prabodh Chander : Does the Minister know that due to the arrival of refugees in the sates, law and order situation has come up before the states, if so, is the Government attending to it ?

Shri Balgovind Verma : There is tension in local population in West Bengal. The refugees offer themselves as cheap labourers like Rikshaw drivers an for other jobs. The locol labour there does not like it. Their problem has been brought to our notice and in accordance with that we are removing the refugees from there.

अध्यक्ष महोदय : **आधे घंटे से अधिक समय लग गया है। यदि सदस्य चाहते हैं तो आध घंटे की चर्चा की सूचना दे सकते हैं। मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।**

रेड क्रास जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बंगला देश के शरणार्थियों के लिए सहायता

*393. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये रेड-क्रास जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता माँगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों ने क्या ठोस आश्वासन दिये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सरकार ने बंगला देश के शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सहायता के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी को नहीं लिखा है। फिर भी, विस्थापितों को भोजन, आश्रम स्थान, औषधि आदि के रूप में राहत सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से अपील की गई है और साथ ही बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसियों से भी अनुरोध किया गया है।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता या दिए गए बचनों को दिखाने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 268/71**]

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि कुछ देशों ने या तो नकद सहायता दी है अथवा दूध, दवाइयों वस्त्रों आदि के रूप में सहायता भेजी है। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्या यह सच है कि सरकार ने कोई प्रार्थना नहीं की है। मैं हाउस आफ कामन्स में सर एलक डगलास होम द्वारा दिये गये वक्तव्य से एक उद्धरण देना चाहता हूँ। जब कुछ हाउस, आफ कामन्स ने उनसे पूछा कि क्या भारत सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है तो, उन्होंने कहा :

"अब अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के बारे में उन्होंने कहा, "कि निश्चय ही हम विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। भारत सरकार से हमें कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई जबकि इन्डियन कन्सोरटियम की बैठक 17 जून को होगी। मैं प्रतीक्षा करना चाहूँगा कि क्या तब तक हमें भारत से प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है।"

इसलिए मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ को, जो कि बंगला देश में हमारे भाइयों की मुसीबतों को केवल दर्शक के रूप में देखती रही है, को प्रार्थना पत्र भेजने के अलावा क्या उन्होंने उक्त सरकार से निवेदन किया है ?

इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई प्रार्थना पत्र अन्य देशों को भी भेजा गया है यदि हां तो क्या प्रार्थना की गई है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : यहाँ तक मुझे पता है प्रधान मंत्री ने स्वयं विदेशी सरकारों को पत्र लिखे हैं। उनके उत्तर भी प्राप्त हो गये हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह समाचार पत्रों में कैसे प्रकाशित हो गया।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें खुशी है कि रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन ने तुरन्त कार्यवाही के लिये आह्वान दिया है और पाकिस्तान में से पूर्वी बंगाल में सुरक्षा की स्थिति की गारंटी देने को कहा है। रूस के प्रधान मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करनी चाहिए कि भारत से शरणार्थी सुरक्षित वापिस आ सके। प्रश्न प्रधान मंत्री को संबोधित है। मुझे खेद है कि वे उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में है।

श्री एस० एम० बनर्जी : अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का संबन्ध भी विदेश मंत्री से है। प्रधान मंत्री को ऐसे प्रश्नों की उम्मीद रखनी चाहिए थी। मेरा प्रश्न यह है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या अन्य देशों ने भी ऐसा आह्वान दिया है और यदि हाँ, तो वे देश कौन कौन से हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह प्रश्न रेड क्रास जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संबन्ध है।

श्री एस० एम० बनर्जी : विदेश मंत्री भी उसी सरकार में हैं। (**व्यवधान**) श्री लकप्पा, आपने अब पक्ष बदल लिया है। यदि आप विपक्ष में होते तो मेरे इस प्रश्न का समर्थन करते।

श्री के लकप्पा : आपको प्रश्न के संगत होने के बारे में जानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया कि प्रधान मंत्री ने विदेशों को लिखा है। रूस के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान सरकार को लिखा है कि वह वापस आने वाले शरणार्थियों के लिये शान्ति तथा सुरक्षा की हालत पैदा करे। क्या अन्य देशों ने भी ऐसे वक्तव्य जारी किये हैं ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु इस मंत्री को संबोधित इस प्रश्न से इसका उत्तर आपको नहीं मिल सकता। वे विदेश मंत्री नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रधान मंत्री यहाँ क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय: जब प्रश्न दूसरे मंत्री को संबोधित है तो उन्हें उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बालगोविन्द वर्मा : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य की भावनाएं संबद्ध मंत्री को पहुँचा दूंगा।

श्री एम० एन० मुकर्जी : क्या आप श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित, प्रश्नकाल में संसद में उपस्थित रहने की प्रथा को पुनः चालू करेंगे ताकि कठिनाई में पड़े मंत्री को बचाया जा सके। सभा के नेता अथवा प्रधान मंत्री अथवा किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण रूप से सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रश्नकाल में उपस्थित रहना चाहिए। उक्त प्रथा वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा त्याग दी है।

श्री पीलू मोदी : मैं श्री मुकर्जी के विचारों का सर्वथा समर्थन करता हूँ। मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि सरकार तथा विशेषतः प्रधान मंत्री यह समझते हैं कि संसद एक ऐसा खिलौना है जिसे वर्ष में छ मास सहन करना पड़ता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सहायता के लिये जो प्रार्थनाएं, मंत्री महोदय के कथनानुसार, विभिन्न सरकारों तथा एजेंसियों को भेजी गई है, उनके बारे में पत्रों में प्रकाशित समाचारों में कहा गया है कि कुछ देश ने ऐसी वस्तुएं भेजने को उद्यत है जिनके बारे में हमने बाद में कहा कि हमें वे वस्तुएं नहीं चाहिये। उदाहरणार्थ आज के पत्र में आस्ट्रेलिया द्वारा चिकित्सा-दल भेजने के प्रस्ताव तथा उस संबन्ध में हमारी सरकार का शीघ्रता में भेजा गया उत्तर कि हमारे पास डाक्टरों की कमी नहीं है। फिर नार्वे रैडक्रास ने बड़ी मात्रा में कॉड मछली भेजी है जो कि डमडम पर पड़ी हुई है और हमने उनको लिखा है कि कृपया इसकी और मात्रा हमें मत भेजें क्योंकि जठरान्त्र कोप

से पीड़ित व्यक्तियों के लिये यह उपयुक्त नहीं रहती। जब विदेशों को सहायता के लिये पत्र भेजे जाते हैं तब क्या सरकार के पास सहायता कार्य के लिये आवश्यक वस्तुओं की जानकारी रहती है ? क्या सरकार अपेक्षित वस्तुओं के संबंध में उन्हें जानकारी भेजती है अथवा दूसरे देशों को जो भी वे चाहें भेजने का अवसर देती है भले ही वे वस्तुएं हमारे लिये सर्वथा अनोपयुक्त हों ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमारे पास केन्द्र में तथा कलकत्ता में एक एक समन्वय समिति है........

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : तब, ऐसी बाते क्यों हो रहीं हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : केन्द्र में कई मंत्रालय इसमें हैं और कई स्वयं सेवी संगठन इससे संबद्ध है। कलकत्ता में भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिये स्थिति का पुनः अध्ययन किया जा रहा है और विभिन्न सरकारों को आवश्यक वस्तुओं की सूचना भेजी जा रही है। पता नहीं क्यों माननीय सदस्य ने ऐसी बातें कहीं है और सरकार पर कुप्रबन्ध कर आरोप लगाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय को पता नहीं ऐसी रिपोर्टें पत्रों में प्रकाशित हुई हैं।

श्री पीलू मोदी : क्या वे कॉड मछली खाते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है उनकी सूचना हम पहले ही क्यों नहीं भेज देते ?

अध्यक्ष महोदय : कॉड मछली को छोड़ कर। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

394. **श्री डी० के० पंडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष गन्ने की खेती की 'बल्क लाइन अपरचूनिटी लागत' को पूरा करने हेतु गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय सेन चीनी जाँच आयोग की सिफारिशों का पालन किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस संबंध में अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे क्योंकि हाल में विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने और इसकी प्रतियोगी फसलों की उत्पादन लागत के संबंध में सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया था। तथापि, 1969–70 के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय सरकार ने उत्पादन-लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को प्राप्ति और कृषिजन्य जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति संबंधी उपलब्ध सूचना सहित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखा था।

श्री डी० के० पंडा : मेरे इस प्रश्न के सम्बन्ध में, कि क्या गत वर्ष अर्थात 1970 में सेन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं, उत्तर अत्यन्त भ्रामक है क्योंकि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 1968 और 1969 का ही उल्लेख किया है। दूसरे, यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है कि सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं, क्या मंत्री महोदय को पता है कि गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने हेतु गन्ना नियंत्रण आदेश में ये सिफारिशें भी सम्मिलित की गई है ? क्या मंत्री महोदय को यह अनुभव नहीं होता कि इन सिफारिशों को लागू न करने से गन्ना नियंत्रण आदेश में निहित संविधिक निर्देश का उल्लंघन होता है ?

श्री शेर सिंह : मैंने कोई बात नहीं छिपाई, मैंने भाग (क) के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि हमने सेन आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं। मैंने इसके कारण बताये हैं। यह इस कारण है कि हम गन्ने और अन्य वस्तुओं की उत्पादन लागत के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये व्यापक अध्ययन नहीं कर सके हैं आयोग ने सुझाव दिया था कि हमें अवसर लागत को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमें गन्ने और अन्य वाणिज्यिक फसलों की उत्पादन लागत और अन्य वस्तुओं के मूल्यो का विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि गन्ने के बजाए अन्य वाणिज्यिक फसलें बोयी जाती तो उनकी कितनी उपज होती हमने यह व्यापक अध्ययन कार्य अब कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि कालेजों को सौंप दिया है। हमने यह कार्य आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा विश्वविद्यालयों को सौंप दिया है। विशेषज्ञ दल, इस विषय के संकाय तथा इन विषयों के प्रोफेसर इस कार्य में लगे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री शेर सिंह : उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है। यह कुछ समय लेगा।

श्री डी० के० पंडा : मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्पादन लागत और वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों होने वाली आय की उपलब्ध कुछ जानकारी के आधार पर 1969–70 के लिए मूल्य निर्धारित किया गया था। क्या मंत्री महोदय हमें वह जानकारी दे सकते हैं ?

श्री शेर सिंह : मैंने कहा है कि हम व्यापक अध्ययन नहीं कर सके हैं और ये केवल अनुमानित आंकड़े हैं।

श्री डी० के० पंडा : मैं यह जानकारी चाहता था जिसका उल्लेख उत्तर के भाग (ख) में किया गया है।

श्री शेर सिंह : इसके लिए मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए क्योंकि उत्तर विस्तृत होगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के मूल्य दिए गये होंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वह सूचना चाहते हैं जिसके आधार पर वर्ष 1969–70 के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था।

श्री शेर सिंह : जैसा कि मैंने कहा कि हम अभी तक व्यापक अध्ययन नहीं कर सके हैं, अब हम इस कार्य को करवा रहे हैं। जो आंकड़े अब उपलब्ध हैं वे केवल अनुमानित आंकड़े हैं जिनके आधार पर हमने कुछ अनुमान लगाये हैं और मूल्य निर्धारित किए हैं। हम स्वयं संतुष्ट नहीं हैं कि ये आंकड़े सही हैं। अतः यह व्यापक अध्ययन हैं।

श्री के० लकप्पा : देश में मैसूर, महाराष्ट्र जैसे राज्यों तथा अन्य राज्यों में गन्ने की खेती में कमी हुई है। इसका कारण है कि किसान को कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। मिल मालिक समर्थन मूल्य के विचार को रद्द करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। क्या सरकार अपने रवैये में परिवर्तन करेगी और उत्पादकों को समर्थन मूल्य देगी ?

श्री शेर सिंह : उत्पादक को दिया गया मूल्य कम नहीं है। यहाँ तक कि 1965–66 में प्रस्तुत की गई सेन आयोग की सिफारिश के अनुसार हमें 4.46 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से भुगतान करना चाहिए था जबकि वास्तव में 5.36 रुपये प्रति क्विटल की दर से दिया गया था। कृषि मूल्य आयोग के अनुसार जिस मूल्य का सुझाव दिया गया था ...।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न यह नहीं है। वह मेर प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं (व्यवधान).......

श्री शेर सिंह : मैं कह रहा था कि सरकार ने कृषि मूल्य आयोग अथवा अन्य आयोगों द्वारा सुझाये गये मूल्य से भी अधिक मूल्य दिया है। हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री शिवाजी राव देशमुख : सेन आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक सिफारिश यह है कि आनुपातिकता के सिद्धान्त का कठोरता से पालन किया जाये, राष्ट्रीय औसत चीनी की मात्रा के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसमें वृद्धि की प्रतिशतता के अनुसार ही मूल्य में वृद्धि की जाती है। जो सिद्धान्त अन्य फसलों के लिए लागू नहीं होता है उसे बीच में नहीं लाना चाहिए। सेन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने में वास्तव में कठिनाई है वह केवल सरकार का उपेक्षा भाव है, क्या मंत्री महोदय कृपया इसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री शेर सिंह : हम न्यूनतम 9.4 प्रतिशत का भुगतान करते रहे हैं और इससे अधिक हम चीनी की मात्रा की अधिक प्रतिशतता के लिए अधिमूल्य का भुगतान करते रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : चीनी की खपत बढ़ गई है। 6 लाख मीटरी टन का उत्पादन होता है। यदि सरकार ने प्रति मीटरी टन का मूल्य बढ़ाकर 100 रुपये नहीं किया तो आगामी वर्ष में चीनी की कमी हो जायेगी क्या सरकार मूल्य बढ़ाकर 100 रुपये प्रति मीटरी टन करने जा रही है ?

श्री शेर सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें कुछ सत्यता है। चीनी की खपत प्रति वर्ष बढ़ रही है। उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। यह ठीक है कि इस वर्ष कुछ कमी हुई है और हमने और अधिक लायसेंस दिए हैं और अधिक कारखाने चालू हो जायेंगे।

Scheme for Crop and Cattle Insurance

*395. **Shri R. C. Vikal** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme to insure the crops and cattle of farmers ;

(b) if so, from when and the nature thereof ; and

(c) the names of the State Governments which have accepted the said scheme ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) फसल बीमे के सम्बन्ध में एक योजना लागू करने का प्रश्न एक विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है। इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

पशु बीमे के सम्बन्ध में, मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह कुछ चुने हुए जिलों से कर लिया गया है और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण के परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त, इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या कोई मार्गदर्शी योजना तैयार की जानी चाहिये ?

Shri R. C. Vikal : I want to know as to when the Experts Committee on crop Insurance was set up and who are the members of this Committee. Are they compatable with the crop insurance scheme ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समिति का गठन जुलाई, 1970 में हुआ था और कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष श्री धर्म नारायण इस समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य भी हैं जिनमें से 6 सदस्य

वित्तीय, बीमे, तथा अन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। समिति अब किसी भी समय अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी क्योंकि प्रतिवेदन लगभग तैयार हो चुका है।

Shri R. C. Vikal : I want to know the names of States and the districts which have been selected by the hon. Minister for cattle mortality data and on what basis these districts have been selected ?

Shri Annasaheb P. Shinde : The selected districts are Krishna in Andhra Pradesh, Chinglepet in Tamil Nadu, Rohtak in Haryana, and Meerut in Uttar Pradesh.

श्री वाई० एस० महाजन : क्या पंजाब सरकार ने इसे मार्ग दर्शी आधार के रूप में स्वीकार किया है और, यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यहाँ पंजाब का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। यह बात असंगत है अन्यथा मैं इसका समर्थन करता।

Shri Lalji Bhai : I want to know from the hon. Minister the correct figures of cattle in various states separately.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक पशुओं के सही सही आंकड़ों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य अलग से नोटिस दे, क्योंकि गणना प्रतिवेदन के आधार पर ही इनकी संख्या दी जा सकती है।

Mr. Speaker : It may be clarified by the hon. Member what catagories of cattle he would like to included in this matter.

आम का उत्पादन

397. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के आमों की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है;

(ख) क्या आम के उत्पादन के मामले में उपेक्षा तथा उदासीनता करते जाने के कारण देश में आम के उत्पादन में बराबर कमी हो रही है;

(ग) आम का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार आमों की किस्म में सुधार करने और प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर आमों की फसल को खराब होने से बचाने के लिये उचित कीटनाशी औषधी तैयार करने हेतु कोई अनुसंधान केन्द्र खोल रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात किये जाने वाले फलों, जिनमें आम भी सम्मिलित हैं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत किसानों को नये पेड़ लगाने तथा मौजूदा क्षेत्रों में पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था है।

(घ) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक अखिल भारतीय समन्वित फल विकास परियोजना जिसमें कि आम पर अनुसंधान भी सम्मिलित हैं, संस्वीकृत की है। परिषद्, लखनऊ में एक केन्द्रीय आम अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने की योजना पर कार्यवाही कर रही है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि खण्ड विकास अधिकारी अथवा कृषि विशेषज्ञों को पंचायत समिति स्तर से सहायता न मिलने के कारण फसल अनेक प्रकार के नाशकीटों से ग्रस्त हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर आंध्रप्रदेश में आम की फसल के उत्पादन में कमी हो रही है, और यदि हाँ, तो सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है जिससे इन नाशककीटों को दूर करने के लिए किसानों को वैज्ञानिक और अन्य प्रकार का तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सरकार को आम की फसल की बीमारियों की पूर्ण जानकारी है। प्रोफीलेक्टिक उपाय से क्षेत्रों में छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है परन्तु वस्तुतः समस्या अत्यन्त विस्तृत है। स्वयं वायुयान से छिड़काव करने से भी अनेक कठिन समस्याएं खड़ी हो जाती है। परन्तु फिर भी राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है और हम आमों के लिए वनस्पति सुरक्षा उपाय करने में राज्य सरकारों की सहायता करने को तैयार है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में राजेन्द्रनगर कृषि संस्थान में एक 'सैल' आरम्भ करने का है जिससे आम की खेती करने हेतु किसानों को आवश्यक सहायता दी जा सके और किसानों के प्रयोग के लिए वहाँ विभिन्न प्रकार की कलमें भेजी जा सके।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही करने के लिए यह एक सुझाव है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : क्या उनका विचार इसे आरम्भ करने का है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम आंध्र प्रदेश में 'संगरेड्डी' स्थान पर ऐसा एक केन्द्र खोलने जा रहे हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, He might be aware of the fact that 'Maldah' variety of mango is grown in Digha of Bihar which is regarded as the best quality of mango in the country. But on the banks of Ganga in Digha, where this mango is produced huge construction of houses has started there as a result of which there is no land left for mango-crop. Do Government propose to take steps to encourage mango-production by discouraging construction of houses there ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सच है कि जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण, विशेषकर भट्टों आदि के फलस्वरूप आम की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकार यह जानती है।

Shri Ramavtar Shastri : There is good mango crop in Bihar, and Uttar Pradesh. I want to know whether in order to earn maximum foreign exchange, Government have any Scheme of helping state Governments to increase and develope mango crop to a great extent ? What is that scheme ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सामान्यतः कृषि सम्बन्धी अन्य विषयों की भांति यह विषय भी राज्य सरकारों के अन्तर्गत आता है। परन्तु केन्द्र **खण्ड अनुदान** देकर राज्य सरकारों की सहायता करता रहता है। यह समन्वित अनुसन्धान है जिससे आम की फसल का विकास करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार केन्द्र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के माध्यम से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दूध की कमी दूर करने के लिये कार्यवाही

*392. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी

पंचवर्षीय योजना की अवधि में दूध की देशव्यापी कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

चौथी योजना के केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में पशु विकास और डेरी योजनाएं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक प्रजनन, अच्छे प्रबन्ध, पशु-चिकित्सा और उपयुक्त विपणन सुविधाओं पर आधारित हैं। चारे और दाने के प्रश्न की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. वैज्ञानिक पैनल की सलाह से डेरी कारखाने के आसपास के दुग्ध एकत्रण क्षेत्रों के लिये संकरा-प्रजनन कार्यक्रम को हमारी प्रजनन नीति के एक अंश के रूप में माना गया है। सघन पशु विकास परियोजनाओं के अधीन अच्छी नसल के साँडों के प्रबन्ध करने के और कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली उपलब्ध करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं, जहाँ यह सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं वहाँ प्राकृतिक सेवाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है। जो क्षेत्र सघन पशु विकास परियोजनाओं के बीच नहीं आते वहाँ आदर्श ग्राम खण्ड भी खोले जा रहे हैं। पशु स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिये नये पशु चिकित्सा हस्पताल और डिसपेंसरियाँ खोली जा रही हैं। फ्लड आपरेशन जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के 4 बड़े नगरों में दूध सप्लाई बढ़ायेंगे, 10 राज्यों और एक संघ क्षेत्र में पशु विकास कार्यों का संगठन करेंगे। यह दूध उत्पादन की भारी कमी को पूरा करेगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिक अशांति

*396. **श्रीमती विभा घोष :** **श्री समर मुखर्जी :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों में श्रमिक अशांति के भय से गत 2–1/2 महीनों से विभिन्न एककों में, विशेषकर मिल शाप्स में, उत्पादन बन्द कर रखा है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन, दुर्गापुर का स्थिति में सुधार करने के लिए संयुक्त प्रयास करने का प्रस्ताव प्रबन्धकों द्वारा ठुकरा दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस संस्थान के श्रमिकों की माँगों को पूरा करने के लिये जो हाल ही में सरकार को प्रस्तुत एक ज्ञापन में उल्लिखित हैं, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) जी, नहीं। जब यह देखा गया कि हड़ताल और बन्द सन्निकट हैं तो प्रबन्धक-वर्ग को कारखाने को क्षति से बचाने के लिए एहतियाती / सुरक्षात्मक उपाय करने पड़े हैं।

(ख) कारखाने के प्रबन्धक उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ाने हेतु दिये गये सभी रचनात्मक सुझावों का स्वागत करते हैं।

प्रबन्धक-वर्ग ने 1969 में हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वह विभिन्न संयुक्त सलाहकार समितियों में शामिल हो जाये जिससे उत्पादन और उत्पादिता में सुधार, कर्मशाला, अनुशासन कर्मचारियों की शिकायतों के निर्माण आदि जैसे परस्पर हितों के

मामलों को हल किया जा सके। कई अनुस्मार्क भेजने के बावजूद भी यूनियन ने विभिन्न संयुक्त समितियों के लिए अपने प्रतिनिधि नामित नहीं किये हैं।

फिर भी, इस्पात पिघलाने के कारखाने का उत्पादन बढ़ाने हेतु मिलजुलकर प्रयत्न करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन तथा कारखाने के प्रबन्धकों ने 15 मई, 1971 को एक बैठक की थी। कारखाने के दूसरे एककों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार की बैठकें करने का विचार है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में कम उत्पादन

*398. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनों का आरम्भ में ठीक प्रकार से रख रखाव न करने के कारण उनके खराब हो जाने के परिणामस्वरूप दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ तो, 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में प्रत्येक कारखाने में मशीनें कितनी बार और कब कब खराब हुईं; और

(ग) पिछले दिनों मशीनों में हुई खराबी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों में 1969–70 के वर्ष की तुलना में 1970–71 के वर्ष में कम उत्पादन हुआ। उत्पादन में कमी कुछ हद तक दुर्गापुर में सारासाल तथा राउरकेला में वर्ष के पहले छः महीनों में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने तथा कुछ हद तक कुछ तकनीकी और परिचालनात्मक कठिनाइयों/त्रुटियों (जिनमें मशीनों के खराब हो जाने के कारण उत्पादन सुविधाओं की हानि भी सम्मिलित है) के कारण हुई है।

(ख) 1969–70 के वर्ष में एक दिन से अधिक समय के लिए मशीनों की खराबी की घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है:—

कारखाना	एक दिन से अधिक समय के लिए मशीनों की खराबी की घटनाओं की संख्या	
	1969–70	1970–71
राउरकेला इस्पात कारखाना	26	27
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	31	7

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धक निवारक संधारण की महत्ता को भली प्रकार समझते हैं और उन्होंने कई प्रत्युपाय किए हैं, जिनमें संधारण संगठनों का पुनर्गठन करना तथा उन्हें सशक्त बनाना, फालतू पुर्जों की समय पर प्राप्ति, संयंत्र तथा उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना तथा मरम्मत के बारे में पहले से योजना बनाना आदि शामिल है।

राजस्थान में इस्पात संयंत्र के छोटे एककों की स्थापना

*399. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात की अत्यधिक कमी और बड़े संयंत्रों की स्थापना में अधिक समय लगने को ध्यान में रखते हुए लौह अयस्क क्षेत्रों में छोटे एकक स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में हाल ही में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त, राजस्थान में पाये गये लौह अयस्क के बड़े निक्षेपों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) चतुर्थ योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली क्षमता के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र में इस्पात की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित कोयला खनन कम्पनियों को लाभ

*400. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969–70 में गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खनन कम्पनियों को होने वाले लाभ में भारी वृद्धि हुई है ; और यदि हाँ, तो कितनी;

(ख) क्या वर्ष 1969 में उत्पादन मूल्य का 51.7 प्रतिशत भाग वेतन तथा मंजूरी के रूप में दिया गया था जो 1970 में घटकर 49 प्रतिशत रह गया; और

(ग) क्या उत्पादन मूल्य को देखते हुए कल्याणकारी उपायों पर किया गया व्यय वर्ष 1969 में 5.3 प्रतिशत था जो 1970 में घटकर 4.9 प्रतिशत रह गया था ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) से (ग) : जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ; एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

अनिवार्य श्रम बीमा योजना

*401. **श्री निहार लास्कर** : **श्री एस० एम० कृष्ण** :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनिवार्य श्रम बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : देश में अनिवार्य श्रम बीमा लागू करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, कोयला खानों और कुछ अन्य उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों की श्रेणियों में श्रमिकों के लिए 1–3–71 से परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा की दो योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ सेवा में मरने वाले श्रमिकों के परिवारों के लिए परिवार पेंशन और जीवन लाभों की व्यवस्था है। ये योजनाएं भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित की गई हैं।

कोयला खान बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस की अदायगी के लिए न्यूनतम उपस्थिति की शर्त का समाप्त करना

*402. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस की अदायगी के लिए न्यूनतम उपस्थिति की शर्त को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : **(क) और (ख)** : सूचना विचाराधीन है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में कर्मचारी यूनियन को अनुशासन संहिता के अन्तर्गत मान्यता

*403. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 13 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2753 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारी यूनियन के विरुद्ध अनुशासन संहिता का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों की जाँच उपयुक्त प्राधिकरण, अर्थात् दिल्ली प्रशासन द्वारा कर ली गई है और उन्हें निराधार पाया गया है;

(ख) क्या उपरोक्त तथ्य की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्धकों से कहा था कि और बिलम्ब किये बिना उक्त यूनियन को मान्यता प्रदान की जायें ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) से (ग) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कर्मचारी संघ के विरुद्ध प्रबंधकों द्वारा आरोपित अनुशासन संहिता के कुछ उल्लघनों की श्रमायुक्त, दिल्ली द्वारा जाँच की गई; वे सिद्ध नहीं हुए। अतः दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रबन्धकों को सलाह दी गई कि वे यूनियन को मान्यता दे दें। तथापि, प्रबन्धकों द्वारा अभी तक यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है। प्रबन्धकों ने दिल्ली प्रशासन से, जिनके क्षेत्राधिकार में यह मामला आता है इस मामले में और स्पष्टीकरण माँगें हैं।

कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के जमा हो जाने के कारण कोयला खानों के समक्ष संकट की स्थिति

*404. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कोयला क्षेत्रों में कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के अत्यधिक स्टाक जमा हो गये हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप खानों के बन्द होने की नौबत आ गई है;

(ग) क्या हजारों खनिकों के लिए बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संकट को टालने तथा कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के जमा स्टाक को निपटाने के विचार से उद्योग को सहायता देने हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) (क) : जी, हाँ।

(ख) और (ग) कोयला उद्योग ने यह बताया है कि वर्धित गर्त-मुख संविधान के कारण अनेक खानें बन्द हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप खान कर्मकार बेरोजगार हो सकते हैं।

(घ) स्टाक का संचयन रेल वैगनों की आपूर्ति में कमी के कारण से हुआ है, यह कमी बंगाल-बिहार के क्षेत्रों में रेलवे डिब्बों के हिस्सों, ऊपरी तारों, सिगनल देने वाले और अन्य रेलवे उपकरणों की वृहद मात्रा में चोरी, विधि और व्यवस्था नियमों में श्रय के परिणाम-स्वरूप हुई है। भारत सरकार स्थिति से पूर्णतः अवगत है और राज्य सरकारों के परामर्श से विधि और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए और रेलवे संक्रियाओं को पूर्वतर स्थिति में लाने के लिए कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बंगाल और विहार में कार्य कर रहे समस्त पब्लिक सेक्टर बैंकों को सलाह दी है कि वह कोयला खानों से वित्तीय सहायता के लिए निवेदनों पर विचार करते समय सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि कोण अपनाएं।

इस्पात-वितरण के बारे में प्रक्रिया

*405. **श्री पी० के० देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात प्राथमिकता समिति की सलाह से इस्पात की बढ़ती हुई माँग पूरी करने हेतु इस्पात प्राप्त करने के लिए कोई नई योजना/प्रक्रिया बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस नई योजना/प्रक्रिया से किस सीमा तक इस्पात की कमी में सुधार होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) (क) और (ख) : इस्पात प्राथमिकता समिति के परामर्श से कोई नई योजना/प्रणाली नहीं बनाई गई है।

फिर भी, बिलेट पुनर्बेल्लकों द्वारा तैयार किये गये माल के उत्पादन तथा वितरण को विनियमित करने के लिए सरकार ने बिलेट पुनर्बेल्लकों की एक समिति बनाई है। संबन्धित अधि-सूचनाओं, जिनमें मुख्य-मुख्य बातें दी गई है, की प्रतियाँ सदन को पहले दी जा चुकी है।

बिलेट पुनर्बेल्लकों की समिति के काम से देश में इस्पात की उपलब्धि में वृद्धि नहीं होती है परन्तु प्राथमिक क्षेत्रों को उपलब्ध माल का नियत मूल्य पर विनियमित वितरण का अनुपात बढ़ जाता है।

मजूरी के साथ उत्पादन क्षमता को जोड़ना

*406. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1954, 1964 और अन्तिम वर्ष, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, तक भारत में कारखाने के मजदूरों की उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि में मजदूरों की वास्तविक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या गत तीन दर्शकों में भारतीय कारखाने के मजदूरों की उत्पादन क्षमता में होने वाली वृद्धि उनकी वास्तविक आय में होने वाली तदनुरूपी वृद्धि के कभी समान नहीं रही थी;

(घ) क्या गत तीन दर्शकों में वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से उत्पादन क्षमता में होने वाली वृद्धि सदा कम रही है; और

(ङ) मजूरी के साथ उत्पादन क्षमता को जोड़ने के लिए सरकार के कथित प्रस्ताव का मूल आशय क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कुल मिलाकर कारखानों के श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पादिता के आँकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) 200 रु० प्रति मास (आधार 1951–100) से कम अर्जित करने वाले कारखाना श्रमिकों की वास्तविक आय 1954 में 112 और 1964 में 104.6 थी।

(ग) से (ङ) : इस प्रकार की तुलना करने के लिए गत तीन दर्शकों के सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ वर्धित श्रम उत्पादिता अधिक तेज आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, जो तदनुरूपी ढंग से वर्धित लाभों तथा श्रमिकों के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए पहले अनिवार्य है।

वनस्पति उद्योग की क्षमता

*407. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा देश में उसकी अनुमानित आवश्यकता कितनी है; और

(ख) सरकार ने तिलहनों की सप्लाई और वनस्पति उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	स्थापित क्षमता	लगभग 10 लाख मी० टन प्रति वर्ष।
	1971 में अनुमानित आवश्यकता।	लगभग 6.30 लाख मी० टन।

(ख) तिलहन की सप्लाई और वनस्पति उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) तिलहन की सप्लाई बढ़ाने के लिए

(क) निम्नलिखित तरीकों से देश में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाना :

(1) आश्वासित वर्षा और सिंचाई की सुविधाओं वाले क्षेत्रों में "पैकेज प्रणाली" अपनाना;

(2) सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना;

(3) बहु फसलें उगाना, जिन क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया गया वहाँ उनका प्रयोग करना;

(4) नमी-संरक्षी और बागानी खेती की प्रणालियों को अपनाना;

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी नई तिलहन फसलों की खेती करना।

(ख) यथावश्यक सोयाबीन तेल, खोपड़ा, टैलो और तोरिया का आयात करना।

(2) वनस्पति उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए

(क) सितम्बर, 1968 से फरवरी, 1970 की अवधि में इस उद्योग पर से अंशतः लाइसेंस हटा लिया गया था जिससे नये कारखानों की स्थापना अथवा वर्तमान यूनिटों की 100 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता तक विस्तार किसी भी मामले में लाइसेंस लिए बिना किया जा सके बशर्ते कि एक ही स्वामित्व, प्रबंध अथवा नियंत्रण के अधीन कारखानों के एक ग्रुप की कुल क्षमता 200 मी०

टन प्रतिदिन से अधिक न बढ़ जाए। इसके फल-स्वरूप, वनस्पति तैयार करने की क्षमता में अब पर्याप्त वृद्धि हो रही है।

(ख) अक्तूबर, 1966 से मौजूदा कारखानों को अपने उपकरणों में मामूली फेर बदल कर अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन बढ़ाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए उन्हें नया लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, (क) में उल्लिखित बिना लाइसेंस की अवधि में इस सुविधा के लिए यह शर्त थी कि वह क्षमता उसमें उल्लिखित 100 मी० टन प्रति दिन अथवा 200 मी० टन प्रति दिन, जैसी भी स्थिति हो, तक होगी।

औद्योगिक सम्बन्धों की मूल और प्रगतिशील नीति

*408. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द मजदूर सभा और अखिल भारतीय कार्मिक संघ काँग्रेस के नेताओं ने 13 मई, 1971 को केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि अपेक्षाकृत अधिक मौलिक और प्रगतिशील दिशा पर आधारित औद्योगिक सम्बन्धों की कोई नीति तैयार की जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विशिष्ट बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। तथापि, भावी औद्योगिक सम्बन्धों की नीति का समस्त प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

खाद्यान्नों पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्धों का हटाया जाना

*409. **राजमाता गायत्री देवी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खाद्यान्नों की सब से अधिक फसल को देखते हुए सरकार खाद्यान्नों के लाने-ले जाये जाने पर लगाये गये क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हचटाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Export of Steel

*410. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to reduce considerably the export of steel this year ;

(b) if so, its likely effect on India's foreign trade ; and

(c) its likely effect on the position of India in the world market and on the Indian industries proposed to be set up in the foreign countries in future ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Mohan Kumaramangalam) : (a) Yes, sir. The Government is following a regulatory policy in respect of exports so that a proper balance is achieved between the need to satisfy indigenous demand for prime steel, and to promote exports.

(b) and (c) : There is not likely to be any major effect on India's Foreign Trade, seen in an overall context. Increased domestic availability of steel for engineering export industries would help in the export of materials of higher added value than prime steel. As for supplies of steel to Indian Industries to be set up in foreign countries; decisions are taken on a case to case basis in the light of prevailing circumstances.

Production of Triple-Gene Dwarf Wheat

*411. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether more success has been achieved in the production of triple-gene dwarf wheat than that of any other variety of wheat in the country ;

(b) if so, the areas in the country where triple-gene dwarf wheat can be successfully cultivated indicating the various methods of its cultivation ;and

(c) whether Government have ascertained that triplegene dwarf wheat can also be produced in the same proportion in dry areas where proper irrigation facilities are not available ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) It is not possible to make any such assessment at this stage. Research work on Triple-Gene-Dwarf Wheats is in progress at different research stations in the country. Three such varieties were released in the last crop season. But the area covered is limited because of limited seed supply. Full Potentials of these varieties will be known after they are taken up for large scale cultivation.

(b) These varieties have so far been recommended for Punjab, Haryana, Western U. P., Rajasthan, Delhi and the Tarai region of U. P. Their method of cultivation may vary from place to place according to the soil and climatic conditions. Basically it is not different from that employed in the cultivation of other dwarf wheat varieties.

(c) At present, these varieties are not considered very suitable for cultivation in dry areas.

अग्निगुन्डाला ताँबा सीसा परियोजना में अन्वेषणार्थ खनन

*412. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अग्निगुन्डाला परियोजना में अन्वेषी खनन के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है।

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) अन्वेषी खनन कार्यक्रम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : **(क) और (ख)** : अग्निगुण्डला ताम्र-सीमा प्रायोजना तीन खण्डों, अर्थात् वन्डलामोट्टू, नल्लाकोण्डा और घुकोन्ड़ा, को समाविष्ट करती है। वन्डलामोट्टू में समन्वेषी खनन कार्यक्रम जुलाई 1970 में प्रारम्भ हुआ जिसमें दो प्रवेश-मार्गों का अनुखनन प्रवेश-मार्ग सं० 1 का 550 मीटर की लम्बाई तक और प्रवेश-मार्ग सं० 2 का 240 मीटर की लम्बाई तक और 511 मीटर तक प्रवृत्त अनुखनन एवं 1761 मीटर तक का रेज। विन्ज संयोजन परिकल्पित है। 31-4-71 तक प्रवेश-मार्ग सं० 1 में 154 मीटर और प्रवेश-मार्ग सं० 2 में 110 मीटर तक अनुखनन की प्रगति थी। प्रवृत अनुखनन में 43 मीटर की प्रगति हुई।

जनवरी 1971 में नल्लाकोन्ड़ा में प्रारम्भ हुए समन्वेषी खनन कार्यक्रम में दो कूपकों का डुबाव, प्रधान कूपक का 200 मीटर की लम्बाई तक और सहायक कूषक का 100 मीटर तक,

ग्रौर 2 स्तरों पर 200 मीटर की ग्रनुदैर्ध्य लम्बाई तक एक खान का खोलना परिकल्पित है। इस समय 2 कूपकों का डुबाव कार्य प्रगति पर है।

धुकोन्डा ताम्र-सीसा निक्षेप नल्लाकोन्डा के पार्श्वस्थ है ग्रतः इसका विकास नल्लाकोण्डा के विकास के सहयोजन से सम्यक ग्रनुक्रम में करने का प्रस्ताव है।

(ग) ग्राशा की जाती है कि वन्डलामोट्टू का समन्वेषी खनन कार्यक्रम दिसम्बर 1972 तक ग्रौर नल्लाकोन्डा का कार्यक्रम जून 1973 तक पूरा हो जाएगा।

खाद्यान्नों से नियंत्रण हटाना

***413 श्री एस० सी० सामन्त : श्री राजदेव सिंह :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की सप्लाई में सुधार को ध्यान में रखते हुए क्या नियंत्रण को पूरी तरह से हटाने की सम्भावना है;

(ख) क्या राशन कार्ड धारियों द्वारा राशन की वस्तुग्रों की पूरी मात्रा नहीं खरीदी जाती तथा इस संबंध में राशन की दुकानों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; ग्रौर

(ग) भारत में उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन में नियंत्रण हटा दिया गया है तथा जिनमें नियंत्रण ग्रभी तक लागू है ग्रौर इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस सम्बन्ध में स्थिति को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-369/70]**

सरकार खाद्य नियंत्रण के बारे में वास्तविक नीति का ग्रनुसरण कर रही है। जब कभी खाद्य स्थिति का तकाजा होता है, उसमें ढील दी जाती है। स्थानीय परिस्थितियों तथा ग्रन्य सम्बन्धित तत्वों को ध्यान में रखते हुए ग्रप्रैल, 1971 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि इस समय पश्चिमी बंगाल में राशन व्यवस्था सम्बंधी विनियमनों में ढील देना वांछनीय नहीं होगा। पहली मई, 1971 से बम्बई में गेहूँ तथा गेहूँ के उत्पादों से राशन व्यवस्था हटाली गई थी। ग्रब मुख्यतः चावल के बारे में नियंत्रण है। नई दिल्ली में सितम्बर, 1971 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 1971 के बाद रियायती ग्रायात को बन्द करने के सरकारी निर्णय के संदर्भ में चावल की ग्रान्तरिक ग्रधिप्राप्ति में वृद्धि करने को दृष्टि में रखते हुये चावल पर लगे प्रतिबन्धों को जारी रखा जाय।

पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के लिए सरकारी, गैर-सरकारी ग्रौर विदेशी एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता

*414. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम ग्रौर पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व बंगाल के शरणार्थियों को सरकारी, गैर-सरकारी ग्रौर विदेशी एजेंसियों द्वारा किस ग्रनुपात से ग्रौर वास्तव में कितने मूल्य की सहायता दी जा रही है तथा उसका किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भारत सरकार ने विशुद्धतः मानवता के आधार पर राजनैतिक संघर्ष और सैनिक दमन के कारण पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को आवश्यक राहत सहायता देने का निश्चय किया है। इस सन्दर्भ में किए जा रहे सम्पूर्ण खर्च को भारत सरकार वहन कर रही है। समस्या के आकार को देखते हुए भारत सरकार ने राहत कार्यों को चलाने के लिए सभी देशों की सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से आवश्यक सहायता देने की अपील की है। विदेशी एजेंसियों तथा साथ ही गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों से अब तक प्राप्त सहायता होने वाले खर्च के सन्दर्भ में बहुत अधिक नहीं है। अब तक हमें विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेन्सियों से केवल लगभग 14 करोड़ रुपए की या तो सहायता प्राप्त हुई है या सहायता मिलने के आश्वासन प्राप्त हुए हैं।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, विदेशी सरकारों और स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त सभी तरह की सहायता के प्रयत्नों का समन्वय करने तथा शरणार्थियों की आवश्यकतानुसार इसका उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक केन्द्रीय समन्वय समिति स्थापित की गई है, जिसमें सरकार के सम्बन्धित विभागों तथा अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हैं।

विभिन्न शिविरों में उनकी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के आधार पर प्राप्त सहायता के उपयुक्त वितरण को सुनिश्चित करने के लिए शाखा सचिवालय, कलकत्ता में भी इसी तरह की एक समन्वय समिति स्थापित की गई है।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए रूस से उपकरणों का आयात

*415. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राँची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम के लगातार असफल रहने के कारण वोकारो इस्पात कारखाने के लिए रूस से उपकरण मंगाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो रूस से प्रस्तावित आयात की लागत क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : भारी इंजीनियरी निगम राँची से हाल में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बोकारो इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों के निर्माण हेतु सोवियत रूस से 750 लाख रुपये के मूल्य के लगभग 5000 टन पूरक साज-सामान का आयात करने की अनुमति माँगी है। साज-सामान के व्यौरे तथा मात्रा के बारे में रूसी प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है।

आयात किये जाने वाले प्रस्तावित साज-सामान में 1125 टन रेल के डिब्बे हैं, जिनके निजी क्षेत्र से प्राप्त न होने के कारण आयात करना पड़ रहा है। शेष साज-सामान बोकारो का आयात इसलिये किया जा रहा है ताकि वोकारो इस्पात कारखाने को निर्माण अनुसूची के अनुसार पूरा करने में देरी न हो क्योंकि भारी इंजीनियरी निगम तथा इसके गढ़ी तथा ढली वस्तुओं के कुछ संभारक प्रदान अनुसूची के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल रहे हैं।

ब्रिटेन और अमरीका में स्थित सप्लाई मिशनों में कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताएं

*416. **सी० चित्तिबाबू** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और अमरीका में सप्लाई मिशनों की कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत पूर्ति मिशन, लंदन में कर्मचारियों की संख्या 200 से घटाकर 169 की जा रही है, और भारत पूर्ति मिशन, वशिंगटन में कर्मचारियों की संख्या 111 से घटाकर 101 की जा रही है।

Survey of Underground Water in Maharashtra by World Bank Team

*417. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minitster of **Agriculture** br pleased to state :

(a) whether a team from the World Bank has conducted a survey in Maharastra for underground water in regard to a scheme costing Rs.63 crores ;

(b) if so, the results thereof ;

(c) whether Government propose to provide this facility to other States also and

(d) if so, in what manner ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A World Bank Mission visited India during March-April, 1971 to appraise a composite Agricultural Credit Project for Rs. 62.14 crores on Development of Ground Water Resources, Land and Farm Mechanisation in the State of Maharashtra.

(b) The report of the Mission is awaited.

(c) and (d) The World Bank have agreed to finance the agricultural credit projects in the States of Gujarat, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Harayana. Project for the State of Mysore has been appraised by the World Bank and for the States of U. P. and M. P. and Bihar are under preparation.

Increase in Wages of Textile Workers

*418. **Shri M. C. Daga** · Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the increase made in the wages of workers of 'Textile Industries' in public sector in the country during the last two years ;

(b) the basis for such increases ; and

(c) whether the wages of these workers have not been increased in proportion to the increase made in the salaries of other Government employees on account of the rising prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : **(a) to (c)** : A Second Central Wage Board for the cotton textile industry was set up in 1964 and its recommendations were accepted by the Government in terms of their Resolution No. WB-8(15)/68 dated the 17th May, 1969. The position of implementation of the Wage Board's recommendations in the mills in the public sector and also those managed through authorized controllers is being ascertained.

खाद्यान्न के समाहार में भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही

*419. **श्री पीलू मोदी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1971 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की धीमी गति से वसूली की जाने के कारण किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी है,

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने निगम की लापरवाही तथा बेमौसमी भारी वर्षा और ओलों से किसानों को हुई कुल हानि का कोई अनुमान लगाया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) : सरकार का ध्यान 24 मई, 1971 के स्टेट्समैन की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जो कि गलतफहमी पर आधारित मालूम पड़ती है। चालू मौसम में गेहूँ की अधिप्राप्ति दर पिछले दो वर्षों की उसी अवधि की अपेक्षाकृत बहुत ऊंची है। 3 जून, 1971 तक मौजूदा मौसम में गेहूं की अधिप्राप्ति 28.81 लाख मी० टन थी जबकि 1970–71 और 1969–70 के वर्षों की उसी अवधि में वह क्रमशः 16.28 लाख मी० टन तथा 15.12 लाख मी० टन थी। इतनी कम अवधि में, इतनी भारी मात्रा में अधिप्राप्ति करने से कुछ कठिनाइयाँ तथा शिकायतें पैदा हो ही जाती हैं और इन्हें सामायिक कार्यवाही कर दूर किया गया है।

2. दुर्भाग्यवश उत्तरी भारत के कुछ भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में असामाजिक वर्षा होने से फसलों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा था। इससे हुई क्षति का अन्दाजा लगाया जा रहा है। अधिकाँश क्षति या तो छटाई के लिए पड़े अनाज अथवा किसानों के पास खलिहान में पड़े अनाज के बारे में हुई है। यह एक अप्रत्याशित दैवी विपदा थी जिसके लिए किसी भी संगठन पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। तथापि, भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने गेहूँ की खरीदारी के लिए निर्दिष्टियों में ढील देकर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तात्कालिक पग उठाये थे ताकि भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियाँ जो गेहूँ की अधिप्राप्ति का कार्य कर रही हैं, द्वारा यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा से प्रभावित गेहूं अधिप्राप्त किया जा सके।

शरणार्थियों की वित्तीय सहायता के लिये पाकिस्तान से अनुरोध

*420. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान सरकार से अतिरिक्त वित्तीय तथा अन्य भार वहन करने का अनुरोध किया है, जो शरणार्थियों के भारत में आने के कारण भारत पर पड़ गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्च आयुक्त को एक नोट दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि भारत सरकार को इन पाकिस्तानी नागरिकों को राहत देने में जो अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ रहा है तथा अन्य भार सहना पड़ रहा है, उसकी पूर्ण अदायगी का पाकिस्तान सरकार से दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने इस माँग को पूर्णतया अग्राह्य मानते हुए अस्वीकार कर दिया है।

खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के पास सम्पत्ति का रहन रखा जाना

*1763 **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज रियायत सम्बन्धी नियम, 1960 के अन्तर्गत, वित्तीय संस्थानों को सम्पत्ति रहन रखने के लिये अनुमति देने में कितना समय लगता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्यस्थता के लिये कितने मामले आये हैं और इन मामलों को निबटाने में कितना समय लगा है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा आवेदन पत्रों के निपटाये जाने के लिए एक वर्ष की जो संविहित अवधि रखी गयी है वह पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) यह विदित नहीं है, क्योंकि अनुज्ञा राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त की जाती है। यदि उसका निबटारा 12 मास के भीतर नहीं किया जाता है तो आवेदन-कर्ता को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 54 के अधीन भारत सरकार को पुनरीक्षण अर्जी दे।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को नौ मामले प्राप्त हुए जिनमें से एक महिने की कालावधि में चार मामले, दो मास की कालावधि में दो मामले निपटाए गए, और बाकी तीन मामलों का निपटान लगभग पाँच से सात मासों की कालवधि में किया गया।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

Loss to Farmers of Madhya Pradesh Due to use of Defective RS-09 Tractors

1764. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the RS-09 tractors which were supplied by the German Democratic Republic have been used in agricultural operations in Madhya Pradesh also and whether these have resulted in loss to the farmers there ; and

(b) if so, whether Government propose to pay compensation to such farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No RS-09 tractors were allotted to the Madhya Pradesh Agro-Industries Corporation and distributed to farmers in the State :

(b) Does not arise.

दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग के श्रमिकों के सामने आई समस्याएं

*1765. **श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री टी० एस० लक्ष्मणन् :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण भारत की चीनी मिलों के कर्मचारियों और गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : जहाँ तक गन्ना उत्पादकों का सम्बन्ध है, सरकार चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर रही है। गन्ने के मूल्य के भुगतान के बारे में चीनी कारखानों द्वारा काफी अधिक बकाया भुगतान की सूचना दी गई है। सम्बन्धित राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे चीनी कारखानों से गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान कराने के लिए सरल से सरल उपाय करें। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित और उपाय किए गए हैं :—

1—संबंधित प्राधिकारियों से कहा गया है कि चीनी कारखानों के लिए अधिक बैंक पेशगियों की व्यवस्था करें जिससे वे गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान कर सकें।

2—बिक्री के लिए चीनी की निर्मुक्ति अब उत्पादन के अनुपात की बजाय चीनी के स्टाक के अनुपात में की जा रही है ताकि चीनी कारखानों के पास चीनी के स्टाक में असमानता घटाई जा सके।

3—25 मई, 1971 से चीनी के मूल्य, वितरण और संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है।

जहाँ तक चीनी कारखानों के श्रमिकों का संबंध है, मुख्य कठिनाई दूसरे केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित है। इस बोर्ड की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा मान ली गई हैं और राज्य सरकारें उनको कार्यान्वित करने का कार्य कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की वसूली का लक्ष्य

1766. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने रबी की चालू फसल में अनाज की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक अनाज की वसूली किस कीमत पर की जा रही है और ये मूल्य, वर्षवार प्रत्येक अनाज के लिये पिछले तीन वर्षों के मूल्य से कहाँ तक भिन्न थे ?

कृषि मन्त्रालय नें राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम राज्यों में मूल्य साहाय्य उपाय के रूप में गेहूँ की खरीदारी कर रहा है। अधिप्राप्ति के लिए ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि सरकार निर्धारित निर्दिष्ट के अन्दर आने वाली गेहूँ की समूची मात्रा को खरीदने के लिए वचनबद्ध है। तथापि, निगम ने यह अनुमान लगाया है कि वे देश में 1971–72 के विपणन मौसम में 40.25 लाख मीटरी टन गेहूँ खरीदेंगे। अन्य रबी खाद्यान्न जो कि माँग के अनुसार खरीदे जाते हैं, की खरीद के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) चालू मौसम में खाद्य निगम उचित औसत किस्म का गेहूँ (देशी लाल गेहूं छोड़कर) 76 रुपये प्रति क्विटल की दर से खरीद रहा है। निगम रबी के अन्य खाद्यान्नों को अपनी वाणिज्यिक खरीदारी के अंग के रूप में चल रहे बाजार मूल्यों पर खरीदता है। पिछले तीन वर्षों के मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में जिन मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की अधिप्राप्ति की गई थी, उन्हें बताने वाला विवरण ।

मद	1968–69	1969–70	1970–71
गेहूं ?	76 रु० (बढ़िया 81 रु०)	76 रु०	76 रु०
जौ	48.60 रु० से 55 रु० तक	57.81 रु० से 59.13 तक	60 रु० से 63.94 तक
साबुत अरहर	78.64 रु० से 89.34 रु० तक	कोई खरीदारी नहीं की गई थी।	कोई खरीदारी नहीं की गई थी ।
दाल अरहर	कोई खरीदारी नहीं की गई थी।	118 रु०	163.40 रु०
साबुत मसूर	कोई खरीदारी नहीं की गई थी।	116 रु०	101 रु०
दाल मसूर	132.50 रु०	137 रु०	कोई खरीदारी नहीं की गई थी ।

? देशी लाल गेहूं की किस्म छोड़कर ।

Setting up of a Aluminium Plant in Madhya Pradesh

1767. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether deposits of raw aluminium have been found in Rewa and Satna districts of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, whether any aluminium plant is proposed to be set up there ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) : No bauxite deposits of economic significance have so far been found in Rewa and Satna districts of Madhya Pradesh. A few occurrences of aluminous laterite and superficial bouldery deposits of bauxite have been reported from Jara Pahar, Raja Baba Pahar, Maharajpur Pahar, Sardah Pahar, Naro plateau, Amgar Sirgo hill, Jhalawar hill and Andhi hill in Satna district. There is no proposal to set up an aluminimum plant in either of these districts. A Public Sector aluminium plant is however, being set up in Korba, Bilaspur district, Madhya Pradesh, based on the bauxite deposits of Amarkantak and Phutkapahar areas.

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1768. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जमाखोरी और जोनल प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण तेल, चीनी, चावल, मिट्टी के तेल आदि जैसी वस्तुओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने कुछ उपायों का पता लगाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चावल (तथा अन्य खाद्यान्न) खाद्य तेल तथा चीनी के मूल्यों में 1970–71 के विपणन मौसम की अवधि में सामान्यतः स्थिरता के साथ क्रमिक ह्रास हुआ है। मिट्टी के तेल के मामले में, मूल्यों का निर्धारण अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्य निर्धारण) आदेश 1970 के अधीन किया जाता है और सरकार को बाजार में अपसंचय आदि के कारण इसके मूल्य में वृद्धि की कोई शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं। खाद्य तेलों, चीनी तथा मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में किसी प्रकार के क्षेत्रीय प्रतिबन्ध नहीं हैं। 25 मई, 1971 से चीनी के मूल्य, वितरण तथा संचलन पर से प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं, किन्तु समुचित मूल्य पर चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखने के लिये विक्रय के लिये चीनी की निर्मुक्ति का नियमन यथावत चलता रहेगा। चावलों के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्धों का उद्देश्य खाद्य नीति के लक्ष्यों की पूर्ति करना तथा विशेषकर अधिप्राप्ति लक्ष्यों की प्राप्ति और मूल्यों में अधिक वृद्धि को रोकना था। इस सम्बन्ध में अपसंचय की शिकायतें भी प्राप्त नहीं हुईं।

(ख) तथा (ग) : आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार देशीय उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यक्रम चालू करने के अतिरिक्त सभी संभव उपायों को, जैसे कि खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण तथा उनके संचलन पर प्रतिबन्ध, आयात/निर्यात का नियमन, बैंक ऋणों की शर्तों को कड़ा करना आदि अपना रही है।

सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच विवाद

1769. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सब केन्द्रीय मंत्रालयों को सम्बोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह सलाह दी गई है सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच विवादों के मामले में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की सलाह ले;

(ख) गत दो वर्षों में वर्षवार ऐसे कितने विवाद के मामलों में केन्द्रीय मंत्रालयों ने श्रम मंत्रालय की सलाह ली और कितने मामलों में श्रम मंत्रालय की सलाह नहीं ली; और

(ग) प्रक्रिया में सुधार करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : **(क)** जी नहीं।

(ख) और (ग) : इस प्रकार के मामलों में अंतर-मंत्रालय परामर्श की प्रक्रिया सामान्यतः पर्याप्त हैं। इस प्रकार के परामर्श, जो औपचारिक और अभिलिखित हों या अन्यथा उस समय किए जाएं जब अवसर हो, एक सतत प्रक्रिया हैं।

वर्ष 1969–71 में ट्रैक्टरों का आयात

1770. **श्री जदेजा** : **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान कुल कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया; और कितने देशों से आयात किया गया;

(ख) क्या स्वीकृत आयात की तुलना में वास्तविक आयात कम था;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष में कितने ट्रैक्टरों के आयात करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान निम्नलिखित ट्रैक्टर आये :—

वर्ष	देश का नाम	आये ट्रैक्टरों की संख्या
1969–70	रूस	4224
	चैकोसलोवाकिया	3050
	रुमानिया	1204
	पूर्वी जर्मनी	1998
		10476
1970–71	रूस	3000
	चैकोसलोवाकिया	5402
	पोलैण्ड	3200
	योगोसलाविया	650
	रुमानिया	1586
	इंगलैन्ड	1950
		14888

(ख) और (ग) : मंजूर आयात से वास्तविक आयात कई कारणों से कम थी। मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. विदेशी संभरणकर्ता ट्रैक्टरों की अपेक्षित संख्या देने में असमर्थ रहे।
2. विदेशी संभरणकर्त्ता के साथ मूल्य के बारे में समझौते में अधिक समय लगा।
3. ट्रैक्टरों के परीक्षण बुदनी में चल रहे थे और परीक्षण रिपोर्टों के जारी होने से पहले आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।
4. आर० एस०–09 ट्रैक्टरों की शेष संख्या का आयात बंद कर दिया गया।

(घ) वर्ष 1970–71 की आवश्यकताओं में से ट्रैक्टरों के आयात का कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है। 1971–72 के वित्तीय वर्ष में ट्रैक्टरों का वास्तविक आयात मंजूर किये गये कार्यक्रम और पिछले वर्ष में दिये गये आदेशों में से प्राप्त होने वाले ट्रैक्टरों की संख्या पर निर्भर होगा।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के जमा भण्डारों का निपटारा करने हेतु तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन

1771. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**   **श्री ए० के० गोपालन :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के भण्डार जमा हो गये हैं;

(ख) क्या तम्बाकू के उत्पादकों ने माँग की है कि तम्बाकू के बिना-बिके सुरक्षित भण्डारों को बेचने में सहायता देने के लिये एक तम्बाकू विकास बोर्ड का गठन होना चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सूचना मिली है कि आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का बिना बिका हुआ भण्डार नगण्य है।

(ख) तथा (ग) : भारत सरकार ने तम्बाकू बोर्ड को स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव पर विचार किया है और निर्णय किया है कि बोर्ड के संविधान की आवश्यकता नहीं है।

Economic Development of Rural Areas

1772. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it was observed in a symposium organised by the National Council of Applied Economic Research that in order to accelerate the pace of economic development in rural areas, it is absolutely necessary to increase the present number of markets from two thousand to fourteen thousands ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) It was stated in a background paper prepared in connection with a Seminar on Market Towns and Spatial Development organised in April, 1971 by the National Council of Applied Economic Research that on the basis that a market centre can adequately service a radius of 12 miles, 12,500 to 14,000 market towns would be needed ; in that paper itself not much significance had been attached to that figure.

In its final deliberations, the Seminar came to the conclusion after much discussion that as there already exists a network of inter-related markets emphasis should be on the strengthening of these markets rather than on the creation of new market towns.

(b) As the Seminar has not suggested setting up of new market towns, the question does not arise.

भारतीय फलों की निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिये एक एजेंसी की स्थापना

1773. **श्री बाल तन्डायुतम :** **श्री मुरुगनन्तम :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय फलों का अनुसन्धान एवं विकास करने और उनकी निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिये कोई समन्वित एजेंसी स्थापित कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

Model Law for Cooperative Societies to expedite disbursement of Loans

1774. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state .

(a) whether the laws on cooperation in various States have so many defects that the members of the Cooperative Societies have to face a number of difficulties in getting immediate assistance in time · and

(b) if so, whether Government propose to formulate any model law for all the States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : (a) and (b) : The Government of India appointed a Committee in 1956 to make recommendations for a simple legislative measure generally suited to the whole country to facilitate co-ordinated progress of the movement. This Committee drafted a model cooperative societies Bill, model cooperative societies rules and a set of model bye-laws for certain important types of cooperative societies. The report of the Committee was forwarded to the State Government/Union Territories for necessary action.

The National Development Council also considered the question of simplification of cooperative law and procedure in its meeting held in 1958, so as to facilitate sound and rapid development of the cooperative movement. These suggestions were communicated, to the State Governments in 1959 for necessary action. The Government of India have also been frequently considering the question of rendering cooperative legislation an effective means of economic development in general and rural development in particular, and recommending to the State Governments incorporation of suitable modifications in their laws. Some of the recommendations by the Government of India have positively had the effect of facilitating cooperative lending to the economically backward classes of rural society.

As a model framework of cooperative legislation, however, the recommendations of and the model legislation, by the cooperative law committee continue to hold good.

उड़ीसा में द्रुत रोजगार कार्यक्रम

1775. **श्री पी० के० देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के देहातों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाए जाने वाले द्रूत कार्यक्रम का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलवाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : चौथी योजना (1971-72 से 1973—74 तक) के शेष तीन वर्षों में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अंतर्गत 12.50 लाख रु० प्रति जिला प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था है। इस योजना में प्रत्येक जिले में कम से कम 1,000 व्यक्तियों को वर्ष भर में लगभग 10 महीनों के लिए अधिक से अधिक 100 रु० प्रतिमास प्रति व्यक्ति तक की मजदूरी पर रोजगार देने की परिकल्पना की गई है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में इस योजना के अंतर्गत दो जिलों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इनकी जाँच की जा रही है।

Crash Programmes to solve unemployment Problem in Rural Areas of Rajasthan

1776. **Shri Shivnath Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of unemployed persons in Rajasthan, who have been provided with employment upto 15th May, 1971 under the Crash Programme to solve unemployment problem in rural areas which was to be enforced from 1st April, 1971 ;

(b) the names of the districts/blocks where this programme has not been enforced by May, 1971 , and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (c) : Various projects under the Crash Scheme for Rural Employment will be executed in 12 districts of the State of Rajasthan shortly. Some proposals were received from the State Government earlier but they did not conform to the guidelines issued by the Central Government. Revised proposals in respect of the following 12 districts were received on the 4th June and were approved by the Central Government on the 5th June, 1971 :

1. Ajmer.
2. Alwar.
3. Bharatpur
4. Bundi.
5. Chittorgarh.
6, Jalore.
7. Jaipur.
8. Kota
9. Pali
10. Sikar.
11. Tonk.
12. Sirohi.

Proposals in respect of the remaining districts are awaited.

2. About 1,000 persons are to be given employment in each district.

त्रिपुरा में कर्मचारी भविष्य निधि के दावे

1777. **श्री दशरथ देव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :.

(क) वर्ष 1970-71 तक त्रिपुरा में कर्मचारी भविष्य निधि के दावों के कितने मामलों का निबटारा होना बाकी था;

(ख) क्या अगरतल्ला में क्षेत्रीय कार्यालय न होने के कारण कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए अपने दावों का निबटारा कराने में उसकी सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अगरतल्ला में एक अलग क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन

निधि अधिनियम, 1952 के ,अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) 31–3–71 को, त्रिपुरा के सम्बन्ध में जिन दावों का निपटारा नहीं हुआ था उनकी संख्या 152 थी।

(ख) दावों के निपटारे के लिए किसी भी सदस्य के लिए प्रादेशिक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं है।

(ग) जी हाँ।

(घ) त्रिपुरा से संबंधित लेखों के कार्यभार को देखते हुए त्रिपुरा के लिए एक अलग कार्यालय खोलना उचित नहीं है।

बंगाल देश के शरणार्थियों के लिये सहायता

1778. **श्री एस० सी० सामन्त :** **श्री चन्द्रप्पन :**
श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये किस किस देश से कितनी-कितनी सहायता प्राप्त हुई और उक्त सहायता किस रूप में प्राप्त हुई है; और

(ख) आन्तरिक स्रोतों से कितनी सहायता प्राप्त हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को राहत के रूप में विभिन्न देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी–370/71**]

(ख) आँतरिक स्रोतों से अधिकांश सहायता सीधे राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त हुई है। विस्तृत ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

भूमि जल स्रोतों और कृषि में यंत्रों के प्रयोग के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

1779. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने भूमि जल स्रोतों और कृषि में यंत्रों के प्रयोग के विकास के बारे में परियोजनाएं विश्व बैंक को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) क्या इसके लिए कोई धनराशि स्वीकृति की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, मैसूर और महाराष्ट्र।

(ग) उपरोक्त 7 राज्यों में से अभी तक विश्व बैंक ने निम्नलिखित 5 राज्यों के लिये ऋण मंजूर किये हैं जो इस प्रकार हैं :—

राज्य	डालरों में राशि
1. गुजरात	350 लाख
2. पंजाब	275 "
3. आन्ध्र प्रदेश	244 "
4. तमिल नाडु	350 "
5. हरियाणा	250 "

मैसूर और महाराष्ट्र के शेष दो राज्यों की परियोजनाओं का विश्व बैंक ने मूल्यांकन कर लिया है और उन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा हैं ।

फसल सुरक्षा प्रणाली

1780. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फसलों को बटाई करने वाले और गरीब किसानों की सहायतार्थ सम्पत्ति सुरक्षा ऋण पद्धति की बजाय समस्त भारत में फसल सुरक्षा ऋण प्रणाली लागू करतने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : देश में सभी सहकारी ऋण समितियों ने फसल ऋण प्रणाली अपना ली है । जिसके अन्तर्गत किसानों को उत्पादन कार्यक्रमों तथा ऋण अदायगी क्षमता के आधार पर ऋण दिया जाता है । भारतीय व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्तीयकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत के आधार पर ऋण देने के स्थान पर फसल-ऋण प्रणाली को अपनाया जाए। अतः सरकारी नीति फसल ऋण प्रणाली के आधार पर छोटी अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। पट्टेदार तथा वटाइदार भी अपने उत्पादन कार्यक्रम तथा ऋण अदायगी क्षमता के आधार पर उत्पादन कार्य के लिए थोड़ी अवधि के ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।

बंगला देश की जनता के लिये चलता फिरता अस्पताल

1781. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की जनता की सहायता के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ चलते फिरते अस्पताल भेजे गये थे ; और

(ख) बंगला देश की जनता को भारत की ओर से और क्या सहायता दी गई थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) "बंगला देश के लोगों" की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल में कोई चल अस्पताल नहीं भेजा गया है । भारत में चल अस्पताल की सुविधाएं केवल पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के लिए उपलब्ध हैं ।

(ख) कोई नहीं । सरकार द्वारा पूर्वी बंगाल के उन शरणार्थियों को जो भारत के सीमावर्ती राज्यों में आए है, राहत तथा चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं ।

पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों को स्कूलों तथा कालेजों की इमारतों में शरण दिया जाना

1782. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्कूलों और कालेजों की इमारतों में रखा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितनी शिक्षा संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या शरणार्थियों को शरण देने के लिये इन शिक्षा संस्थाओं को बन्द रखा गया; और

(घ) इन शिक्षा संस्थाओं को खोलने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) से (घ) : सीमावर्ती राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा की मेज पर रख दिया जाएगा ।

खाद्य तथा कृषि संगठन की प्रोटीन सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

1784. **श्री पी० गंगा देव :** **श्री निहार लास्कर :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन की प्रोटीन सलाहकार ग्रुप के प्रतिवेदन को देखा है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अल्प विकसित देशों में 5 वर्ष से कम आयु के 1 करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चों को मृत्यु का खतरा है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रभावित देशों के नाम क्या है;

(ग) क्या प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में जहाँ बड़ी संख्या में बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक दूध से कम मात्रा में दूध उपलब्ध होता है शेवाल का प्रयोग दूध के स्थान पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है;

(घ) यदि हाँ, तो भारत के बारे में अन्य किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) : प्रश्न में उल्लिखित प्रोटीन सलाहकार ग्रुप की रिपोर्ट की एक प्रति मंगवाई गई है और इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद माँगी गई सूचना सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्चायोग द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मंडल की सिफारिशे

1785. **श्री त्रिदिबा चौधरी :** **श्री समर गुह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्च आयोग के मुख्य आयुक्त श्री चार्लस मेस के नेतृत्व में आये त्रि-सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने जो पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों की समस्या का मूल्यांकन करने के लिये भारत आया था; लौटने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) इन शरणार्थियों को अल्पावधि तथा दीर्घावधि आधार पर दी जाने वाली सहायता के बारे में चार्लस मेस मिशन ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजदूत ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रतिवेदन के बारे में विचार विमर्ष करके उचित निर्णय ले जिससे

इन शरणार्थियों को सहायता देने के दायित्व और उन्हें दीर्घावधि निर्वाह खर्च देने के संबंध में सभी देशों का योगदान मिल सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) रिपोर्ट में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के सम्बन्ध में स्थिति की पृष्ठ भूमि का वर्णन किया गया है इसमें आतंकित, वस्त्रहीन तथा बुभुक्षित शरणार्थियों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है, उन्हें राहत देने के लिए भारत सरकर द्वारा की गई व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा यहाँ आई टीम को खाद्यान्नों, आश्रय स्थान, दवाइयों, यातायात आदि के लिए दी जाने वाली उन आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया गया है जिनका अनुमान उस समय 30 लाख शरणार्थियों के लिए छः मास के लिए लगाया गया था। रिपोर्ट इस आशय से बनाई गई है ताकि विदेशी सरकारें राहत की मात्रा का मूल्यांकन कर सकें जिसे वे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की सभी राष्ट्रों तथा गैर सरकारी संगठनों से आपात सहायता देने के लिए की गई अपील को ध्यान में रखते हुए देंगे।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से सम्पर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ई सी ओ एस ओ सी) की न्यूयार्क में 26 अप्रैल से 21 मई, 1971 तक हुई 50 वें सत्र की बैठक में भी भाग लिया है। हमारे प्रतिनिधि ने तीन विवरण दिए हैं--दो 12 तथा 17 मई, 1971 को परिषद की सामाजिक समिति में और तीसरा 21 मई, 1971 की प्लेनरी समिति में--जिनमें उन्होंने पूर्व बंगाल की समस्या के व्यापक पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है और शरणार्थी समस्या के हल के लिए ठोस सुझाव भी रखे हैं।

दिल्ली में नलकूप परियोजना की प्रगति

1786. **श्री अमरनाथ चावला :** **श्री शशि भूषण :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1971 के "ईवनिंग न्यूज" में 'ट्यूबवेल प्रोजेक्ट मैक्स नो हैडवे" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन के विकास विभाग ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा प्रायोजित व्यवहारिक पोषण परियोजन (एपलाइड न्यूटरीशन प्रोजेक्ट) के अधीन नलकूप परियोजना के लिये धन प्राप्त किया था, उसे अपने पास रखा और बिना उपयोग किये वापस खजाने में जमा करवा दिया था;

(ख) इतने लम्बी अवधि तक बिना उपयोग किये राशि को अपने पास रखने के क्या कारण हैं;

(ग) इस लापरवाही के लिए किन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) नलकूप कब तक लगाये जाने का विचार है, वे कहाँ-कहाँ पर लगाए जायेंगे और कितने नलकूप लगाए जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन, जिन्हें उस समाचार की जानकारी है जिसका कि हवाला दिया गया है, ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1970 को खजाने से निकाली गई धनराशि का उपयोग व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों के

निर्माण के लिए किया जा रहा है। यह सच नहीं है कि जिस कार्य के लिए धनराशि निकाली गई थी उसके लिए उपयो ग में लाए बिना उसे वापिस जमा कर दिया गया है। यहाँ यह भी कह दिया जाता है कि व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है और यूनीसेफ निर्दिष्ट उपकरण और कुछ नकदी अनुदान सुलभ करके सहायता देता है।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) 12 नलकूप लगाने का प्रस्ताव था। अब तक आठ लगाए जा चुके हैं। दो नलकूपों का काम बंद कर देना पड़ा, क्योंकि पानी नहीं मिल सका। दो अन्य नलकूपों का काम चल रहा है। उनके स्थान नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1)	राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला,	शिघु, अलीपुर खण्ड	इन नलकूपों का कार्य पूरा हो गया हैं।
(2)	” ” ” ”	पुठखुर्द ”	
(3)	”	टिकड़ी ”	
(4)	”	नरेला ”	
(5)	”	झरोड़ा नजफगढ़ कला खंड	
(6)	”	दौलतपुर ”	
(7)	”	जोती नागलोई खंड	
(8)	”	मुंडका ”	
(9)	”	बीकानेर अलीपुर खंड	इन नल कूपों का कार्य बंद कर दिया गया है।
(10)	”	कंकावला नांगलोई	
(11)	”	रिथाला ”	इन नल कूपों का कार्य चल रहा है।
(12)	”	रानीखेड़ा ”	

न्यू फ्रैन्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली के लेखों का परीक्षण

1788. **श्री एस० एन० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू बम्बई सहकारी समिति अधिनियम 1925 की धारा 124 (1) के अनुसार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति ने प्रति वर्ष न्यू फ्रैन्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली के लेखों की परीक्षा की है; और

(ख) क्या इस चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति जिसमें जून, 1970 को समाप्त करने वाले वर्ष की समिति की लेखा परीक्षा की थी, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की गई थी।

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) न्यू फ्रेंड्स कोआपरेटिव हाउस

बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली, की सांविधिक लेखा-परीक्षा दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीयक के नामितों द्वारा वर्ष 1968–69 तक की गई हैं।

(ख) जून, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष की सांविधिक लेखा-परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। सनदी लेखापाल, जिसके द्वारा इस वर्ष के लेखाओं की परीक्षा की गई बताई गई हैं, की नियुक्ति सहकारी समितियों के पंजीयत द्वारा नहीं की गई थी।

1789. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की क्रियान्विति में कुछ कमी हो गई है; और

(ख) कितनी कमी हुई है और इसके लिये कौन से तत्व जिम्मेदार हैं जैसे प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की कमी आदि;

श्रम और पुनर्वास मंत्रलय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सन् 1970–71 के अन्त में नियुक्त शिक्षुओं की यथार्थ संख्या 46,438 थी जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 75,000 था। इससे भी अच्छी प्रगति की जा सकती थी। कतिपय तथ्य जिनके कारण इस दिशा में विकास की तेजी कम रही है वे है कुछ संस्थापनाओं द्वारा पर्याप्त उत्साह का प्रदर्शन न करना, छोटे संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, शिक्षुओं को मिलने वाली वृत्ति-दर की अपर्याप्तता तथा होस्टल सुविधाओं का अभाव।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा आन्ध्र उर्वरक परिवहन घुटाले की जाँच

1790. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **श्री बी० एन० रेड्डी** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली आन्ध्र उर्वरक परिवहन घुटाले की जाँच में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस जाँच के कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

कृषि मंन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो अभी इस मामले की जाँच कर रही है।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा दिये गये वर्तमान संकेतों के अनुसार जाँच में अभी 5 से 6 मास और लगने की संभावना है।

कृषि अर्थ व्यवस्था के गिरे हुए स्तर में सुधार

1791. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान चौथी पंचवर्षीय योजना को रोजगार प्रधान बनाने और कृषि अर्थ-व्यवस्था के गिरे हुए स्तर में सुधार करने के लिये उसका पुनरीक्षण किया जायेगा जिससे छोटे किसानों की आय काफी हो जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : योजना आयोग में चौथी पंचवर्षीय योजना का पुर्नमूल्यांकन किया जा रहा है। जिसका अन्य उद्देश्य के साथ प्रमुख उद्देश्य है कि इस योजना को अधिक से अधिक रोजगार-प्रधान बनाया जा सके। इस प्रश्न पर, कि छोटे किसानों के लिए, सीमान्त किसानों लिए तथा कृषि मजदूरों के लिए मौजूदा विशेष कार्य क्रमों का विस्तार मात्र ही पर्याप्त होगा अथवा उनमें परिवर्तन करना होगा, विचार किया जा रहा है।

कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों के प्रभाव का अनुसन्धान

1792. **श्री पी० वेंकटसुब्बय्या** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों द्वारा उपयोग किये जाने वाली कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों का कीटाणुओं के नियंत्रण पर प्रभाव समाप्त होता जा रहा है क्योंकि अब फसलों पर इन रोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है; और

(ख) क्या इस स्थिति में सुधार करने के लिये कोई अनुसन्धान कियो जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कीटों के नियंत्रण में कीटनाशी औषधियों की प्रभावहीनता की समस्या प्रगतिशील देशों में बड़ी गम्भीर बन चुकी है। किन्तु भारत में यह अभी ही प्रारम्भ हुई है। जिन मामलों में निश्चित रूप से ऐसे लक्षण मिले हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) खेतों में पाये जाने वाले कीटों में सिंघाडा बोंटल पर बी एच सी तथा डी डी टी और तम्बाकू की सूडी पर बी एच सी की प्रभावहीनता (ख) भंडारित अनाजों में पाये जाने वाले कीटों में रेड फ्लौर बीटल पर मैलाथिओन की प्रभावहीनता। खेतों में पाये जाने वाले कीटों की प्रतिरोधकता अभी तक स्थातीकृत हैं, किन्तु भंडारित उत्पादों के कीटों पर मैलाथिओन की प्रभावहीनता अनेक स्थानों पर पाई गई है।

(ख) जी हाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक मुख्य कृमि पर विभिन्न कीटनाशी औषधियों की सापेक्षिक विषाक्तता का आवधिक निर्धारण, कीड़ों की कीटनाशी प्रतिरोधकता के विकास तथा उनकी अन्य पशुओं के प्रति प्रतिरोधकता का अध्ययन और जैसे ही इन प्रतिरोधकताओं का पता लगे इन समस्याओं का तदर्थ समाधान भी सम्मिलित है।

फेरोमेंगानीज के निर्माण के लिये आवेदन पत्र

1793. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 को फेरोमैंगानीज के निर्माण के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे;

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस वर्ष में कितने आवेदन-पत्रों की सिफारिश की थी; और

(ग) ये कारखाने कहाँ और कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) सरकार को मेसर्स यूनिवर्सल फेरो एण्ड फिलिप ब्रदर्स (इण्डिया) लि० बम्बई द्वारा मानकनगर, तुमसर

(महाराष्ट्र) में 45,000 टन हाई कार्बन तथा लो कार्बन फेरोमैंगनीज के उत्पादन के लिए एक नया औद्योगिक उपक्रम लगाने के बारे में औपचारिक रूप से केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर 31-3-71 तक सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यह कारखाना कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि यह पूंजीगत उपकरणों आदि के आयात जैसे कई दूसरी बातों के समय पर पूरा किए जाने पर निर्भर है।

(ग) ऐसे मामलो में खनिज तथा व्यापार निगम की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान उद्योग का विकास

1794. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उद्यान उद्योग के विकास के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

चतुर्थ योजना में बागवानी उद्योग के विकास में इन बातों पर विशेष बल दिया गया है : (1) लोगों की कुछ निम्नतम आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिये सामान्य उत्पादन में वृद्धि; और (2) ताजे फलों तथा फल उत्पादों के निर्यात के लिये विस्तृत बाजारों की प्राप्ति के लिये उत्पादन में वृद्धि, जिससे कि विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में अर्जित की जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निम्न कार्यक्रमों को विकसित किया जा रहा है :—

(क) राज्य क्षेत्र कार्यक्रम :

(1) नये फलोद्यानों की स्थापना के सम्बन्ध में सेबों के लिये 1500 रुपय प्रति एकड़; अन्य पर्वतीय फलों के लिये 1,000 रुपये प्रति एकड़; अंगूरों के लिये 3,000 रुपये प्रति एकड़, अन्य फलों के लिये 500 रुपये प्रति एकड़, केले तथा अनन्नास के लिये 1,000 रुपये प्रति एकड़ के दीर्घकालीन ऋण दिये जाने की सिफारिश की जा रही है।

(2) नयी किस्मों के फलोद्यानों एवं नर्सरियों की स्थापना पर बल।

(3) मालियों के प्रशिक्षण को तीव्र करना।

(4) सघन कृषि द्वारा वर्तमान फलोद्यानों का पुनर्जीवन।

(5) बड़े तथा औद्योगिक नगरों में शाक-सब्जियों की सघन कृषि तथा शाक वाटिकाओं की अभिवृद्धि।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

फलों (केला, आम तथा अनन्नास) और निर्जलीकरण के लिये प्याज का उत्पादन और निर्यात कितनी संगठित करने के लिये दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें विचाराधीन हैं।

Request for Financial help from Bihar for Rural Unemployment Programme

1795. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 1.75 crore has been given to Bihar in connection with the crash programme for removal of rural unemployment ;

(b) if so, whether the Government of Bihar have demanded a sum of Rs. 5 crores under this scheme ; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) to (c) : The Government of Bihar has been sanctioned a sum of Rs. 212.50 lakhs for 1971-72 for the seventeen Dstricts in the State under the Crash Scheme for Rural Employment. The allocation is based on the standard provision of Rs.12.50 lakhs per district per year under the Scheme The State Government had requested for an allocation of Rs 4 crores The request of the State is under the examination of the Central Government

देहातों में रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा और केरल को केन्द्रीय सहायता

1796. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहातों में बेरोजगारी दूर करने के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या केरल और हरियाणा जैसे राज्यों ने शिकायत की है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के लिये उनको दी गई राशि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन राज्यों को अतिरिक्त राशि दी जायेगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : ग्राम रोजगार के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्रतिवर्ष 12.50 लाख रु० प्रति जिले की दर से दिए जाते हैं। केरल तथा हरियाणा सहित कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि 12.50 लाख रु० प्रति जिले के आधार पर देने के बजाय यह धनराशि जिलों में खण्डों की संख्या के अनुसार अथवा जिलों की ग्रामीण आबादी के अनुपात में दी जाए। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिल नाडु, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान के राज्यों और अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन व दीव, मणिपुर, पांडिचेरी, त्रिपुरा, चंडीगढ़ और लकादीव, मिनीकाय तथा अमिनदीवी द्वीपसमूह के केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके हैं। राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवश्यक धनराशि दे दी गई है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मु तथा काश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, मैसूर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों और नेफा के केन्द्र शासित क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की जाँच की जा रही है और उन्हें शीघ्र ही मंजूरी दे दी जाएगी।

रक्षा मंत्रालय को टैंक आरमर प्लेटों की सप्लाई

1798. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** **श्री एस० एम० कृष्ण**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय द्वारा टैंक आरमर प्लेटों के लिए दिये गये क्रयादेशों को पूरा करने में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड असफल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) : चूंकि इस मामले का सम्बन्ध प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं से है, अतः विस्तार से बताना लोक-हित में न होगा।

नियोजकों द्वारा देय कर्मचारी भविष्य निधि की राशियाँ

1799. **श्री मरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उद्योगों ने कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि में अपना अंशदान जमा नहीं कराया है ;

(ख) यदि हाँ, तो नियोजकों के नाम इस समय कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) चूक करने वाली कम्पनियों की सूची में उपर की दस कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवायी की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) : 31 दिसम्बर, 1970 को छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों की ओर नियोजकों और कर्मचारियों के हिस्से के भविष्य निधि अंशदान और अधिनियम की परिधि में आने से पहले की बकाया राशि के तथा छूट रद्द होने के कारण बकाया राशि के लगभग 1576 लाख रुपये बकाया थे।

(ग) ऐसे पहले दस छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के नाम जो 31 दिसम्बर, 1970 को दोषी प्रतिष्ठानों की सूची में सब से ऊपर थे, और उनकी ओर बकाया राशि नीचे दी गई है :—

प्रतिष्ठान का नाम	लगभग बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1—इंडिया यूनाइटेड ग्रुप आफ मिल्स, बम्बई।	262.22
2—इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लि०, इन्दौर	61.10
3—न्यु विक्टोरिया मिल्स कं०, लि०, कानपुर।	37.64
4—स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लि०, इन्दौर।	34.09
5—हिरा मिल्स लि०, उज्जैन।	31.87
6—शोलापुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि०, शोलापुर।	30.83
7—लक्ष्मी रतनकाटन मिल्स कं० लि०, कानपुर।	27.95
8—माडल मिल्स नागपुर लि०, नागपुर।	24.52
9—अर्थटन वेस्ट एण्ड कं० लि०, कानपुर।	21.58
10—सोमसुन्दरम मिल्स (पी) लि०, कोयम्बटूर	18.27

(घ) अधिकांश दोषी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजना वसूली कार्यवाहियों द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। कुछ दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विश्वास-भंग के कारण दंडनीय मामले भी शुरू किए गए हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने राज्य सरकारों/कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ तय की गई अदायगी की योजनाओं के अनुसार बकाया-राशि और वर्तमान देय-राशि की अदायगी के लिए समझौते किए हैं।

खोये की बिक्री पर प्रतिबंध से प्रभावित व्यक्तियों के लिये रोजगार

1800. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोया और खोया उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हर गर्मी के मौसम में बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रतिबंध के कारण कुल कितने बेरोजगार हो जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार ने किसी प्रकार के समाधान का कोई सुझाव नहीं दिया है क्योंकि जहाँ तक सरकार को जानकारी है, जो व्यक्ति खोये की बिक्री अथवा खोये के उत्पादों का व्यापार करते हैं, वे केवल इन उत्पादों का ही व्यापार नहीं करते अपितु अन्य मिठाइयाँ तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं भी बेचते है जो कि तंगी के दौरान जब कि खोये पर प्रतिबन्ध लगा होता है उनका रोजगार बनाए रखते हैं।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खान कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

1801. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुआ और बडागेमदा लौह अयस्क तथा मेंगनीज अयस्क खननों के कई श्रमिकों को जल तथा विद्युत् सुविधाओं से युक्त क्वार्टर नहीं दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने श्रमिकों को क्वार्टर उपलब्ध नहीं करवाये हैं;

(ग) ऐसे श्रमिकों की कुल संख्या क्या है जिनको आवास की सुविधायें दी जानी हैं; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बलगोविन्द वर्मा) (क) से (घ) : खान प्रबन्धकों द्वारा खानों में श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था की जाती है। जहाँ तक लोहा अयस्क खानों का सम्बन्ध है, आवास तथा अन्य सुविधाओं के मामले में खान प्रबन्धकों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए एक सांविधिक कल्याण निधि स्थापित की गई है। मैंगनीज खान श्रमिकों के लिए इस प्रकार की कोई सांविधिक कल्याण निधि स्थापित नहीं की गई है। अतः मैंगनीज श्रमिकों के सम्बंध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

गुआ और बाराजामदा लोहा अयस्क खानों में खान श्रमिकों के लिए निवास व्यवस्था संबंधी स्थिति के बारे में एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी–371/71]** ऐसे लोहा खान श्रमिकों की, जिनके लिए अभी आवास की व्यवस्था की जानी है, कुल संख्या 2384 है।

लोहा अयस्क खान उपकर कल्याण निधि से प्राप्त साधनों से अतिरिक्त मकान बनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आवास योजनाओं को कार्यान्विति के लिए उच्च प्राथमिकता दी जाती है। लोहा अयस्क खनिकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ आवास योजनाओं की सिफारिश करने के लिए 1969 में एक समिति भी स्थापित की गई। दो आवास योजनाओं के सम्बंध में इस समिति की सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी हैं और उन्हें कार्यान्विति के लिए अपनाया जा रहा है।

मैसर्स सोमसुन्दरम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर में भविष्य निधि अंशदानों का दुर्विनियोग

1802. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु में सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर के श्रमिकों की भविष्य निधि अंशदान की राशि के 19 लाख रुपयों के दुर्विनियोग की ओर दिलाया गया है;

(ख) भविष्य निधि की बकाया राशि को वसूल करने हेतु क्या सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) : 28–2–1971 को, मैसर्स सोमसुन्दरम मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिल नाडु ने भविष्य निधि अंशदानों के दोनों हिस्सों की लगभग 18.37 लाख रुपये की राशि अदा नहीं की थी। जुलाई, 1970 में, राज्य सरकार ने अनेक दोषी कपड़ा मिलों को, जिनमें यह प्रतिष्ठान भी शामिल था, भविष्य निधि की देय राशि को किश्तों में चुकाने की अनुमति दी थी परन्तु इस प्रतिष्ठान ने किश्तों की योजना का पालन नहीं किया। तदनुसार, समस्त राशि के लिए राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन के मामले जारी हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। बकाया राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार और जिला कलक्टर से भी सम्पर्क स्थापित किया गया है।

गन्ना मूल्य का समायोजन

1803. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य प्रतिस्पर्धा फसलों के मूल्यों के सूचकांक के आधार पर समायोजित किया जाता है जिससे कि गन्ने के मूल्य और प्रतिस्पर्धा फसलों के मूल्य के बीच क्षमता बनाये रखी जा सके;

(ख) गन्ने का न्यूनतम मूल्य नियत करने हेतु क्या उपरोक्त सिद्धान्त का एक आधार के रूप में अनुसरण करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) गन्ने का न्यूनतम मूल्य गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 में दिए गये तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। वे इस प्रकार हैं :—

(क) गन्ने की उत्पादन-लागत ;

(ख) वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को प्राप्ति और कृषिजन्य जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्त;

(ग) उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की सुलभता ;

(घ) चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है; और

(ड) गन्ने से चीनी की उपलब्धि।

(ख) और (ग) : वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को प्राप्ति और कृषिजन्य जिन्सों के मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे गन्ने के मूल्य-निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है।

चीनी उद्योग सम्बन्धी जाँच समिति

1804. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त जाँच समिति ने गन्ना उत्पादक संघ और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से उद्योगवार या राज्य बार बातचीत या सलाह लेने के कोई प्रबन्ध किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने समिति को इस बारे में कोई निदेश जारी किये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा की गई माँग के अनुसार प्रत्येक उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाने की क्या व्यवस्था की गई हैं; और

(घ) जाँच समिति को कार्य समाप्त करने के लिये कितना समय दिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : चीनी उद्योग जाँच आयोग में पहले ही ऐसे सदस्य हैं जो गन्ना उत्पादकों तथा चीनी कारखानों के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार ने भी उसके विचारार्थ विषय निर्धारित किए हैं। आयोग विचार-विमर्श करते समय तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले गन्ना उत्पादकों तथा चीनी कारखानों के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितों के प्रतिनिधियों, जिनको वे आवश्यक समझते हैं, से परामर्श करेंगे।

(घ) : 28 सितम्बर, 1970 को नियुक्त किए गए आयोग के निर्देश के अनुसार, आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वे 31 अगस्त, 1971 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन उन्होंने एक वर्ष तक समय बढ़ाने के लिए कहा है और यह मामला विचाराधीन है।

बिहार के बड़ागेमदा और गुआ क्षेत्र में मेंगनीज खानों में मजूरी बोर्ड के पंचाट का लागू किया जाना

1805. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार के बड़ागेमदा और गुआ क्षेत्र में लोह अयस्क और मैंगनीज की खानों में मजूरी बोर्ड के पंचाट के लागू न किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पंचाट को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन खानों में पंचाट को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 16 लोहा अयस्क खानों में से, 4 द्वारा मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के आंशिक रूप से क्रियान्वित किए जाने की सूचना मिली है। शेष 12 ने सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया। लोहक खानों के लिए कोई मजदूरी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया।

(ख) और (ग) : ये सिफारिशें कानूनन लागू नहीं होतीं और इनकी क्रियान्विति मुख्यतः अनुनय और परामर्श द्वारा करानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयास जारी है।

कोयला खानों में जल प्रदाय विषयक समिति की रिपोर्ट

1806. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जनवरी, 1967 को धनबाद में कोयला खनन विषयक औद्योगिक समिति के 10 वें अधिवेशन में कोयला खानों में जलप्रदाय की समस्या के सम्बन्ध में कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ! ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) से (घ): कोयला खनन सम्बंधी औद्योगिक समिति (30 जनवरी, 1967) के निर्णय के अनुसरण में स्थापित एक तीन-व्यक्ति उप-समिति ने जल प्रदाय योजनाओं की कार्यान्विति शीघ्र कराने और कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि की उपदान योजना के अंतर्गत कोयला-खान प्रबंधकों को अदायगी के लिए कुछ सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें और उनपर की गई कार्यवाही अनुबंध में बताई गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 273/71**]

कृषि क्षेत्र में जल प्रबन्ध

1807. **श्री पी० गंगा देव : श्री निहार लास्कर :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने कृषि वैज्ञानिकों से अनुरोध किया है कि कृषि क्षेत्र में जल का प्रबन्ध करें जिससे प्रत्येक वर्ष सैकड़ों एकड़ भूमि को पानी के खारीपन की समस्या से बचाया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि वह फसलों वाली खेती के माध्यम से देश में उपलब्ध पानी के स्रोतों का प्रयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जाना चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक जल-व्यवस्था प्रणाली पर बल देती हैं क्योंकि इसके द्वारा विशाल सिंचित क्षेत्र को लवणीय होने से बचाया जा सकता है।

(ख) जी हाँ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुफसली कार्यक्रम तथा जल-संसाधनों के वैज्ञानिक प्रयोग पर बल दिया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही बहुफसली कार्यक्रम तथा जल-व्यवस्था मार्गदर्शी परियोजनाएं लागू कर रखी हैं।

Crash Programme for Employment in Urban Areas

1808. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any crash programme to provide employment to the persons living in cities or whether Government propose to give some special financial or other assistance to them to start their own business ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) : No programme with this name has been evolved by Government for urban areas. Continuous efforts are, however, being made to create more and more employment opportunities for the unemployed persons (including those living in cities) through implementation of various development programmes included in the Fourth Five Year Plan in the field of agriculture, industry, transport, communication, irrigation and power and social services such as education, health and family planning.

A scheme entitled 'Training of and assistance to engineer entrepreneurs', with a view to facilitating self-employment among engineering graduates and diploma holders, is already in operation. The scheme envisages the organisation of training courses for these categories for facilitating them to develop into entrepreneurs. A provision of Rs. 3 crores (one crore for training programmes and two crores for giving financial assistance to those trained in setting up industries) has been made for this purpose in the 4th Five Year Plan. In addition, the lending policy of the State Bank of India and the Nationalised Banks is being amended to see that credit is easily available to persons who want to set up their own enterprises.

In the budget for 1971-72, a provision of Rs. 25 crores has been earmarked for schemes designed to give relief to educated unemployed, the benefit of which will also go to the educated unemployed in towns and cities.

इस्पात का निर्यात

1809. **श्री पी० गंगादेव :** **श्री निहार लास्कर :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि चालू वर्ष में इस्पात के निर्यात की अनुमति नहीं दी जायेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सरकार निर्यात के बारे में विनियमित नीति का अनुसरण कर रही है ताकि घरेलू माँग को पूरा करने की आवश्यकता तथा निर्यात को अधिकाधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता के बीच उचित संतुलन बना रहे।

विलेट री-रोलिंग समिति का गठन

1810 **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिलेट री रोलिंग समिति गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कृत्य होंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हाँ।

(ख) सम्बद्ध अधिसूचनाओं की एक एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी-373/71]**

Setting up of an Institute for Production of Vaccine for Mouth and Hoof Diseases of Cattle in Gwalior, Madhya Pradesh

1811. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the cattle in Madhya Pradesh generally suffer from mouth and hoof diseases, as a result of which a large number of them die every year ;

(b) whether at present its vaccine is being produced in a very limited quantity by the Indian Veternary Research Institute, Izatnagar ;

(c) whether Government propose to set up an institute in any district of Gwalior Division in Madhya Pradesh for producing the vaccine ;

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) As per the reports sent by the Directorate of Veterinary Services Madhya Pradesh, 13,059 cattle and buffaloes were affected with foot-and-mouth disease in their State during the year 1970, of which 13 animals were reported to have died.

(b) Yes, Sir. However, production capacity of the Indian Veterinary Research Institute in respect of foot-and-mouth disease vaccine has recently been expanded.

(c) There is no such proposal before the State Government.

(d) Production of foot and mouth disease vaccine involves highly sophisticated techniques and requires use of equipment, chemicals and glass ware, most of which are not indigenously available. It has recently been decided to avail of Danish assistance in setting up a production centre at Bangalore for increased production. The question of setting up other units can be examined only after some experience has been gained in running this centre.

Grant to Madhya Pradesh for Milk Supply Scheme

1812. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount of grant and quantity of milk powder given by Government to State Government of Madhya Pradesh during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 for the Milk Supply Schemes in the States ; and

(b) the total amount of grant and quantity of milk powder proposed to be given to the State Government during the financial year 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Milk powder was made available to Madhya Pradesh to even out milk distribution in Bhopal city during lean seasons when usually there is a fall in milk production. The quantity of milk powder given to Madhya Pradesh is as under :

1968-69	52.013 tonnes	(This was a grant as this was an assistance from World Food Programme.)
1969-70	28.000 tonnes	(13 tonnes grant W.F.P. supply and 15 tonnes commercial import).
1970-71	65.000 tonnes	(Commercial import).

(b) Allotment of 150 tonnes has been finalised and as against this, an allotment of 100 tonnes has been made to cover the requirement for the period April—June. The State Government have now requested for reduction in their demand from 100 tonnes to 70 tonnes.

Grant to Madhya Pradesh for Small Farmers Development Scheme

1813. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether about 75 per cent of farmers in Madhya Pradesh have even less than 10 acres of land ;

(b) whether the State Government have urged the Central Government to sanction at least five development schemes for that State keeping in view the number of such farmers in that State ;

(c) whether the State Government have asked for the grant for implementation of these schemes in Morena, Tikamgarh and Chattarpur districts ; and

(d) if so, the amount of grant asked for by the State Government and the action taken by the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture (Shri Jagannath Pahadia) :

(a) 74.4 percent of the small farmers in Madhya Pradesh have holding of 10 acres and below.

(b) and (c) : The State Government had indicated that they would like to have five S.F.D.A. projects for the State keeping in view the large number of small farmers in that State, but considering the pilot nature of the scheme and the desirability of trying out the experiment in different regions of the country and also keeping in view the administrative arrangements and other factors that would be relevant for ensuring the success of the programme, it was decided to allot three S.F.D.A. projects to Madhya-Pradesh on the same lines as most other States. After the sanction of the projects for Chindwara and Ratlam-Ujjain, the project for Bilaspur was sanctioned on the basis of the priority indicated by the State Government representatives. No project report for Tikkamgarh-Chattarpur districts was received by the Government of India.

(d) Each S.F.D.A. project will have an outlay of Rs. 1.5 crores (on the average) during the Fourth Five Year Plan period. On this basis the three projects in Madhya Pradesh would qualify for a total allocation of Rs. 4.5 crores, provided the progress in the projects is according to the approved programme.

It may be mentioned that in addition to the S.F.D.A. projects, two projects for marginal farmers (having holdings below 2.5 acres) and agricultural labourers, with an outlay of Rs. 1 crore, each, for Durg and Sehore districts are also under implementation in the State.

Uttar Pradesh Scheme for Rural Employment

1814. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received a scheme from the Government of Uttar Pradesh to provide employment in rural areas ;

(b) the amount of financial assistance sought by the State Government to implement the scheme ; and

(c) the number of persons who would be provided employment under the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have forwarded proposals for about Rs. 675 lakhs for 54 Districts in the State.

(c) The scheme envisages employment to at last 1,000 persons in each district for a period of about 10 months in a year at a wage not exceeding Rs. 100 per month per head.

Madhya Pradesh Scheme for Rural Employment

1815. **Shri Hukam Chand Kachhwai** : **Shri Onkar Lal Berwa** :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government has forwarded any scheme to the Central Government for creating employment potential in the rural areas of the State :

(b) the number of Districts in which employment opportunities are likely to be created in pursuance of the scheme and the extent to which such opportunities would be created in each Districts in the State as also the number of persons who are likely to be provided with employment in the initial stage ; and

(c) the amount of money received by the State Government during the financial year 1970-71 for the implementation of the aforesaid scheme and the amount sought therefor for the year 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. Proposals under the Crash Scheme for Rural Employment have so far been received for thirty nine districts in Madhya Pradesh. Proposals for sixteen districts have since been sanctioned.

(b) All the 43 districts in the State are proposed to be covered under the scheme. In every district at least 1,000 persons will be provided with employment for a period of about 10 months in a year at a wage not exceeding Rs. 100 per month per head.

(c) The scheme has been introduced from 1st April, 1971 as a Central Sector Scheme and no allocation was made during 1970-71. A total allocation ofl Rs. 537.50 lakhs is likely to be made to the Madhya Pradesh Government during the year 1971-72 at the rate of Rs. 12.50 lakhs per district per annum for its 43 districts.

विकलाँग खनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी समिति

1816. **श्री रोबिन सेन** : **श्री बी० एन० रड्डी** :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग खनिकों की समस्याओं और उनके पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करने के लिये खान सुरक्षा के महानिदेशक की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खान कर्मचारियों के कार्य के घंटों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

1817. **श्री रोबिन सेन :** **डा० सरदीश राय :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान कर्मचारियों के कार्य के घंटों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या है; और

(ग) यदि कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है तो देरी के क्या कारण हैं और रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) खान श्रमिकों में थकान की जाँच करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है। इसकी जाँच के आधार पर समति को ऐसी सिफारिशें करनी होंगी जो समुचित हों। इनमें काम के घंटों के सम्बन्ध में सिफिारिशें शामिल होंगी।

(ख) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) अनेक खानों में अभी जाँच-कार्य पूरा किया जाना है। रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की जा सकती है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में भेजना

1818. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** **श्री एच० एन० मुकर्जी :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और मेघालय के मुख्य मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में भेजने का निर्णय किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में भेजने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार ने अब 50,000 शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय शिविर, माना, मध्य प्रदेश भेजने का निश्चय किया है।

बारानी खेती वाले क्षेत्रों में व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना

1819. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बारानी खेती के अधीन व्यापारिक फसलों का उत्पादन बहुत कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप देश में इन उत्पादों की बहुत कमी हो गयी है; और

(ख) देश में व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या बारानी खेती वाले क्षेत्रों को कोई प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) बारानी खेती वाले क्षेत्रों में व्यापारिक फसलों के उत्पादन के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं : कपास, तिलहनों, आदि

इन फसलों के उत्पादन का वर्षा सिंचित क्षेत्र में ही बाहुल्य पाया जाता है। अतः मौसम की अनिश्चितता के कारण वर्ष प्रति वर्ष इन फसलों के उत्पादन में काफी परिवर्तन होता रहता है।

(ख) वारानी खेती वाले क्षेत्रों में इन व्यापारिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कोई विशेष प्रोत्साहन प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न व्यापारिक फसलों के विकास के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। वारानी कृषि विकास के अन्तर्गत एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना संस्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण परियोजनाओं के रूप में 24 मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। इसमें अपनाए जाने वाले शस्य-क्रम में व्यापारिक फसलें स्वतः ही आ जाएंगी। इसमें भाग लेने वाले किसानों को आदानों स्थायी निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना कार्यों के लिये ऋण तथा उत्पदान उपलब्ध कराए गये हैं।

नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय का स्थानान्तरण

1820. **श्री सी० डी० गौतम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय को स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसको किस स्थान पर स्थानान्तरित किया जायेगा और उसका स्थानान्तरण कब किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी कृषि फार्मों का कार्यकरण

1821. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में सरकारी कृषि फार्मों के कार्यकरण के क्या परिणाम निकले हैं और गत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना है अथवा नहीं;

(ख) प्रति एकड़ औसत उपज और उत्पादन लागत कितनी है और उस क्षेत्र के इर्दगिर्द के प्रगतिशील किसानों की सफलता की तुलना में उनकी स्थिति क्या है; और

(ग) उनको लाभकारी बनाने और उन्हें आदर्श फार्म बनाने हेतु यदि खेती के किन्हीं नए तरीकों को अपनाया गया है तो वे क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970–71 के कार्यकारी परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं क्योंकि भारतीय राज्य फार्म निगम का, जो केन्द्रीय राजकीय यन्त्रीकृत फार्मों का नियन्त्रण करता है, वित्तीय वर्ष कृषि वर्ष के साथ 30 जून 1971 को समाप्त होता है। तदनुसार, केन्द्रीय राजकीय फार्मों के वर्ष 1967–68, 1968–69 के कार्यकारी परिणाम विवरण में दिये गये हैं। वर्ष 1969–70 के दौरान सब फार्मों का कुल लाभ 33.81 लाख रुपये था।

(ख) सामग्री एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय राजकीय फार्म, गैर-सरकारी किसानों के लिए निश्चित रूप से आदर्श फार्म नहीं है, यद्यपि कई किसान प्रति वर्ष इन फार्मों का दौरा करते हैं। यह इन फार्मों का विस्तृत

क्षेत्र होने के कारण है, जो 6,000 एकड़ से लगभग 30,000 एकड़ तक है। केन्द्रीय राजकीय फार्मों के व्यापक उद्देश्य श्रेष्ठ बीजों का उत्पन्न करना, आधुनिक मशीनों के उपयोग का प्रदर्शन करके देश के कृषि यन्त्रीकरण में योगदान करना और गैर-सरकारी किसानों के लाभ के लिये वाणिज्यिक आधार पर भूमि समतलन तथा भूमि-विकास करना है। अधिकांशतः इन उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। केन्द्रीय राजकीय फार्मों के कार्य कृषि अनुसंधान संस्थाओं के कार्यों के समान नहीं हैं, यद्यपि, इन दोनों का काफी सम्बन्ध है। केन्द्रीय राजकीय फार्म, अनुसंधान संस्थाओं द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार अपने लाभ के लिये ही नहीं बल्कि समीपस्थ किसानों के लाभ के लिये भी सुधरी हुई कृषि तथा फसल सम्बन्धी पद्धतियों को तेजी से शुरू करते हैं।

विवरण

केन्द्रीय राजकीय फार्मों के कार्यकारी परिणाम

फार्म का नाम	वर्ष		(रुपये लाखों में)
	1969–70	1968–69	1967–68
केन्द्रीय राजकीय फार्म सूरतगढ़	44.49—लाभ	2.11—हानि	49.52—लाभ
केन्द्रीय राजकीय फार्म जेतसर	0.90—हानि	8.81—हानि	12.06—हानि
केन्द्रीय राजकीय फार्म हिसार	4.94—लाभ	0.59—हानि	—**
केन्द्रीय राजकीय फार्म रायचुर	3.05—हानि	—@	—**
केन्द्रीय राजकीय फार्म झरसुगुड़ा	8.93—हानि	17.13—हानि	5.70—हानि
केन्द्रीय राजकीय फार्म जलन्धर	0.31—लाभ	—@	—**
कुल लाभ या हानि	36.86—लाभ✓	28.64—हानि	31.76—लाभ

** फार्म स्थापित नहीं किया गया था।

@ कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये।

✓ मुख्यालय के व्यय सहित निगम का निबल लाभ 33.81 लाख रुपये था।

नोट—केन्द्रीय राजकीय फार्म, केरल ने केवल 1970–71 से कार्य करना शुरू किया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कार्य का अध्ययन

1822. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की तकनीकी खामियों का पता लगाने के लिए पूर्ण अध्ययन करने का आदेश दिया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो इसके निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस आरोप की जाँच करली है कि प्रबंधक उत्पादन को रोक रहे हैं और संयंत्र के चालन को रोकने में इसका सीधा हाथ है; और

(घ) इस आरोप का क्या आधार है और स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) : हाल में अध्ययन करने के लिए कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। सितम्बर, 1966 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कमियाँ तथा उनके कारणों का पता लगाने के लिए रुड़की विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप-कुलपति श्री जी० पाँडे की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अप्रैल, 1967 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि 19 जुलाई, 1967 को सभापटल पर रख दी गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट भी, 10 अप्रैल 1968 का सभापटल पर रख दी गई थी।

(ग) और (घ) : इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। जब काम बन्दी की घटनाएं आम हो गयी थी विशेषतया फरवरी और मार्च 1971 में कारखाने को क्षति से बचाने के लिए कुछ ऐहतियाती/सुरक्षात्मक उपाय करने पड़े। अतः उन दिनों में उत्पादन कम हुआ।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए योजनाएं

1823. **श्री चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नियमित रूप से सूखा से प्रभावित होने वाले क्षत्रों के विकास हेतु कोई विशेष योजनायें बनाई गई हैं :

(ख) यदि हाँ, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी जायगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : **(क) से (घ)** ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम देश में निरन्तर सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता करने के लिए एक विशेष योजना है। वर्षा की स्थिति तथा प्रतिमान सिंचित क्षेत्रफल की प्रतिशतता, सूखे की आवर्तित तथा व्यापकता आदि वस्तुपरक का कसौटियों के आधार पर देश के 54 जिलों को (राज्यवार सूची संलग्न है) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रम-प्रधान तथा उत्पादक योजनाओं का संगठन किया जाएगा जिससे कि कृषि मजदूरों को रोजगार दिया जा सके तथा इन क्षेत्रों में अभाव के प्रकोप को भी कम किया जा सके। ये योजनाएं मध्यम एवं छोटे पैमाने की सिंचाई (सभी पहलुओं) मृदा संरक्षण, वन-रोपण तथा ग्रामों एवं जिलों की सड़कों आदि से सम्बन्धित होंगी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए गैर-योजना केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। चुने हुए प्रत्येक जिले को कार्यक्रम की अवधि के दौरान लगभग 2 करोड़ रु० की राशि आवंटित की जाएगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी राज्य को उपलब्ध कराई जाने वाली कुल वित्तीय सहायता उस राज्य से चुने गये जिलों की संख्या पर निर्भर होगी। राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर मार्च 1971 तक के प्रत्याशित व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 1970–71 के लिए राज्य सरकारों को 9.05 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

विवरण

ग्राम निर्माण कार्यक्रम

ग्राम निर्माण कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये छांटे गये 54 जिलों की सूची

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर
		2. करनूल
		3. कडप्पा
		4. चित्तूर
		5. महबूब नगर
2.	बिहार	1. मुंगेर
		2. पालामऊ
		3. तीन उप-प्रभागों के लिये एक एकक अर्थात् गया जिले का नवाडा उप-प्रभाग और शाहाबाद जिले का भभुआ और ससराम उप-प्रभाग
3.	गुजरात	1. पंचमहल
		2. कच्छ
		3. जामनगर
		4. राजकोट
		5. अमरेली
		6. बनासकाँठा
		7. सुरेन्द्र नगर
4.	हरियाणा	1. मोहिन्द्रगढ़
5.	मध्य प्रदेश	1. झबुआ
		2. धार
		3. सीधी
		4. बेतूल
6.	महाराष्ट्र	1. अहमद नगर
		2. शोलापुर
		3. नासिक
		4. पूना
		5. सतारा
		6. साँगली

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम	
7.	मैसूर	1. बीजापुर	
		2. चित्रदुर्ग	
		3. कोलार	
		4. धारवाड़	
		5. बेलगाम	
8.	उड़ीसा	1. कालाहाँडी	
		2. बोथ पुलवनी	
9.	राजस्थान	1. जैसलमेर	
		2. बाड़मेर	
		3. पाली	
		4. जालौर	
		5. बीकानेर	
		6. चुरु	
		7. जोधपुर	
		8. बासवाड़ा	
		9. नागौर	
		10. डुंगरपुर	
10.	तमिलनाडु	1. धर्मपुरी	
		2. रामनाथपुरम्	
11.	उत्तर प्रदेश	1. मिर्जापुर	
		2. बाँदा	
		3. इलाहाबाद	
		4. वाराणसी	
		5. हमीरपुर	
		6. जालौन	
12.	पश्चिम बंगाल	1. पुरुलिया 2. मिदनापुर तथा बाँकुरा	एक एकक
13.	जम्मू तथा कश्मीर	अभी छाँटे जाने हैं।	
	योग	54	

Barren and under-cultivation land at the Beginning of Third and Fourth Plans

1824. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total acreage of land, barren and under cultivation respectively, at the commencement of the Third and Fourth Five Year Plans and at present in the country ;

(b) the percentage of land under cultivation to the total acreage of such land for which no proper arrangements exist for irrigation ; and

(c) the time by which proper irrigation facilities would be provided ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) The total acreage of barren land (including unculturable land) and cultivated land at the commencement of Third Plan (i.e. at the end of 1960-61) were 50.7 million hectares and 144.8 million hectares respectively. The figures beyond 1967-68 are not yet available. The corresponding figures during 1967-68 were 48.1 million hectares and 151.8 million hectares respectively.

(b) According to the latest Land utilisation statistics available for the year 1967-68, the percentage of land under cultivation (gross) to the total acreage of such land (gross) for which no proper arrangements for irrigation exists comes to about 80 percent.

(c) Specific irrigation programmes have so far been drawn up only for the Fourth Five Year Plan. It is expected that by the end of Fourth Plan about 25 percent of the area (gross) will be brought under irrigation.

खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता

1825. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न आयात किये गये; और

(ख) खाद्यान्नों के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) लगभग 132 लाख मीटरी टन।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि 1971 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात बन्द कर दिया जाएगा।

पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के कर्मचारी

1826. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग कितनी है और प्रत्येक कर्मचारी की सेवा कितनी हो गई है;

(ख) क्या उक्त संस्थान के प्रभारी अधिकारी ने वरिष्ठ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और यदि हाँ, तो क्या उसने ऐसा करके श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है; और

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब तक ऐसा किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जानकारी संम्भवतः नैमित्तिक कर्मचारियों के संबन्ध में है। इसमें मासिक पारिश्रमिक वाले नैमित्तिक कर्मचारी तथा

दैनिक पारिश्रमिक वाले नैमित्तिक कर्मचारी सम्मिलित हैं। वर्तमान में 27 नैमित्तिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4 मासिक पारिश्रमिक वाले तथा 23 दैनिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारी हैं।

नैमित्तिक कर्मचारियों को कार्य की सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त किया जाता है और कार्य की समाप्ति के बाद उनकी छंटनी कर दी जाती है। अतः ऐसे कर्मचारियों की सेवा की अवधि का प्रश्न ही नहीं होता।

(ख) मासिक पारिश्रमिक वाले किसी भी नैमित्तिक् मजदूर को बर्खास्त नहीं किया गया है। दैनिक पारिश्रमिक वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती मौसम के प्रारम्भ में आने वाले व्यक्तियों में से की जाती है और उनकी उपयुक्तता तथा कार्य की आवश्यकतानुसार उन्हें 'जो बाद में आये--पहले जायें' के सिद्धान्त पर कार्य से पृथक किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Working Results of cultivable Land of Central Potato Research Institute, Patna

1827. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Potato Research Institute, Patna has some cultivable land, if so, the area thereof ;

(b) whether the said land is cultivated every year ;

(c) if so, the names of crops cultivated in this land and the respective acreage of each crop ;

(d) the year-wise details in regard to the earnings from these crops during the last three years ; and

(e) the year-wise details in regard to the profit or loss to the Government from this during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) 48 acres approximately.

(b) Yes.

(c)

Rabi 1970-71	Acres	**Kharif Summer** 1971	Acres
Potato ..	27.50	Maize ..	19.00
Wheat ..	7.50	Vegetables	7.48
Barseem ..	1.00	Sun-hemp	4.00
Oats ..	9.50		
Napier gram..	1.00	Paddy ..	13.50
Other crops ..	0.50	Rotational experimental crops..	3.50
		Napier	1.00
Total	47.00 acres		48.48 acres

(d) and (e) : The Central Potato Research Institute, Patna is a research organisation. Hence the question of profit or loss to the Government does not arise. **However,** relevant income and expenditure figures are given below :

Year	Income	Recurring contingent expenditure	Remarks
	(Rs.)	(Rs.)	
1967-68	1,36,171	74,428	This does not include expenditure on staff and buildings.
1968-69	1,49,021	1,05,691	
1969-70	1,16,000	93,211	

Procurement of Foodgrains by Government and Fixation of Incentive Price to Farmers

1828. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed some Incentive Price for foodgrains to the farmers during 1971-72 ; and

(b) if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : **(a)** The procurement prices of wheat fixed by the Government for 1971-72 are remunerative to the farmers.

(b) The prices are :

	(Rs. per quintal)
All varieties except indigenous red.	76.00
Red (indigenous) for different States	71.00— 74.00

पश्चिम बंगाल में अधिक अन्न उपजाओ अभियान का प्रभाव

1829. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अधिक अन्न उपजाओ अभियान प्रभावी रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे पश्चिम बंगाल के खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इस अधिक अन्न उपजाओ अभियान में सरकार की सहायता अपर्याप्त है; और

(घ) क्या औपचारिकताओं में जाये बिना ऐसी कठिनाइयाँ दूर की जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (घ) : राज्य सरकार से जानकारी माँगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गेहूं का उत्पादन नहीं करने वाले राज्यों में गेहूं का उत्पादन

1830. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं का उत्पादन नहीं करने वाले उन राज्यों के क्या नाम हैं जो गत तीन वर्षों से गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) इन राज्यों द्वारा प्रति वर्ष कितने गेहूं का उत्पादन किया जाता है और चालू वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) इन राज्यों में गेहूं का औसत प्रति एकड़ कितना उत्पादन है और क्या हमारे देश में गेहूं का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से इसकी कोई समता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : राज्य, गेहूं के उत्पादन करने वाले तथा गेहूं के उत्पादन नहीं करने वाले राज्यों में नहीं बाँटे गये हैं। कुछ राज्यों में गेहूं का उत्पादन काफी है जबकि शेष राज्यों में उत्पादन औसतन है। वर्ष 1970-71 के गेहूं के उत्पादन के अनुमानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, जिन राज्यों में गत वर्षों में उत्पादन औसतन था उन राज्यों के उत्पादन के सम्बन्ध में विवरण 1 में दी गई सूची से बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा सकता है, जो वर्ष 1964-65 तथा गत तीन वर्षों के दौरान सब राज्यों में गेहूं के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। गेहूं के औसतन उत्पादन वाले राज्यों में से पश्चिम बंगाल में गेहूँ के उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) वर्ष 1969-70 के दौरान विभिन्न राज्यों में गेहूं का प्रति हैक्टार औसत उत्पादन प्रदर्शित करने वाला विवरण 2 संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी–374/71**]

मद्रास में कोयम्बटूर में फल अनुसंधान परियोजना स्थापित करना

1831. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास में कोयम्बटूर स्थान पर फल अनुसन्धान परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस अनुसन्धान का उद्देश्य क्या होगा; और

(ग) इस परियोजना पर व्यय कितना होगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने अखिल भारतीय समन्वित फल विकास परियोजना के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य कोयम्बटूर में एक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने की संस्वीकृति दी है।

(ख) इस केन्द्र के अनुसन्धान का उद्देश्य केले, अंगूर, पपीते आदि फलों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन करना होगा।

(ग) इस केन्द्र के लिये 1970-71 से 1973-74 तक की अवधि के लिये 4.43 लाख रु० के वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था है।

बागान श्रमिकों के कार्य-घंटों में कमी

1832. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान सम्बन्धी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति ने बागान श्रमिकों के कार्य-घंटे सप्ताह में 54 घंटे से घटा कर 48 घंटे करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या इसको क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) इसके लिए बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में संशोधन की आवश्यकता है, जो विचाराधीन है।

सतपुड़ा विद्युत् संयंत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला निक्षेप

1833. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतपुड़ा विद्युत् संयंत्र के क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला निक्षेप हैं;

(ख) क्या निगम इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कोयला निकालने में असफल रहा है और इसके परिणाम स्वरूप सतपुड़ा विद्युत् संयंत्र में पाँच में से तीन टरबाइन प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो निगम ने 1970 में उसका खनन करने तथा सतपुड़ा विद्युत् संयंत्र को उसकी सप्लाई करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं और कितने लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं; और

(घ) विद्युत् संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई करने में निगम की असफलता के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) निगम बिजली घर को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति हेतु हर सम्भव प्रयास कर रहा है जिसमें पाथाखेड़ा विस्तारण नाम से विदित दूसरी खान के विकास का कार्य भी सम्मिलित है। बिजली घर पद्धति भार स्थिति के अनुसार संक्रियाशील है। एक ही समय में संक्रियाशील रहने वाले बिजली उत्पादक सैटों की संख्या 3 और 4 के बीच है जिनके लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की पाथाखेड़ा खानों और पंचघाटी कोयला क्षेत्रों से अपेक्षित कोयला अभिप्राप्त किया जा रहा है।

(ग) और (घ) 1970–71 के दौरान निगम ने पाथाखेड़ा I कोयला खान से 4.20 लाख टन कोयला उत्पादित किया और सतपुड़ा बिजली घर को 4.10 लाख टन की आपूर्ति की। 1964 में निगम ने पाथाखेड़ा विस्तारण नाम से विदित एक दूसरी खान (पाथाखेड़ा II) के लिए प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जिसका उत्पादन लक्ष्य 4.50 लाख टन था ताकि दोनों खानों द्वारा 9.00 लाख टन प्रतिवर्ष के कुल उत्पादन को प्राप्त किया जा सके। उसे प्रक्रियागत नहीं किया गया क्योंकि बिजली घर का सन्निर्माण अनुसूचित समय तक पूरा नहीं हुआ और 1967–68 तक बिजली घर द्वारा कोयले की कोई भी माँग नहीं थी। यहाँ तक कि बिजली घर द्वारा पाथाखेड़ा–I प्रायोजना से उत्पादित कोयला भी पूर्णतया नहीं लिया गया जिसकी परणति स्टाक संचयन में हुई। इस बात पर भी विचार किया गया कि निगम को बिजली घर के साथ दीर्घावधि करार किए बिना खान में और अधिक विनिधान नहीं करना चाहिए। यह करार अभी हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। तथापि, सतपुड़ा बिजली घर की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पाथाखेड़ा–II की प्रायोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी है जिससे निगम कोयले के अपने उत्पादन को बढ़ाकर 9.00 लाख टन प्रतिवर्ष तक कर सके।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हरियाणा में खरीदी गई गेहूं

1834. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा में इस वर्ष कुल कितनी गेहूं खरीदी है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : भारतीय खाद्य निगम हरियाणा में स्वयं गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं करता है क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें यह कार्य नहीं

सौंपा गया हैं। वे केवल हरियाणा सरकार तथा राज्य विपणन संघ द्वारा केन्द्रीय पूल-अधिप्राप्त की गई गेहूं की मात्रा को सम्भालते हैं। चालू विपणन मौसम पहली अप्रैल से 31 मई, 1971 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए हरियाणा में अधिप्राप्त गेहूं की कुल मात्रा 4.28 लाख मीटरी टन थी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में फालतू कर्मचारी

1835. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में फालतू कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके फालतू होने के क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार किस प्रकार उनकी सेवाओं का उपयोग अधिक लाभप्रद रूप से करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) से (ग) : प्रारम्भिक अवस्थाओं में विशेषत: हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन इस्पात कारखानों के 10 लाख टन चरण के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रायोजना प्रतिवेदन में आंके गये अनुमानों तथा देश के वर्तमान इस्पात कारखानों में अपनाई जाने वाली पद्धतियों पर आधारित थी। फिर भी, अप्रैल, 1968, से, भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों के वर्क्स विभागों में विस्तृत कार्य-मापन अध्ययन किये गये हैं। इन विभागों में काम करने वाले कुल 66,528 कर्मचारियों में से अब तक 59,741 कर्मचारियों के काम का अध्ययन किया जा चुका है तथा इन अध्ययनों से विभिन्न श्रेणियों के 2,733 कर्मचारी आवश्यकता से अधिक पाये गये हैं। इन्हें विस्तार के अंतर्गत लगाई जाने वाली इकाइयों में भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए तथा यथा संभव बोकारो इस्पात कारखाने में काम दिलाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अलौह धातुओं के संसाधनों का पता लगाया जाना

1836. **श्री पी० के० देव : डा० लक्ष्मी नारायण पांडे :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किये गये सर्वेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में बड़ी मात्रा में सीसा, जस्ता और ताँबा जैसी अलौह धातुओं का पता चला है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन क्षेत्रों में से निक्षेप पाये गये हैं तथा उनकी अनुमानित क्षमता कितनी है; और

(ग) इन खोजों के परिणामस्वरूप इन धातुओं में आत्म निर्भरता कहाँ तक प्राप्त हो जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप राखा खानों में, रोम सिद्धेश्वर, तामापहाड़, तुमारदिह में, बिहार के सिंद्धभूम पट्टी में रामचन्द्र पहाड़ में, राजस्थान के खेतड़ी ताम्र पट्टी में खेतड़ी, कोलिहान, मदनकुदन, अकवाली, सतकुई, बाघोनी में, आंध्र प्रदेश में अग्निगुण्डाला सीसा-ताम्र पट्टी में घुकोन्डा, नाल्लाकोडा, वन्डलामोदु में ताम्र की और राजस्थान के जावर खानों में, गुजरात में अम्बामाता सीसा-जस्ता ताम्र पट्टी में सीसा-जस्ता और उड़ीसा में

सार्गीपल्ली में सीसे की पर्याप्त उपलभ्य राशियाँ अवस्थापित की गई हैं। मध्य प्रदेश में मालंजखण्ड, महाराष्ट्र में पुलार पारसोरी, आंध्र प्रदेश में मैलाराम और राजस्थान में पुरदरीबा में भी कुछ उदीयमान ताम्र पूर्वेक्षण अवस्थापित किए गए हैं।

निक्षेपों में कुल अनुमानित उपलभ्य राशियाँ 2000 लाख टन ताम्र अयस्क की; 1000 टन सीसा-जस्ता अयस्क की और 150 लाख टन सीसा अयस्क की हैं।

(ग) चतुर्थ पंचम योजना के अंतिम चरण तक माँग का अनुमान ताम्र के लिए 124,000 टन, जस्ते के लिए 142,000 टन और सीसे के लिए 97,400 टन है।

ताम्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता 9,600 टन प्रतिवर्ष है जिसके चालू वर्ष के अन्तिम चरण तक 16, 500 टन तक विस्तारित होने की सम्भाव्यता है। इसके अतिरिक्त खेतड़ी ताम्र कम्प्लेक्स के चालू हो जाने से, उत्पादन क्षमता के 1974–75 तक 31,000 टन तक और अधिक बढ़ जाने का अनुमान है।

जस्ते की वर्तमान उत्पादन क्षमता 38,000 टन प्रतिवर्ष है जिसका 20,000 टन आयातित संकेन्द्रकों और 18,000 टन स्वदेशीय अयस्क निक्षेपों पर आधारित है। उत्पादन क्षमता के चतुर्थ योजना के अन्त तक द्विगुणित हो जाने की सम्भावना है। यह भी प्रस्तावित है कि विजाग में 30,000 टन की क्षमता वाला एक अन्य जस्ता प्रद्रावक स्थापित किया जाए। विद्यमान दो प्रद्रावकों के द्विगुणित होने, विजाग में नए जस्ता प्रद्रावक की स्थापना और अन्य प्रतिपादित निक्षेपों के विकास से, पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतिमचरण अथवा उसके आसपास तक जस्ता धातु के बारे में आत्मनिर्भरता की अवस्था तक पहुंचना सम्भव हो सकेगा।

सीसे की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 5,400 टन प्रतिवर्ष है। टुन्डू (विहार) में एकमात्र सीसा प्रद्रावक के आधुनिकीकरण का प्रश्न इस समय परीक्षणाधीन है। सीसे के अन्य निक्षेपों के विकास के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति व्यय

1837. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आगमन के नये दौर के प्रारम्भ होने से पूर्व वहाँ से पहले आये शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना व्यय किया जा रहा था;

(ख) मार्च, 1971 के अन्तिम सप्ताह के पश्चात् आये शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना व्यय किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान प्रति व्यक्ति दैनिक व्यय को पर्याप्त समझती है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि की जायेगी?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) और (ख) : पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के आगमन के नए दौर के आरम्भ होने से पहले भोजन की सप्लाई पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 80 पैसे की दर से खर्च हो रहा था। यह राशि अब बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 कर दी गई है और पश्चिम बंगाल सरकार को इस राज्य में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को भोजन की सप्लाई के लिए इस दर पर खर्च करने का अधिकार दे दिया गया है।

25 मार्च, 1971 से पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल में आने वाले शरणार्थियों के लिए राहत की अन्य मदों पर तथा प्रशासन पर होने वाले तथा प्रशासनिक खर्च की दर अभी प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं निकाली जा सकती क्योंकि शरणार्थियों के लगातार आने से स्थिति अभी भी अनिश्चित है।

(ग), (घ) तथा (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और सूखे क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

1838. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और सूखे क्षेत्रों के लिये क्या विशिष्ट कार्यक्रम बनाये गये हैं ;

(ख) 1970-71 में प्रारंभ की गई योजनाओं की राज्यवार, और जिलावार, प्रगति क्या है;

(ग) इन योजनाओं से छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के जीवन स्तर पर सम्पूर्ण रूप से क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) उन सूखे क्षेत्रों में जहाँ इन योजनाओं को लागू किया गया था, कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) चालू वर्ष में कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य आरम्भ हुआ था; और इस उद्देश्य के लिये कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र योजनायें हैं :—

(1) छोटे कृषक विकास एजेन्सी परियोजना के 46 जिलों के प्रत्येक जिले में लगभग 50,000 कृषकों की इसके आवारण में आने की आशा है जिनकी भूमि सम्पत्तियाँ 2.5 से 5 एकड़ के बीच है। इनमें से अभी 45 परियोजनायें मंजूर की गई हैं।

(2) सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक परियोजना के प्रत्येक 41 जिलों में सीमान्त कृषक जिनकी भूमि सम्पत्तियाँ 2.5 एकड़ तक हैं और भूमि हीन कृषक श्रमिक इसके अन्तर्गत आयेंगे और प्रत्येक परियोजना के अधीन 20,000 तक परिवार आयेंगे। अब तक ऐसी 43 परियोजनायें पहले ही मंजूर कर ली गई हैं।

(3) 24 जिलों में, जहाँ 375-1125 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है समग्र बारानी भूमि कृषि विकास आदर्श परियोजनायें आरम्भ की गई हैं। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बारानी भूमि खेती के अधीन समन्वित अनुसन्धान परियोजना के साथ समाप्त हो जायेंगी। प्रत्येक परियोजना के घेरे में 8000 एकड़ का समग्र क्षेत्र आयेगा। ऐसी 25 परियोजनायें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 375/71**]

क्योंकि यह परियोजनाएं अभी हाल में ही आरम्भ की गई हैं और इनमें से कुछ अभी आरम्भ की जा रही हैं अतः इतनी शीघ्र छोटे कृषकों और कृषि श्रमिकों के रहन-सहन के स्तरों पर इन के प्रभाव का नियन्त्रण करना और इन क्षेत्रों में उपज की वृद्धि का मूल्यांकन करना भी उचित न होगा।

(ङ) उपरोक्त तीनों योजनाएं 1971–72 में भी चालू रहेंगी। इन योजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय परिव्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

छोटे कृषक विकास एजेन्सी	67.5 करोड़ रु०
सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक	17.5 "
बारानी भूमि	20.0 "

संबंधित परियोजना प्राधिकारियों से निश्चित प्रस्तावों के संदर्भ में धन निर्मुक्त किया जाता है।

पिट् सेफ्टी समिति की स्थापना का प्रस्ताव

1839. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिट सेफ्टी समिति की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या श्रमिकों के प्रतिनिधि इस समिति में लिये जायेंगे; और

(ग) इस समिति के कृत्य क्या होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 470 कोयला खानों और 240 धातुप्रद खानों में, जिनमें 100 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पिट सुरक्षा समितियाँ पहले से ही स्वैच्छिक आधार पर काम कर रही हैं।

(ख) इन खानों में नियोजित श्रमिकों के सभी मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि पिट सुरक्षा समितियों में शामिल हैं।

(ग) इन समितियों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं —

(1) श्रमिकों में सुरक्षा चेतना को बढ़ावा देना और विचार-विमर्श द्वारा सुरक्षा अभ्यासों को अपनाने में सहयोग देने और उनके पालन में प्रोत्साहन देना तथा सुरक्षा संबंधी सुझावों पर नियमित तत्स्थानीय बैठकों में और प्रचार व प्रसार के समुचित रूपों द्वारा, जिनमें खान सुरक्षा सप्ताहों का मनाना भी शामिल है, विचार करना।

(2) दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सामयिक पुनरीक्षण करना, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय सुझाना और जब आवश्यक हो, दुर्घटना की स्वतंत्र जाँच करना।

Estimates of equipment and Distribution of seeds of Triple-Gene Dwarf Wheat

1840. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made any estimate of the requirement of seeds of the triple-gene dwarf variety of wheat in those areas where the said variety of wheat can be successfully cultivated and whether they have also made proper arrangements for the distrubution thereof among the farmers ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) Through a series of Zonal Conferences held in March-April, 1971 the Government of India made an assessment of the requirements of seeds, including those of triple-gene dwarf variety of wheat known as Hira, released for cultiva-

tion in the North-Western plain zone excluding Rajasthan viz., Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh. The representative of the U. P. Government indicated during the Zonal conference that a quantity of 3,000 to 3,500 quintals of Hira seed would be required. In addition, the State Governments of West Bengal and Madhya Pradesh also wanted to try out this variety on a large scale and indicated their requireements at 6,000 quintals. The National Seeds Corporation has undertaken multiplication of foundation seeds of this variety and expects to produce 2,200 quintals of seeds. The foundation seeds will be distributed to the State Governments and others for multiplication of certified seeds. However, certified seeds will be available in large quantities to the farmers only in Rabi 1972-73.

The U. P. Agricultural University has also evolved a triple gene dwarf variety 'U. P. 301' which was not released by the Central Sub-Committee on Release of Varieties but was released through the U. P. Variety Release Committee. Though in the release of this variety, the area of adoption has been shown as U. P., the seed is popular in other States also. The Tarai Development Corporation expects to produce 38,000 quintals of 'U. P. 301' wheat seeds and this quantity will be distributed through the network of distribution system of the Tarai Development Corporation and also through the agencies of the State Governments.

Soyabean Cultivation in Bihar

1841. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Soyabean can be grown on the land, where maize is sown ;

(b) if so, the steps taken by the Central Government towards the development of Soyabean cultivation in Bihar ;

(c) whether any talks have been held between the Bihar Government and the Central Government in this regards ; and

(d) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : As a result of discussion between the Bihar Government and the Central Government officials, the Government of Bihar propose to lay out demonstrations and take up seed multiplication on 160 hectares in different districts during 1971-72. The seeds required for the purpose have already been obtained by the Government of Bihar.

Development of Crops of Castor Oilseeds, Linseed and Mustard in Bihar

1842. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are implementing their policy that more attention would be paid to impress upon the farmers to grow more export-oriented crops, particularly of oilseeds, so that the export trade could be stepped up ;

(b) if so, which of the crops of oilseeds have been selected for more attention by Government for development ;

(c) whether any programme for the development of castor oilseeds, linseed and mustard crops is being implemented in Bihar under the aforesaid scheme ; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The crops of oilseeds selected are :—

(i) Groundnut,

(ii) Castor,

(iii) Soyabean.

(c) A centrally Spensored Scheme for Castor Demnostrations was implemented in Bihar during 1970-71 over an area of 20 hectares. The scheme is proposed to be continued during 1971-72 over a targeted area of 40 hectares. No Centrally Sponsored Schemes for the development of linseed and mustard crops have been implemented in Bihar.

(d) The Centrally Sponsored Scheme on Castor providing for laying out composite demonstrations with the short duration, high yielding varieties of castor by adopting all the package of practices so as to popularise their cultivation on scientific lines leading to a rapid increase in production through :

(i) Replacement of the existing varieties ; and

(ii) introduction in new areas in multiple cropping patterns.

An amount of Rs.125 per heactare for rainfed crop and Rs. 200 per hectare for irrigated crop is provided under the Scheme by the Central Government to meet the cost of demonstrations.

Delhi Krishi Vigyan Fair

1843. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the Krishi Vigyan fair organised in Delhi this year and the number of visitors to the fair, State-wise ;

(b) whether there is any scheme for holding such fairs in States and District Headquarters ; and

(c) if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The total expenditure incurred on the organisation of Krishi Vigyan Fair at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi from 17th March to 20th March, 1971 was Rs. 6,702.

The number of visitors to the fair was about 20,000. Nearly 50 per cent of these visitors came from Delhi and its neighbourhood and the rest from the Union Territories and other States. The State-wise break-up of visitors is not available.

(b) and (c) : The Ministry of Agriculture has a regular provision in the Directorate of Extension for putting up of agrcultural exhibitions both in the rural and urban areas of the country. These shows are sometimes held independently ; mostly they are held as part of bigger exhibitions/fairs/melas. which attract huge audiences. The Directorate of Extension also organises agricultural shows (by display of exhibits and screaning of instructional films on agriculture) at the doorstep of the farmers with the help of a publicity-cum-exhibition van in rural areas of Delhi and the neighbouring States. Similar vans have also been provided to some of the States and are being provided to others.

Moreover, All-India and REGIONAL Livestock and Poultry shows as well as fruit shows are organised every year by the Directorate of Extension, Ministry of Agri-

culture for the benefit of breeders, fruit growers and farming community. During these shows along with other exhibits agricultural exhibits are also put up.

The State Departments of Agriculture have their own provision for organising/participating in agricultural and livestock shows in their respective States. Most of the State Departments of Agriculture are also organising farmers field days, both under the Centrally Sponsored Scheme of Farmers Trainiug and Education and under their normal programmes, where farmers are taken to demonistration sites or research stations and shown the techniques of improved agricultural practices.

Organisation of Kisan Melas by Agricultural Universities/Research Institutes is a new feature. These Kisan Melas provide an excellent opportunity to the farmers to see the methods and results of demonostrations and to get acquainted with the latest agricultural technology. In addition, they get a chance to directly discuss their problem with Scientists.

आर० एस०–09 ट्रैक्टरों का मूल्य और उनका राज्यों में वितरण

1844. **श्री डी० डी०देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी जर्मनी से अब तक कितने आर० एस०–09 ट्रैक्टर आयात किये गये हैं और उनका मूल्य क्या है; और प्रति ट्रैक्टर का औसत मूल्य क्या है और विभिन्न राज्यों को कितने ट्रैक्टर दिये गये हैं तथा उनका मूल्य क्या है;

(ख) क्या प्रथम बार ही प्रेषित किये गये ट्रैक्टरों में चालन सम्बन्धी त्रुटियों के बावजूद भी इनका आयात जारी रहा था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) पूर्वी जर्मनी से कुल 212.00 लाख रुपये के कुल मूल्य के 1998 आर० एस०–09 ट्रैक्टर आयात किये गये। ये ट्रैक्टर 10,600 रु० (लागत तथा भाड़ा) प्रति ट्रैक्टर की दर से कृषि उद्योग निगमों को सप्लाई किये गये। विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों को इन ट्रैक्टरों का नियतन निम्न प्रकार से किया गया :—

राज्य का नाम	दिये गये ट्रैक्टर
आन्ध्र प्रदेश	364
गुजरात	478
पंजाब	600
राजस्थान	400
मैसूर	56
तमिल नाडु	100
	1998

(ख) और (ग) : प्रथमतः शिकायतें सरकार के नोटिस में दिसम्बर, 1969 में लाई गई। इन शिकायतों की प्राप्ति पर तत्काल आर० एस०–09 ट्रैक्टरों का आयात बंद कर दिया गया।

खनन तथा सहायक मशीनरी निगम में उत्पादन

1845. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बत ने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन तथा सहायक मशीनरी निगम द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितने मूल्य के माल का उत्पादन किया गया तथा उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में खनन तथा सहायक मशीनरी निगम को वार्षिक कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) पिछले तीन वर्षों में तैयार किए गए विक्रेय माल की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपए)
1968–69	4099	158
1969–70	5764.4	284
1970–71	7742.1	488

उत्पादन घट नहीं बल्कि वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है।

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—(1) संम्पूर्ण ढांचे का पुनर्गठन तथा उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर कुछ फेर बदल किया गया है (2) उत्पादन में विविधता लाई गई है; (3) उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण को मजबूत बनाया गया है (4) कामगारों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है; (5) मालिक मजदूर सम्बन्धों में सुधार किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में हुई हानि निम्नलिखित है :—

वर्ष	हानि (लाख रुपये)
1968–69	638.69
1969–70	640.16
1970–71	560.00 (अन्तिम हिसाब किताब को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है)।

माडर्न बेकरी के केरल स्थित कोचीन एकक के श्रमिकों की कठिनाइयाँ

1846. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माडर्न बेकरी के केरल स्थित कोचीन एकक के श्रमिकों से उनकी कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य कठिनाइयाँ क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : श्रमिकों की कठिनाइयाँ, वेतन का पुनरीक्षण, रात्रि पारी भत्ता, कैन्टीन तथा परिवहन राज सहायता आदि जैसी सेवा शर्तों से संबंधित हैं। माडर्न बेकरीज के अध्यक्ष ने इस मामले पर संघ के प्रडिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया है और एक संतोषजनक समझौता हो गया है।

विदेशों द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई

1847. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थियों के लिये विदेशों और संयुक्त राष्ट्र संघ से खाद्य वस्तुओं के रूप में किसी प्रकार की सहायता आ रही है अथवा आने की संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) (i) रूस से 50,000 टन चावल।

(ii) दूध का पाउडर	6,250	मीट्रिक टन	विश्व खाद्य
(iii) खाद्य तेल	1,350	मीट्रिक टन	कार्यक्रम के
(iv) दालें	200	मीट्रिक टन	अन्तर्गत
(v) दूध का पाउडर	64	मीट्रिक टन	विभिन्न देशों की
(vi) बालाहार	12860	डिब्बे	राष्ट्रीय समितियों
और	60	मीट्रिक टन	द्वारा भारतीय
(vii) सूखी मछली	67	टन	रेड क्रास सोसायटी के माध्यम से दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका के सहायता संघ द्वारा भी विभिन्न स्वैच्छिक एजेन्सियों के माध्यम से 25 लाख डालर की लागत का एक खाद्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

बिहार में लोहे और इस्पात की कमी

1848. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में लोहे और इस्पात की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कमी के कारण लगभग 400 लघु उद्योग एककों के बन्द हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) भारत के सभी भागों में जिनमें बिहार भी शामिल है, कई किस्मों के इस्पात की कमी है।

(ख) यद्यपि मंदी समाप्त होने तथा निर्माण कार्यों में तेजी आने के कारण माँग में वृद्धि हुई, परन्तु उत्पादन उतना ही रहा है।

(ग) भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, परन्तु देश के सभी भागों के बहुत से लघु उद्योग उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आयात किए गए माल को नहीं उठा रहे है।

(घ) सरकार ने देशीय उपलब्धि बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इस्पात कारखानों की बाधाओं को शीघ्रता से दूर करके, बेहतर रख-रखाव करके तथा मालिक मजदूर सम्बन्धों में सुधार आदि लाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं। कम मात्रा में उपलब्ध इस्पात के आयात के बारे में उदार नीति का अनुसरण किया जा रहा है। निर्यात को विनियमित किया जा रहा है। वितरण प्रणाली को सुप्रवाही तथा उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाया गया है।

ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के लिये जिलों के चयन का मापदण्ड

1849. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम हेतु जिलों के चयन के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) बिहार राज्य में उन जिलों के नाम क्या हैं जिनका चयन ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम के लिये किया गया है; और

(ग) उस उद्देश्य के लिये प्रत्येक जिले के लिये कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ग्राम निर्माण कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये जिलों का चयन वस्तुपरक मापदण्ड जैसे कि विशिष्ट अवधि में वर्षा की स्थिति, जिले में सिंचित क्षेत्र की व्यापकता, सूखे की निरन्तर विद्यमानता आदि के आधार पर किया जाता है।

(ख) 1. जिला मुंगेर

2. जिला पालामाउ

3. शाहाबाद जिले के भभुआ तथा सासाराम उप मण्डलों तथा गया जिले के नवादा उप-मण्डल का क्षेत्र।

(ग) प्रत्येक छाटे हुये जिले व क्षेत्र को 1970–71 से 1973–74 तक की अवधि में चार वर्ष के कार्यक्रम के लिये स्थूलत : 2 करोड़ रुपये का आवंटन किया जायेगा।

कांट-छांट किये गये बन्द गोभी के पत्तों से दूध बनाने का परीक्षण

1850. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक ब्रिटिश निर्माता द्वारा किया गया काँट-छांट किये गये बन्द गोभी के पत्तों से दूध बनाने के परीक्षण के बारे में पूरा व्योरा प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में चावल का मूल्य

1851. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के आक्रमण से पूर्व पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के विभिन्न जिलों के बाजारों में उस समय चावल के क्या मूल्य थे और इस समय क्या मूल्य हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : बंगला देश में पाकिस्तानी सेना के आक्रमण से पूर्व पश्चिमी बंगाल, असम तथा त्रिपुरा के विभिन्न जिलों की मंडियों में साधारण चावल के चल रहे तथा इस समय चल रहे थोक मूल्य नीचे दिए जाते हैं :—

(रु० प्रति क्विंटल)

	आक्रमण से पूर्व (20 मार्च, 1971 को अन्तिम सप्ताह)	अद्यतन (4 जून, 1971 के अन्तिम सप्ताह)
पश्चिमी बंगाल	115 से 150	126 से 158
असम	110 से 145	114 से 150
त्रिपुरा	115 से 165	प्राप्त नहीं हुए।

मूल्यों में वृद्धि अंशतः मौसमी है।

चीनी मिलों द्वारा लिया जाने वाला मूल्य

1852. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ चीनी मिलों को चीनी का मूल्य 1.70 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 1.90 रुपये प्रति किलो लेने की अनुमति दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : जी नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की कुछ चीनी मिलों द्वारा इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालयों में दायर की गई रिट याचिकाओं पर अन्तरिम आदेश पास हुए थे जिससे उनकी रिट याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उन्हें अधिसूचित मूल्य से ऊंचा मूल्य वसूल करने की इजाजत मिल गई थी। अब इन मूल्यों की कोई उपयोगिता नहीं रही है क्योंकि सरकार ने 25 मई, 1971 से चीनी के मूल्य और वितरण पर से नियन्त्रण उठा लिए हैं।

राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा

1853. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं : जिन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है और इस उद्देश्य के लिये कितनी सीमा निर्धारित की है ;

(ग) क्या अधिकांश राज्यों में अधिकतम सीमा अधिक है; और

(घ) सरकार का भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि बड़ी संख्या में परिवारों को अधिक भूमि उपलब्ध हो सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ,

(ख) और (ग) सभा के पटल पर एक विवरण रखा है।

(घ) मामले को केन्द्रीय भूमि सुधार समिति को भेज दिया गया है।

विवरण

राज्य		अधिकतम सीमा स्तर (एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश		27 से 324
असम		25
विहार		20 से 60
गुजरात		19 से 132
हरियाणा		
	पुराना पंजाब क्षेत्र	27 से 60*
	" पेप्सू प्रदेश	27 से 80
जम्मू तथा काश्मीर		22.75
केरल		12 से 15
मध्य प्रदेश		25 से 75
महाराष्ट्र		18 से 126
मैसूर		27 से 216
उड़ीसा		20 से 80
पंजाब	पुराना पंजाब क्षेत्र	27 से 60*
	पुराना पैप्सू क्षेत्र	27 से 80
राजस्थान		22 से 336
तमिल नाडु		12 से 60
उत्तर प्रदेश		40 से 80
पश्चिम बंगाल	सिंचित भूमि	12.4
	अन्य भूमि	17.3
हिमाचल प्रदेश	पुराना पंजाब क्षेत्र	27 से 60*
	पुराना पैप्सू क्षेत्र	27 से 80

*पुराने पंजाब क्षेत्र के विस्थापितों के लिए 45 से 100 एकड़ तक तथा पुराने पेप्सू क्षेत्र के लिए 36 से 100 एकड़ है।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी विधान

1854. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिक की न्यूनतम मजूरी के बारे में एक केन्द्रीय विधान प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा)। (क) जी नहीं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, कृषि क्षेत्र में सांविधिक न्यूनतम मजदूरी-दरों के निर्धारण/संशोधन की पहले से ही व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं के वसूली मूल्य

1855. **श्री बीरेन दत्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं के वसूली मूल्य संबंधी कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं;

(ख) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राज सहायता के रूप में अनुमानतः कितनी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वसूली मूल्य और बाजार मूल्य क्या थे और प्रति वर्ष कितनी राज सहायता दी गई?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम सरकार की ओर से निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर गेहूं खरीदता है और उसे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सप्लाई करता है। इसमें राज सहायता का अंश शामिल होता है। 1971–72 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को गेहूं का बफर स्टाक रखने की लागत सहित गेहूं पर दी जाने वाली राज सहायता की राशि अनुमानतः 30 करोड़ रुपये है।

(ग) तीन विवरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०–376/71**]

Number of persons who received Training at Industrial Training Institute in Delhi

1856. **Shri N. S. Bisht. :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons, who received training in various trades at the Industrial Training Centres in Delhi during the last three years, tradewise ;

(b) the number out of them, provided with employment by the Employment Exchanges, trade-wise so far ;

(c) the number of trained persons, whose names are registered with the Employment Exchange of Delhi and who have not been provided with employment for the last three years ; and

(d) the time by which such persons, (whose names are registered with the Employment Exchange for more than three years) are likely to be provided with employment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) : Two statements are attached. [**Placed in Library. See No. L.T.-377/71**].

(c) 266.

(d) While all possible efforts are being and will continue to be made to place them in employment suited to their qualifications, it is not possible to specify any time limit in this regard.

Development of Uttarakhand Area of U. P.

1857. **Shri N. S. Bisht** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the cultivation operations in Uttarakhand involves much labour and hazards and due to lack of irrigation facilities, farmers have to depend on rains, as a result of which fertility of land is very poor and the value of foodgrains produced is less than the expenditure incurred on their production ;

(b) if so, whether any effective steps have been taken by Government to convert the said area into a fruit belt ;

(c) whether any pilot scheme for each of the eight districts of Uttarakhand to produce fruit there has been framed ; and

(d) whether Government propose to conduct any survey there by a team of experts in agriculture, beekeeping, silk industry, animal husbandry, horticulture, and dairying ?

The Ministrer of State in the Ministry of Agriculture, (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (d) : The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha when received.

रेलवे में नैमित्तिक मजदूर सम्बन्धी विधान

1858. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन श्रम मंत्री, श्री संजीवैय्या ने 4 अगस्त, 1970 को इस सदन में संविद-श्रमिक के बारे में चर्चा करते समय आश्वासन दिया था कि वे रेलवे के नैमित्तिक श्रमिक संबंधी मामले की रेल मंत्री के साथ अलग से चर्चा करेंगे और इस बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो यह विधेयक इस सभा में कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी का उत्पादन और निर्यात

1859. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों को कितनी चीनी निर्यात की गई है; और

(ख) क्या चीनी उद्योग में चीनी के भंडारों के जमाव को दृष्टि में रखते हुए सरकार निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा में वृद्धि कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) पंचाग वर्ष 1970 में लगभग 3.18 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात की गई थी।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के अन्तर्गत हमें अपना चीनी का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् द्वारा निर्धारित मात्रा तक सीमित रखना पड़ता है। 1971 के लिए भारत की कुल निर्यात हकदारी इस समय लगभग 3.50 लाख मीटरी टन बैठती है। हम इस वर्ष भी अपनी हकदारी के अनुरूप चीनी का निर्यात करेंगे। लगभग 1.6 लाख मीटरी टन चीनी पहले ही निर्यात की जा चुकी है।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या

1860. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति द्वारा अब तक कितने और कौन कौन से विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये ;

(ख) सरकार ने कितने प्रतिवेदनों को स्वीकार कर लिया है तथा कितने सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) क्या सरकार के पास 6 महीने से अधिक की अवधि से कोई प्रतिवेदन अनिर्णीत है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके निपटारे में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने अब तक 7 रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) 3 रिपोर्टों के सम्बन्ध में समिति की अधिकाँश सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं, शेष 4 रिपोटं अभी विचाराधीन हैं ।

(ग) तीन

(घ) राज्य सरकार और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से उन पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का विवरण ।

1. अशरफाबाद के पुराने शिविर स्थान तथा घुमक्कड़-गृहों (वैग्रैंट होम्स) में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर आन्तरिम रिपोर्ट ।
2. पश्चिम बंगाल में नए प्रवासियों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ ।
3. पश्चिम बंगाल के पुराने शिविर स्थानों पर रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ।
4. पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा अर्जित भूमियों पर अनधिकृत रूप से रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास
5. पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों का मुर्गी पालन योजनाओं के माध्यम से पुनर्वास ।
6. पश्चिम बंगाल में बागजोला समूह के पुराने शिविर स्थानों पर रह रहे विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ।
7. पश्चिम बंगाल में नए प्रवासियों के हित के लिए चिकित्सा सुविधाएं ।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति के प्रतिवेदनों की क्रियान्वित के लिये धन की व्यवस्था करने का वचन

1861. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य समीक्षा समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कुल कितने धन की व्यवस्था करने का वचन दिया गया है जिनको सरकार ने अभी तक स्वीकार कर लिया है;

(ख) अवशिष्ट अनुमान के अन्तर्गत नियत निधि से कितनी राशि दी जायेगी; और

(ग) राज्य सरकार को कुल राशि का कितना भाग अनुदान और ऋण के रूप में दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 490.88 लाख रुपये ।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) अनुदान के रूप में 276.87 लाख रुपये ऋण के रूप में 214.01 लाख रुपये

केन्द्रीयपूल के लिए वसूल किए गए गेहूं के भण्डारों का निपटारा करना

1862. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय पूल के लिये राज्य में वसूल किये गये गेहूँ के भण्डारों का तुरन्त निपटारा करने का प्रबन्ध किया जायें;

(ख) क्या राज्य सरकर ने इस बात पर बल दिया है कि यदि भण्डारों का निपटारा नहीं किया गया तो उनके खराब होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो समय रहते भण्डारों का निपटारा नहीं करने के क्या कारण हैं और इनका निपटारा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हाँ।

(ग) परिचालन की दृष्टि से यह व्यवहार्य नहीं है कि हरियाणा में कम और व्यस्ततम अवधि (मई और जून) में अधिप्राप्त की गई समूची मात्रा साथ-साथ उठाई जा सके। हरियाणा से रेल और सड़क दोनों ही मार्गों से यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं भेजा जा रहा है। इसके अलावा, तुरन्त न उठाये जा सकने वाले गेहूं के भण्डारण के लिए हरियाणा में यथा सम्भव अधिक से अधिक भण्डारण-स्थान सुलभ करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गये हैं। हरियाणा सरकार से इस संबंध में सहायता करने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

सम्पूर्ण उठाऊ सिंचाई एकक के लिए यांत्रिक मशीन का चयन

1863. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को पता है कि सम्पूर्ण उठाऊ सिंचाई एकक के लिये विभिन्न प्रकार की याँत्रिक मशीनों का चयन करने में भारतीय किसानों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हाँ। कृषक कभी कभी, समुचित तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव में, ऐसी सामग्री तथा विशिष्टियों के उपकरण ले लेते हैं, जो कि उनकी स्थानीय परिस्थितियों के पूर्णत: उपयुक्त नहीं होते।

(ख) सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं :--

(1) बोरिंग तथा ड्रिलिंग में कस्टम सेवा तथा कृषकों को उनके कार्यों के उपयुक्त डिजाइन और उपयुक्त प्रकार की सामग्री तथा उपकरणों के चयन में तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये राज्य तकनीकी संगठनों तथा संस्थात्मक एजेंसियों को समुचित रूप से सशक्त करना।

(2) कृषकों में विक्रय के लिये समुचित विशिष्टियों की सामग्री तथा उपकरणों के विभागीय भंडार की व्यवस्था करना।

(3) स्थानीय सरल भाषा के छोटे 2 पत्रकों द्वारा तथा फिल्म प्रदर्शन और रेडियो प्रसारण तथा टेलिविजन प्रसारण द्वारा कृषकों के तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था करना।

1970 में अन्न का उत्पादन

1864. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 में भारत में कितने अन्न का उत्पादन हुआ; और

(ख) अन्य एशियाई देशों की तुलना में यह उत्पादन कितना था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार भारत में 1969-70 के **मौसम** की अवधि में 878.10 लाख मीटरी टन अनाज के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। 1970-71 के लिये इस प्रकार का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) विभिन्न एशियाई देशों में नवीनतम वर्ष 1968 जिसके सम्बन्ध में खाद्य कृषि संगठन की उत्पादन "इयरबुक" में आँकड़े उपलब्ध हैं की अवधि में अनाजों के उत्पादन को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एशियाई देशों में 1998 की अवधि में अनाजों का उत्पादन

एशियाई देश	वर्ष 1968
अफगानिस्तान	3745
बुनि	8
वर्मा	8655
कम्बोडिया	3405
लंका	1377
चीन ताइवान	3382
साइप्रस	116
हांगकांग	18

भारत	103476
इंडोनेसिया	18326
ईरान	7160
ईराक	2657
इजरायल	225
जापान	20986
जोर्डन	116
कोरिया (उत्तरी)	5183
कोरिया (गणतंत्र)	6934
लाग्रोस	955
लेबनान	66
मलेशिया	
साभा	95
सारावाक	123
प० मलेशिया	1042
मंगोलिया	382
नेपाल	3516
पाकिस्तान	27884
फिलिपाइन	5900
पोर्ट टिमोर	32
र्यूक्यू ग्राइलैंड	14
सऊदी ग्ररेबिया	235
दक्षिण यमन	48
सीरिया	1169
थाइलैंड	12365
टर्की	15964
वियतनाम (एन टी ए)	5150
वियतनाम (गणतंत्र)	4398
येमन	742
चीन (मुख्य)	182300

नोट: (क) भारत के ग्रतिरिक्त एशियाई देशों में 'समस्त ग्रनाजों' में गेहूं, राई, जौ, जई मिश्रित ग्रनाज, बाजरा तथा सोधर्म, चावल (धान), बक ह्वीट तथा विविध ग्रनाज सम्मिलित हैं।

(ख) भारत के मामले में कुल ग्रनाजों में चावल (धान के रूप में) ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, छोटा बाजरा, गेहूं तथा जौ सम्मिलित हैं।

भारत सम्बन्धी आँकड़े कृषि वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में हैं। 1969-70 में धान के रूप में चावलों का अनुमान 1080.30 लाख मीटरी टन है।

स्रोत : भारत के अतिरिक्त अन्य एशियाई देशों के आँकड़े खाद्य कृषि संगठन की उत्पादन 'इयर बुक' 1969 में से लिये गये हैं जो कि अभी तक उपलब्ध नवीनतम प्रकाशन है और 1968 वर्ष तक की जानकारी देता है।

Distribution of Iron and Steel in Indore, Madhya Pradesh

1865. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Steel and Mines,** be pleased to state :

(a) the number of traders who were issued quota of Iron and Steel from Hindustan Steel Depot in Indore (Madhya Pradesh) during the year 1970-71 and the quota issued to each of them ; and

(b) the names of individuals who were issued quota for construction of buildings and houses during the same period together with the quota issued to each individual ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आँध्र प्रदेश की फैरोक्रोम फैक्ट्री को उड़ीसा की क्रोमाइट खान का पट्टे पर दिया जाना

1866. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आँध्र प्रदेश की फैरोक्रोम फैक्ट्री को उड़ीसा की क्रोमाइट खान पट्टे पर कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पट्टे की एक प्रति सभापटल पर रखा दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मैसर्स फैरो एलौय कारपोरशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण अर्जी पर राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया है कि वह क्रोम के लिए 3 खनन पट्टे और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियाँ अनुदत्त करें। उपरलिखित अनुज्ञप्तियों और पट्टों को अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

दोषपूर्ण पाये गये आर० एस०-09 टैक्टरों के फालतू कल पूर्जों की सप्लाई

1867. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मन सरकार ने दोषपूर्ण पाये गये ट्रैक्टरों के लिये फालतू कल पुर्जो की सप्लाई की है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने फालतू कल पुर्जे प्राप्त हुये हैं तथा उनसे कितने ट्रैक्टरों की मरम्मत हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) आर० एस०-09 ट्रैक्टरों के दोषयुक्त अतिरिक्त पुर्जे पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ताओं द्वारा सप्लाई किये गये न कि पूर्वी जर्मनी सरकार द्वारा।

(ख) सम्बन्धित राजकीय कृषि-उद्योग निगमों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	कृषि-उद्योग निगम का नाम	दी गई जानकारी
1.	गुजरात	पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ताओं ने आशोधित पैकेजों के 238 सेट तथा 111 खुली हुई मदें सप्लाई की हैं। उनसे प्राप्त की गई मदों की सहायता से अब तक 203 ट्रैक्टर आशोधित किये गये हैं।
2.	राजस्थान	अन्य अतिरिक्त पुर्जों सहित 146 आशोधन सेट प्राप्त हुये हैं। 7 ट्रैक्टरों को ठीक किया गया है।
3.	पंजाब	पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ताओं ने नवम्बर, 1970 तक पंजाब में 301 ट्रैक्टरों का आशोधन किया है। आशोधन, ट्रैक्टरों के कार्य-निष्पादन को सुधारने में असफल रहे हैं। पूर्वी जर्मनी के सम्भरणकर्ता मार्च, 1971 से शेष ट्रैक्टरों का आशोधन कर रहे हैं। किसान आशोधन करने के लिये तैयार नहीं है।
4.	मैसूर	क्लच पुर्जों के 30 बाक्स, बिजली सम्बन्धी पुर्जों की 10 मदें प्राप्त हुई हैं लेकिन उनको ट्रैक्टरों में नहीं जोड़ा गया है। खराबियों को दूर करने के लिये पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ताओं द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
5.	आँध्र प्रदेश	5,29,250 रुपये के अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त हुये हैं। 190 ट्रैक्टरों का आशोधन किया गया है लेकिन उनमें खराबियां अभी बाकी हैं।
6.	तमिल नाडु	पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ताओं के साथ किये गये करार के अनुसार आशोधन के लिये आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे मद्रास भेजे गये हैं। पूर्वी जर्मनी के तकनीशियनों की देख रेख में आशोधन कार्य किये जा रहे हैं। वास्तव में आशोधन कार्य 12–3–71 को शुरू किये गये और अब तक 35 आर–एस–09 ट्रैक्टर आशोधित किये गये हैं। आर–एस–09 ट्रैक्टरों की निकासी के समय 5 ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त पाये गये, जिनके अतिरिक्त पुर्जे गायब थे। ये 5 ट्रैक्टर पूर्ण नहीं हैं और पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्ताओं से अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध किये जाने हैं।

Distribution of Tractors to States Imported during 1970-71

1868. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise details of the tractors supplied to the various States out of the tractors imported during 1970-71 ;

(b) whether out of these, 600 German tractors supplied to the Government of Punjab were found defective ; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Government of India had decided to import 35,000 tractors against the requirement for 1969-70. Of these, contracts for the import of 33,500 tractors have so far been concluded. Out of 33,500 tractors, allocations for 16,875 tractors have already been made to the various State Agro-Industries Corporations. A statement showing the State-wise details is appended. Allotment of more tractors will be made in due course. The import programme against the requirement for the year 1970-71 is under consideration of Government.

(b) 600 numbers of RS-09 tractors imported from G.D.R. were allotted to the Punjab Agro-Industries Corporation against the import programme for 1968-69. These tractors were, however, received during 1969-70. There were general complaints against the performance of these tractors.

(c) A protocol has been signed between the S. T. C. of India and the G. D. R. Suppliers on 21st February 1971 for the return of modified RS-09 tractors. A copy of the Protocol has already been laid on the Table of the Sabha.

Statement

Statement showing actual allotment of trctors made to State Agro-Industries Corporations against the requirement for 1969-70.

Serial no.	Name of the Agro-Industries Corporation	No. of tractors allotted
1.	Andhra Pradesh	1,589
2.	Assam	150
3.	Bihar	1,089
4.	Gujarat	1,254
5.	Haryana	1,432
6.	Jammu and Kashmir	120
7.	Kerala	287
8.	Madhya Pradesh	1,254
9.	Tamil Nadu	1,285
10.	Maharashtra	1,339
11.	Mysore	939
12.	Orissa	190
13.	Punjab	1,584
14.	Rajasthan	1,734
15.	Uttar Pradesh	2,579
16.	West Bengal	50
	Total	16,875

Rise in Prices of Coal

1869. **Dr. Laxinarain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the prices of coal are continuously rising due to irregular supply of coal in the country at present ;

(b) the reasons for irregular supply of coal ;

(c) the time by which the situation is likely to improve ; and

(d) the steps taken by Government to check the rise in prices ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) There are reports of rise in prices of coal due to irregular supply.

(b) This s due to shortage of wagons which has arisen as a result of law and order difficulties faced by the Railways in the Bengal-Bihar area.

(c) and (d) : There is no dearth of coal at producing centres and in fact, there has been considerable accumulation of stocks at pitheads. The Government of India are trying to ensure quick movement of coal by Railways by improving, in consultation with the State Government concerned, the law and order situation in the Eastern region.

Deposits of Manganese and Bauxite in Madhya Pradesh

1870. **Dr. Laximnarain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether large deposit of Manganese and Bauxite have been found in Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether the said minerals are not being exploited;

(c) whether the Central Government have given any assistance to the State Government so that these minerals could be exploited ; and

(d) if so, the date when such assistance was given ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir. As a result of investigations carried out by the Geological Survey of India a large number of deposits and minor occurrences of bauxite in Surguja, Raigarh, Bilaspur, Shahdol, Durg, Mandla, Balaghat, Jabalpur, Rewa, Satna, Panna, Guna, Shajapur, Shivpuri and Bastar districts and of Manganese ore in Chhindwara, Balaghat, Jhabua and Jabalpur districts of Madhya Pradesh have been located.

(b) The bauxite deposits in Damgarh and Jaleshwar areas in Shahdol district which is a part of the Amarkantak Plateau are being exploited by Hindustan Aluminium Corporation.

Detailed exploitation by Geological Survey of India have indicated deposits in Mandla, Bilaspur, Surguja, Shahdol and Balaghat districts. Proved deposis in Phutka-Pahar and Amarkantak Plateau areas are being developed by the Bharat Aluminium Company to feed their Aluminium plant which is being set up at Karba. The manganese ore deposits are being exploited by Manganese Ore India Ltd. and some private agencies.

(c) The answer is in the negative—Nor have the State Government of Madhya Pradesh made any request for assistance to the Central Government for exploitation of these minerals.

(d) Does not arise.

Request for World Bank aid for Development of Agriculture in Madhya Pradesh

1872. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the state Government of Madhya Pradesh has requested the World Bank for financial assistance for development of Agriculture in the State ;

(b) if so, the amount of financial assistance asked by it ; and

(c) whether the Central Government have given approval to this request of the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh have prepared a Credit project for Ground Water Development, Farm Mechanisation and Land Development envisaging a total outlay of about Rs.47.40 crores for seeking financial assistance from the World Bank.

(c) The project is under examination.

Protection of Cotton Crop of Madhya Pradesh from Disease

1873. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether cotton crop in Madhya Pradesh has been seriously affected by several diseases ;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh has sent any representation to the Central Government in this regard ; and

(c) if so, the measures taken or proposed to be taken by Government to protect cotton crop in Madhya Pradesh from diseases ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) On receipt of the representations from the Stae Government, Central Teams had visited the affected areas in September-October, 1970. The Central Team had recommended that organised control measures against pests and diseases affecting cotton crops in the State should be undertaken. The State Government of Agriculture had declared the districts of Khandwa, Khargone and Dhar as being affected by pests on epidemic scale, under the State Pests and Diseases Act. The area on which the Central Team had recommended the continuance of pest control operations is 61,860 acres. The Central financial assistance under the National Calamities Relief Fund, which provides for grant to the extent of 50 per cent of the cost of pesticides and loan to the extent of 25 percent, will be granted after receipt of claims from the State Government worked out on the basis of area actually covered and the expenditure incurred in control operations.

Development of Areas for Wild Life Sanctuary in Madhya Pradesh

1874. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some areas in Madhya Pradesh have been recommended by the Wild Life Board for being developed into sanctuaries, and

(b) if so, the particulars thereof and the action taken by Government to implement the recommendations of the Board ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (**Shri Sher Singh**) : (a) and (b) : Yes, Sir.

On the recommendations of the State Wild Life Board, one National Park namely Bandogarh National Park in Shahkol District and one Sanctuary namely Bori in Hoshangabad District have been established. Recommendations for eight more Sanctuaries are under consideraton of the State Government as below :

Sanctuary	Districs
1. Kutru	Bastar District.
2. Ghunghuti	Shahdol District.
3. Ghurna	Hoshangabad District
4. Khapa	Ditto.
5. Patan	Ditto.
6. Khawasa ..	Seoni District.
7. Khandlai	Ditto.
8 Gandhi-Sagar (For Bird Sanctuary)	Indore District.

इस्पात का आयात

1875. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 42 करोड़ रूपयों के मूल्य के इस्पात का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो जिन पार्टियों के माध्यम से इस इस्पात का आयात किया जा रहा है उनका विवरण क्या है;

(ग) प्रत्येक पार्टी को कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये;

(घ) सरकार ने जिस इस्पात के आयात का निर्णय किया है उसके प्रत्येक किस्म के इस्पात का मूल्य क्या है; और

(ङ) इस कमी के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) इस वर्ष (1971-72) के लिए आयात का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसी संभावना है कि आयात 100 करोड़ रुपये से बढ़ जायेगा।

(ख) आयात वास्तविक उपभोक्ताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आयात अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

(ग) यह सूचना औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में उपलब्ध है। यह एक सरकारी प्रकाशन है जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) जिन श्रेणियों का आयात करने की अनुमति है उनका विवरण आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तिका भाग 1 के परिशिष्ट 41 की अनुसूची (क) से (घ) में दिया गया है। यह सरकारी प्रकाशन है तथा इसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। किस सीमा तक प्रत्येक श्रेणी का आयात किया जायेगा, यह इस बात पर निर्भर होगा कि इस वर्ष उपभोक्ताओं द्वारा सूचित आवश्यकताओं की किस मात्रा के लिए लाइसेंस दिये गये हैं और किस सीमा तक इन लाइसेंसों का उपयोग किया जायेगा।

(ङ) जिन श्रेणियों को आयात करने की अनुमति दी गई है उनका देश में उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। विभिन्न श्रेणियों से इस्पात के आयात के लिए अनुमति देने की वार्षिक आयात नीति निर्धारित करने से पहले इस बात पर विचार कर लिया

जाता है कि इन श्रेणियों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति देशी उत्पादन से किस सीमा तक संभव है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1876. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रकशन लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारी मई, 1971 के मध्य से हड़ताल पर है; और

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की माँगें क्या हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हाँ। हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के उपकरण तथा संविरचन-निर्माण कार्य में लगे हुये तथा स्टोर में काम करने वाले कुछ दैनिक कर्मचारियों ने 17 मई, 1971 से आंशिक हड़ताल कर रखी है।

(ख) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत माँग-पत्र संलग्न है। हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० ने युनाइटिड प्रौटिस्ट लेबर फेडरेशन, जो मान्यता-प्राप्त यूनियन नहीं है, के प्रतिनिधियों के साथ बात-चीत करने के पश्चात् निम्नलिखित माँगों पर विचार करना स्वीकार कर लिया है :––

1. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, जिनमें मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी शामिल है, के वेतन ढांचे में सुधार करना।
2. मकान देना अथवा उसके बदले में मकान का किराया देना।
3. अधिक समय के काम के लिए समयोपरि भत्ता।
4. कर्मचारियों के निवास-स्थान से लेकर कार्य करने के स्थान तक सवारी भत्ता।
5. कम्पनी के दैनिक कर्मचारियों को कम्पनी के वेतनमान में लाना।
6. दैनिक कर्मचारियों के आश्रितों (स्त्री और बच्चे) को चिकित्सा सुविधाएं देना।
7. कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करना।
8. दुर्घटना सम्बन्धी शिकायतें (हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के कर्मचारियों के कर्मकार प्रतिकर के मामले भी सम्मिलित है) को तत्काल निपटाना।
9. शिक्षा विभाग द्वारा मिडिल तक शिक्षा सुविधाएं देना।

सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों (यू० पी० एल० एफ० के सचिव भी सम्मिलित हैं) से बातचीत में यह स्वीकार किया गया था कि उपरिलिखित माँगों में से पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवी और छठी माँगे पंच-निर्णय के लिए दे दी जायं परन्तु यू० पी० एल० एफ० की कार्यकारिणी ने पंच-निर्णय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। चूंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत यू० पी० एल० एफ० को प्रतिनिधि यूनियन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, अत: हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कस्ट्रक्शन लि० ने कर्मचारियों से एक नई समिति बनाने को कहा है जो हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से आगे बातचीत कर सके। इस बीच स्टोर में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी अपने काम पर वापिस आ गये हैं। ये कर्मचारी अपनी माँगों के बारे में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं।

विवरण

बोकारो स्टील लि०, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० तथा विभिन्न सिविल स्थापना तथा संविरचन कार्य करने वाले ठेकेदारों के कर्मचारियों की माँगों के बारे में यू० पी० एल० एफ० द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र।

1. बोकारो स्टील लि०, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० तथा विभिन्न ठेकेदारों के पास काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन-ढांचा एक जैसा तथा निम्नलिखित होना चाहिए :—

   (क) निम्नतम तथा उच्चतम श्रेणियों में अन्तर किसी भी हालत में दस गुने से अधिक नहीं होना चाहिए।

   (ख) निम्नतम तथा उच्चतम श्रेणियों में केवल दस वेतन मान होने चाहिए।

   (ग) ठेकेदारों के पास इंजीनियरी, सिविल, स्थापना, तथा बिजली के कामों में लगे हुए कर्मचारियों का वेतन-ढांचा एक जैसा होना चाहिए।

   (घ) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के कर्मचारियों को 33 रुपये अन्तरिम सहायता देने के बारे में वेतन-ढांचा समिति के फैसले को फैसले की तारीख से लागू किया जाय।

2. 400–950 रुपये के ग्रेड से निचले सभी कर्मचारियों को, जिनमें क्षेत्र-कर्मचारी तथा कार्यालय-कर्मचारी भी शामिल हैं, समयोपरि भत्ता मिलना चाहिए।

3. बोकारो स्टील लि० के 400–950 रुपये के ग्रेड से नीचे के ग्रेडों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति-मार्ग के बारे में तत्काल फैसला किया जाए।

4. बोकारो स्टील लि० तथा हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में 400–950 रु० के ग्रेड तक सभी रिक्तियाँ उसी लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा भरी जायं।

5. बोकारो स्टील लि० तथा हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में छः मास से अधिक समय से काम कर रहे सभी चिट्ठा कर्मचारियों को तत्काल रेगुलर काडर में रखा जाय। बोकारो स्टील लि० तथा हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में ठेका प्रथा को तत्काल समाप्त किया जाय और समस्त कार्य विभाग द्वारा किया जाय।

6. बोकारो स्टील लि० तथा हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० द्वारा सताये गये नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों/सुरक्षा-गारद आदि भी सम्मिलित है, बहाल किया जाय।

7. बोकारो स्टील लि० में निर्माण-भत्ते को 15 प्रतिशत से पुनः 20 प्रतिशत किया जाय।

8. जिन कर्मचारियों के साथ 3 से 5 साल तक सेवा करने का इकरारनामा किया गया है उन्हें रेगुलर काडर में लिया जाय।

9. जातिवाद, भाई-भतीजा वाद तथा पक्षपात को खत्म किया जाय और इन आरोपों की जाँच करने के लिए तथा प्रायोजना के कार्य में देरी के लिए सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च-अधिकार प्राप्त समिति का तत्काल गठन किया जाय।

10. सभी कर्मचारियों को, चाहे वे बोकारो स्टील लि० तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में काम करते हों या ठेकेदारों के पास, निम्नलिखित सुविधाएं दी जायं :—

(क) मकान अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान मकान का किराया।

(ख) कर्मचारियों के बच्चों की उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क पढ़ाई, स्कूल की पोशाक तथा दोपहर का खाना भी साथ दिया जाय।

(ग) सवारी अथवा सवारी भत्ते की व्यवस्था।

(घ) सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा-सुविधा।

(ङ) बस्तियों से बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक पक्की सड़कें तथा उपयुक्त सुविधाएं।

(च) कारखाने में तथा दूसरे कार्य स्थलों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बस की सुविधा।

(छ) सभी प्रकार के क्वार्टरों में तार लगाई जाय ताकि खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

(ज) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान की व्यवस्था।

(झ) रियायती कैंटीनों की तत्काल व्यवस्था की जाय।

(त) सभी कर्मचारियों/मजदूरों के दिल बहलाव के लिए कार्यक्रम बनाये जायें।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

1877. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिमिटेड अधिकाँश निर्माण कार्य स्वयं नहीं करता अपितु वह निजी ठेकेदारों से करवाता है जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक संकट, काम का बन्द होना आदि संकट होते रहते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निजी-ठेकेदारों को काम देने की प्रणाली समाप्त करने के बारे में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्पूर्ण निर्माण कार्य हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा ही किया जाए; कोई विचार किया गया है और; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड ने सिविल इंजीनियरी तथा संरचनात्मक कार्यों से संबन्धित अधिकतर निर्माण कार्य प्राइवेट ठेकेदारों को सौंपे हैं। फिर भी, बोकारो में यदाकदा होने वाली श्रमिक अशान्ति का केवल एकमात्र यही कारण नहीं है और नाहीं उसकी यह एक बड़ी वजह है।

(ख) : हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि० उपकरणों की स्थापना तथा कुछ क्षेत्रों में ढांचे लगाने का काम भी स्वयंम कर रही है। प्राइवेट ठेकेदारों को सभी कार्यों से विशेषत: सिविल तथा संरचनात्मक कार्यों से बिल्कुल अलग रखना न तो लाभदायक है और न व्यवहारिक ही है। इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए काफी मात्रा में उपकरण तथा मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है जो उन प्राइवेट ठेकेदारों के पास ही हैं जिन्होंने इस प्रकार के बृहत कार्य करने में आवश्यक कुशलता तथा अनुभव प्राप्त कर लिया है।

Procurement of Foodgrains in Rajasthan

1878. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state

(a) the quantity of bajra and wheat purchased from the Rajasthan State by the Food Corporation of India during 1971 and the rate of procurement thereof ;

(b) whether bajra and wheat were not purchased direct from the cultivators but through intermediaries and as a result of which the profits went to the intermediaries and not to the cultivators ;

(c) whether the employees of the Food Corporation of India did not purchase the foodgrains in time as a result of which also the cultivators did not get full benefit ; and

(d) the quality of bajra and wheat preferred by the Food Corporation of India while making purchases ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Food Corporation of India have purchased a quantity of 60.6 thousaand tonnes of Bajra on Central and State accounts and 65.8 thousand tonnes of wheat till the end of May, 1971. The purchases have been made at the procurement prices fixed for the grains.

(b) Initially, there were complaints that the Food Corporation of India were not purchasing directly from the cultivators. In consultation with the State Government, Advisory Committees were, therefore, constituted for each purchase centre to certify the cultivators and with the help of these Advisory Committees, the staff of the Food Corporation of India is making purchases directly from the cultivators now.

(c) In case of Bajra, the Food Corporation of India staff could not purchase the grains affected by rains as the quality was below the prescribed standards. With the relaxation in the specifications, such of the rain-affected grain as fall within the relaxed specifications is being purchased.

(d) The Food Corporation of India purchases grains according to the specifications laid down by the Central/State Government.

Agricultural Development Projects in Unirrigated Areas of Rajasthan

1879. **Shri M. C. Daga** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the unirrigated areas where agricultural development projects have been undertaken, the number of such projects and the number of people likely to be benefited by these projects ; and

(b) the number of such projects undertaken or likely to be undertaken in Rajasthan in the near future and the names thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasabheb P. Shinde) : (a) 24 Pilot Porjects under Dryland Farming are envisaged during the Fourth Plan period. 9 such Pilot Projects were undertaken, one each in Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Mahasrashtra, Mysore, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh in 1970-71. The remaining 15 Pilot projects are being started from the current financial year. It is estimated that more than one lakh people will be benefited by these projects.

(b) In Rajasthan, one Pilot project is already functioning at Jodhpur. The location of two addtional projects is under consideration of the State Government.

Setting up of a Unit of Modern Bakery at Motihari (Bihar)

1880. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minster of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is a great demand for the products of the Modern Bakery among the public ;

(b) if so, whether a unit thereof is proposed to be set up at Motihari in Champaran District (Bihar), and

(c) if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) : Yes, Sir.

(b) : No, Sir.

(c) : Does not arise.

कार्यभार में वृद्धि होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नए पद की मंजूरी

1881. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली मार्च, 1971 से परिवार पेंशन निधि के आरम्भ होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यभार में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नए पदों की मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा योजना की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) : यद्यपि परिवार पेंशन योजना 1–3–71 से शुरू की गई है, तथापि कर्मचारियों द्वारा विकल्प देने की तारीख को 31 अगस्त, 1971 तक बढ़ा दिया गया है। संगठन पर पड़े कार्य-भार की सीमा 31–8–1971 तक इस योजना के पक्ष में दिए जाने वाले विकल्पों और उन व्यक्तियों की संख्या पर भी निर्भर करेगी जो 1–3–1971 के बाद कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के सदस्य बनेंगे। अभी तक कोई नए पद मंजूर नहीं किए गए हैं। तथापि, कार्यभार में वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है और समुचित सीमा तक आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के कारखाने की स्थापना

1882. **श्री मयावन्** : **श्री मुरासोली मारन** :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे किस जगह स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख)— अभी नहीं। यह विनिश्चय केवल तब लिया जाएगा जब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा हाल ही में तैयार की गई और सरकार को प्रस्तुत की गई साध्यता रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा।

'सिम्मा घेरा टी एस्टेट' में तालाबन्दी

1883. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के 'सिम्ना घेरा टी एस्टेट' नामक चाय के बाग में लम्बी अवधि से तालाबन्दी चल रही है ;

(ख) क्या अवैध तालाबन्दी के कारण चाय बाग के श्रमिकों को कठिनाई हो रही है; और

(ग) बाग में पुनः कार्य आरम्भ कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : **(क) से (ग)** : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को अपना धंधा करने की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिये विशिष्ट व्यवसायों में प्रशिक्षण

1884. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपना धंधा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को विशिष्ट व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं का राज्यवार व्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) यह योजना राज्य सरकारों द्वारा अमल में लाई जायेगी। योजना राज्य सरकारों के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई थी। गुजरात और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने राज्य में इस योजना को लागू भी कर दिया है। वहाँ प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिशत से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी। अन्य राज्यों में यह योजना अभी लागू होनी है।

त्रिपुरा के गोलकपुर चाय बागान में तालाबन्दी

1885. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के गोलकपुर चाय बाग में मार्च, 1971 से अभी तक तालाबन्दी चल रही है ;

(ख) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने उस तालाबन्दी को अवैध घोषित कर दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या बाग में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को कोई मुआवजा दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पश्चिम पाकिस्तान से आये दिल्ली के बस्तियाँ बनाने वाले व्यक्तियों (कालोनिस्ट) को उनके दावों के निपटान के लिये कृषि योग्य भूमि का आवंटन

1886. **श्री दलीप सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये दिल्ली के बस्तियाँ बनाने वाले कितने व्यक्तियों को उनके दावों के निपटारे में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे कुछ ऐसे कालोनी बनाने की है जिनके दावों को अभी तक पूर्णतः अथवा आँशिक रूप से नहीं निपटाया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे कालोनी बनाने वालों के नाम तथा पते क्या है; और

(घ) इन कालोनी बनाने वालों को आवंटन के लिये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उपलब्ध ग्रामवार कृषि योग्य भूमि कितनी है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 76

(ख) मूल रूप में दिल्ली की बस्तियाँ बनाने वाले सभी व्यक्तियों के दावों का निपटारा किया जा चुका है, परन्तु बाद में निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त 76 में से 15 के आँशिक दावों के निपटारे के लिए फिर से विचार किया जा रहा है :—

(i) कुछ क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है और उस क्षेत्र में भूमि के आवंटन को संशोधित किया गया है।

(ii) भूमि के कुछ प्लाटों पर काश्तकारों ने भूमिदारी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं और परिणामस्वरूप इन प्लाटों के आवंटन को रद्द कर दिया गया।

(iii) उच्च न्यायालयों में की गई अपील या अभिवेदन पर भूमि के कुछ प्लाटों को गैर निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित किया गया है।

(iv) पाकिस्तान से प्राप्त भूमि के रिकार्ड की जाँच करने पर दिल्ली के कुछ बस्ती बनाने वाले व्यक्तियों के दावों को बढ़ा दिया गया है।

(ग) सूचना अनुलग्नक में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 378/71**]

(घ) बस्ती बनाने वाले ऐसे व्यक्तियों को एलाट करने के लिए ग्रामीण कृषि-भूमि उपलब्ध कराने के प्रश्न की जाँच की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान द्वारा रावी नदी के जल का उपयोग किये जाने का समाचार

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : श्रीमन्, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय

लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सबध में एक वक्तव्य दें :

"अप्रैल' 1970 में समझौता समाप्ति के पश्चात् भी पाकिस्तान द्वारा रावी नदी के जल का उपभोग किये जाने का समाचार।"

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : रावी का प्रवाह वर्ष प्रतिवर्ष 50 लाख एकड़ फुट से 70 लाख एकड़ फुट के बीच घटता बढ़ता रहता है। इसका औसत प्रवाह लगभग 64 लाख एकड़ फुट है। विभाजन के समय इसके लगभग 15 लाख एकड़ फुट जल का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जा रहा था, जो इस समय भारत में है।

सिन्धु जल संधि 1960 के अधीन 1 अप्रैल, 1970 से रावी का समस्त जल प्रवाह भारत के अबाध उपयोग के लिए उपलब्ध हो गया है।

यू० बी० डी० सी० विस्तार, माधोपुर ब्यास सम्पर्क, हरिके हैडवर्क्स, और सरहिंद सम्भरक (फीडर) का निर्माण और राजस्थान नहर का आंशिक रूप से निर्माण हो जाने से 25 लाख एकड़ फुट अतिरिक्त जल का उपयोग किया जा रहा है। जब पौंग बाँध पूरा हो जाएगा, तो प्रणाली के एकीकृत संचालन के कारण ऊपर बताए गए कार्यों के लिए रावी के 15 लाख एकड़ फुट और जल का उपयोग किया जा सकेगा। इस तरह औसत वर्ष में 10 लाख एकड़ फुट जल ही शेष रह जाता है, जो रावी नदी के साथ नीचे चला जाता है और ऐसा प्रायः मानसून के महीनों में होता है। बाढ़ के इस जल को रोक रखने के लिए एक संचय बाँध के वैकल्पिक प्रस्तावों की जाँच की जा रही है।

श्री पी० गंगादेव : पंजाब सरकार ने इस बारे में राष्ट्रीय महत्व को समझते हुए चौथी योजना के प्रारूप में इस परियोजना के लिये 26.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी परन्तु योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि योजना आयोग ने, इसमें देश का लाभ देखते हुए भी इस परियोजना को प्राथमिकता क्यों नहीं दी ?

डा० के० एल० राव : हमने जो कार्य हाथ में लिया है उसकी पूर्ति के लिये जिससे नदी में बहने वाले 80 लाख एकड़ फिट जल का उपयोग होगा, हमें अपनी चौथी योजना में निर्धारित राशि से और 210 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होती है। धन की कमी के कारण हम इसकी व्यवस्था नहीं कर सके। अगर हम 90 करोड़ रुपया भी दे सकते तो रावी नदी से 10 लाख एकड़ फिट जल का उपयोग करने के लिये एक बाँध का निर्माण कर सकते थे। इसीलिये योजना आयोग ने यह उचित समझा है कि जो काम हमारे हाथ में पहले है हम इसी की ओर ध्यान दें।

श्री नुग्घदली शिवप्पा (हसन) : सिंध संधि करार के अधीन पाकिस्तान को गत अनेक वर्षों से प्रतिवर्ष 20 लाख एकड़ फिट जल के अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है। अब पाकिस्तान को फालतू पानी जा रहा है। इस संधि के 1 अप्रैल, 1970 को समाप्त हो जाने के बाद भारत को पूर्वी नदियों से पाकिस्तान को कुछ नहीं देना है। तक़नीकी राय के अनुसार केवल रावी के जल से ही 3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है जिससे प्रति वर्ष 46 करोड़ रुपये के मूल्य की फसल पैदा हो सकती है। यदि हम इसका लाभ उठाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्य को हाथ में लें, तो भी इसकी पूर्ति में 7 से 10 वर्ष लग जायेंगे। इस दृष्टि से रावी की इस परियोजना के लिये कितनी राशि नियत की जा रही है

तो कि यह जल बेकार न जाये क्योंकि पाकिस्तान स्वयं स्वीकार कर चुका है कि उनके मंगला बाँध के निर्माण के बाद उसे हमारे इस जल की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार क्यों नहीं करती ? इस परियोजना के तथा बाँध के निर्माण कार्य के लिये सरकार ने कितनी राशि नियत की है ?

डा० के० एल० राव : हमें सतलुज, रावी और व्यास—इन तीन नदियों का कार्य सौंपा गया है। हम पहले ही इनके तीन चौथाई जल का उपयोग कर रहे हैं और केवल एक चौथाई जल ही नदियों में बहता है। मानसून ऋतु में इन तीन नदियों में 90 लाख एकड़ फिट जल बहता है। बाँध का निर्माण पूरा हो जाने पर इसमें से हम 80 लाख एकड़ फिट जल का उपयोग कर सकेंगे और केवल 10 लाख एकड़ फुट जल रह जायेगा। इसके लिये पहले हम पोंग बाँध का निर्माण करेंगे। हम रावी में भी जल को बेकार नहीं जाने देना चाहते। पंजाब ने एक तथा हिमाचल ने दो योजनायें पेश की हैं हम उन पर विचार कर रहे हैं और आशा करते हैं कि प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिय कुछ तदर्थ खर्च करके हम इन परियोजनाओं को आरंभ कर सकेंगे। परन्तु वास्त-विक कार्य पाँचवी योजना में ही किया जायेगा।

सिर्फ व्यास की योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये हमें अतिरिक्त 210 करोड़ रुपये की जरूरत है जिसकी हमने योजना में व्यवस्था नहीं की है। रावी की योजना पर 90 से 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस तरह नदियों में बहने वाले जल को पूरी तरह रोकने के लिये हमें 310 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अब तो हम योजना से बाहर 210 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। शेष 100 करोड़ में से भी हम चौथी योजना में 10-15 करोड़ रुपये लगाने का विचार कर रहे हैं ताकि पाँचवी योजना में कार्य आरंभ करने के लिये प्रारंभिक कार्य पूरे किये जा सकें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेंन्द्रगढ़) : अत्यन्त आवश्यक जल रावी नदी में पाकिस्तान की ओर बह रहा है जब कि हरियाणा और राजस्थान में सूखी भूमि को जल की बड़ी आवश्यकता है। अनुभवी मंत्री महोदय आज से 10 वर्ष पहले जानते थे कि 10 वर्ष बाद यह जल फालतू हो जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि नव निर्मित नहरों पर हरियाणा सरकार को कितनी राशि की हानि हो रही है। पश्चिम यमुना कनाल में कुल क्षमता का केवल 10 प्रतिशत ही जल उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य नव निर्मित कनालों का निर्माण भी रावी तथा व्यास के इस अतिरिक्त जल की आशा पर किया गया था। इससे स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार को भारी हानि हो रही है क्योंकि इन कनालों के लिये जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि पृथक पृथक इन सभी कनालों के बारे में हरियाणा सरकार को कितनी हानि हो रही है ?

डा० के० एल० राव : मैं हरियाणा तथा पंजाब के मध्य जल के भाग के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इन दोनों प्रदेशों के बीच रावी तथा व्यास के पानी के बंटवारे का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। हमने एक तकनीकी समिति नियुक्त की थी जिसने हमें इस बारे में अपे-क्षित आँकड़े दिये हैं। ये आँकड़े हमें अभी हाल ही में मिले हैं और अभी इस बारे में और आगे विचार करना है कि पानी का बंटवारा किस प्रकार किया जाये। तभी हमें पता लग सकेगा कि कितनी मात्रा में जल भिन्न-भिन्न कनालों में जायेगा और कितने जल का उपयोग नहीं हो सकेगा।

Shri Ram Sahai Pandey (Rajnandgaon) : From the Hon. Minister's reply it is clear that he is very apt in giving statistics but he has no money. But when he was

aware of getting the full of Ravi waters in 1970, why were the Pougal Dam and other projects not completed before that so as to make full use of these waters ? Who is responsible for that ? Everytime Dr. K· L. Rao says that he has no money. Let him get it from the Finance Minister. It is no use saying that finances are not there. The country should get water.

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य समझते हैं कि धन बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमारे पास अनेक परियोजनायें हैं पर उन्हें पूरा करने के लिये पैसा नहीं है। योजना आयोग भी बहुत प्रयत्न कर रहा है परन्तु फिर भी सभी योजनाओं को पूरा करना संभव नहीं है।

फिर अवमूल्यन, मूल्यों में वृद्धि आदि कई कारणों से अनुमानों में बहुत ही वृद्धि हो गई है। उदाहरणार्थ ब्यास सतलुज परियोजना का प्राक्कलन तो दुगना हो गया है। पहले अनुमान 90 करोड़ रुपये का था अब 180 करोड़ रुपये का हो गया है। अनेक ऐसे कारण हैं जिन पर मेरे मंत्रालय का वश नहीं है।

फिर भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। परन्तु हमें सबसे अधिक धन की आवश्यकता है।

यदि आप केवल सिंचाई और विद्युत के लिये ही धन माँगे तो अधिक धन मिल सकता है परन्तु आपको तो शिक्षा आदि सभी चीजों के लिये धन चाहिये। आखिर इसकी भी कोई सीमा होती है। मेरा अभिप्राय यह है कि यह एक गंभीर मामला है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं और उसके लिये हमें धन चाहिये। हमारे सामने दो क्षेत्र हैं जहाँ काफी धन खर्च भी किया जा रहा है।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chhapra) : The hon. Minister has stated that he is utilising two-third of water and only one-third is allowed to flow down in the river during rains. He has also stated that lot of money will be required and there are many other projects waiting for completion. But these projects have got international importance because our water is flowing to a country with which we are not having good relations. Therefore, it is not desirable to take up the work of these projects on emergency basis, and in view of this, spend the money required for the purpose.

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ब्यास नदी के जल का उपयोग करने हेतु चौथी योजना में नियत की गई राशि के अतिरिक्त हमें 210 करोड़ रुपये की जरूरत है; और रावी के जल को नियंत्रित करने हेतु थेन बाँध का निर्माण करने के लिये हमें और 90 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां)

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1969–70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 362/71]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत एल्यूमीनियम (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 24 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2084 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 363/71]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1969–70 के प्रमाणित लेखे

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : श्री अन्नासाहिब शिण्डे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा चावल (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 7 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 687 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) बेलन मिल गेहूँ उत्पाद (मिल-द्वार) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 890 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दिल्ली वेलन मिल गेहूँ उत्पाद (मिल-द्वार और खुदरा) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 891 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 364/71]**

(2) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली के वढ़ 1969–70 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 365/71]**

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 22 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 732 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 366/71]**

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 20 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 362 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 367/71]**

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory (Committee)

दूसरा प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 9 जून, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री के० एस० भाखड़ा (पाटन) : मैं जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनज़ातियों के अध्यक्ष सम्बन्धी समिति की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव कब पेश किया जायेगा। मैं विधेयक को पुन: पुरस्थापित करने के बारे में भी जानना चाहता हूँ। यह लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव के तुरन्त बाद आना चाहिये था। यह भी बड़ी आवश्यक समिति है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मंत्री महोदय बाद में दे सकते हैं; यह कार्य मंत्रणा समिति संबंधी प्रस्ताव के अधीन नहीं आता अब प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 9 जून, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सामान्य बजट, 1971–72 सामान्यचर्चा जारी

GENERAL BUDGET, 1971-72 – GENERAL DISCUSSION (contd.)

श्री सतीश चन्द्र (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री श्याम नन्दन मिश्र, श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा श्री एच० एम० पटेल ने प्राय: डाक-से भाषण दिये हैं। सभी ने आर्थिक प्रगति की गति तेज करने को कहा है परन्तु सभी ने नये कर-प्रस्तावों का विरोध किया

है। इन विपक्षी नेताओं के भाषणों से तो मैं यही समझ पाया हूँ कि ये लोग ऐसे भाषण देकर कठिन परिस्थितियों से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

वित्त मंत्री का कार्य बड़ा ही कठिन होता है। विशेष रूप से हमारे जैसे गरीब देश में तो उनका कार्य बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह देश दीर्घकाल तक विदेशी शासन के अधीन रहने के बाद अब अपनी निजी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है।

एक विकासशील देश में वित्त मंत्री का कार्य और भी कठिन होता है। देश में धीरे-धीरे विकास प्रगति तथा समृद्धि की स्थिति लाने के लिये संसाधन जुटाने हेतु उसे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। परन्तु उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट करने अथवा उन्हें कोई रचनात्मक सुझाव देने के स्थान पर उनके प्रति बड़े ही कटु तथा कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्री श्याम नन्दन मिश्र जी ने वित्त मंत्री का उपहास करने का प्रयास किया परन्तु यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिये कि जब कोई अकलमन्द आदमी हंसता है तो दुनिया भर के लोग उसके साथ हंसते हैं जबकि कल यह हुआ कि जब श्री श्याम नन्दन जी मिश्र वित्त मंत्री का उपहास करते हुए हँसे तो केवल उनके कुछ दल-समर्थकों को छोड़ कोई नहीं हंसा।

जब हम बजट प्रस्तावों पर विचार करते हैं तो हमें उन्हें उन उद्देश्यों को भी अपने सामने रखना है जो स्वाधीनता प्राप्ति से ही हमारे सामने हैं और जिनके लिये हम एक लंबी अवधि से कार्य करते चले आ रहे हैं।

अपने देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं ताकि हमारे देश के सामान्य लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो। हम चाहते हैं कि एक अर्से से चली आ रही बेरोजगारी की समस्या हल हो और यह तभी हो सकता है जबकि हम अपनी अर्थ व्यवस्था का तेजी से विकास करें तथा अधिकाधिक लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करें। हम चाहते हैं कि हमारी तकनीकी जन शक्ति बढ़े, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो, और हमारे देश में सामाजिक न्याय का वातावरण बने जो कि देश में सम्पत्ति के समान वितरण से ही संभव है। परन्तु खेद की बात यह है कि जब भी हमने बड़े बड़े पूंजी पतियों के हाथों में धन तथा सत्ता के केन्द्रीयकरण को छिन्न-भिन्न करने का मामूली-सा भी प्रयास किया कि काफी शोर व गुल मचा दिया गया।

परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि गत कुछ महीनों के अनुभव के पश्चात् विपक्ष के कुछ नेताओं की विचार धारा में कुछ परिवर्तन आया है। बहुत दिन तो नहीं हुए इस बात को कि उन्होंने भूतपूर्व नरेशों के प्रिवीपर्स समाप्त करने के प्रयास का विरोध किया था परन्तु आज वही लोग इसका समर्थन करके गरीब तथा पिछड़े वर्गों के हितों के सर्वप्रमुख रक्षक बनने का दावा कर रहे हैं।

वे चाहते हैं कि कर न लगें परन्तु देश में ऊंचे पैमाने पर पूंजी निवेश तथा तीव्र गति से आर्थिक प्रगति हो। भारत जैसे 55 करोड़ जन संख्या वाले देश में पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय तथा सभी सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना कोई सरल काम नहीं है। अतः इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार को यथोचित कदम तो उठाने ही होंगे अतः इन उद्देश्यों की पूर्ति चाहने वालों को इन कर प्रस्तावों का विरोध नहीं करना चाहिये।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बजट प्रस्तावों की आलोचना करते समय विरोधी नेताओं

ने कोई वैकल्पिक या कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया है। इससे स्पष्ट है कि हमने जो मध्यम मार्ग चुना है उस पर चल कर देश प्रगति कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आज का दिन शेष है और द्रमुक, तेलंगना प्रजा समिति तथा 28 कांग्रेस के सदस्यों की सूची मेरे पास है। सभी सदस्य 3–4 मिनट में अपनी मुख्य बातें रखने का यत्न करें।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Some members have compared our Prime Minister with Shrimati Bhandernaike and Dr. Soekarno. We can compare our Prime Minister with John Kennedy. Our Prime Minister raised the slogan of 'Garibi Hatao'. This budget is an instrument through which we could achieve that goal.

Some members suggested that a lot of development has taken place in the villages and it is time to tax agricultural income. The villages have not come to the level of cities. In stead of levying agricultural income tax, the government should abolish existing land revenue. That alone would enable the farmers to improve their lot. Man has eliminated the distance between this earth and the Moon but has failed to check the disparities between city and village.

The tax levied on tractors would adversely affect the farmers and they would stop using tractors. Time is not yet ripe for such a tax.

In order to check unemployment the Government has framed a scheme to give employment to one person in each family. Solong as the problem of unemployment is not solved, not more than one member from a family should be taken in Government ssrvice.

श्री पी० अंकिनीडु प्रसादराव (गुडिवाडा) : इस बजट द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना का ईमानदारी से प्रयत्न किया गया है। सभी संसाधनों को इकट्ठा करके आर्थिक असमानता को दूर करना ही हमारा प्रयत्न होना चाहिए जहाँ भी समाजवाद आया है निरन्तर प्रयत्नों के फलस्वरूप ही आया है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही आ सकता है।

वित्त मंत्री द्वारा किये गये कर-प्रस्तावों का प्रभाव अधिकतर समाज के समृद्ध वर्गों पर पड़ेगा। उन्होंने निम्न तथा मध्यम आय प्राप्त व्यक्तियों के लिये कुछ रियायतों की घोषणा की है। उनके प्रस्तावों का मैं स्वागत करता हूँ।

बच्चों के लिये पोषाहार के प्रस्ताव का भी मैं स्वागत करता हूँ। योजना परिव्यय में इस वर्ष 155 करोड़ रुपये की वृद्धि करने, शिक्षित बेकारी के लिये 25 करोड़ रुपया तथा ग्रामीण बेरोजगारों के लिये 50 करोड़ रुपया आवंटित करने के साथ साथ इन उपायों का समाजवादी समाज बनाने में दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा।

यह सामान्य भावना है कि सरकारी उपक्रम समुचित रूप से कार्य नहीं करते। उन्हें राष्ट्र की सम्पत्ति बनना चाहिए न कि राष्ट्र पर भार। सरकारी परियोजनाओं में प्रबन्धक वर्ग तथा सरकारी अधिकारी वर्ग को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए।

हमारे देश में समृद्ध कृषक बहुत कम हैं और अधिक किसान सूखी भूमि में कृषि करने वाले छोटे छोटे किसान हैं। अतः छोटे किसानों तथा जोतदारों का संरक्षण करने के लिये कुछ कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीयकृत बीमा निगमों को फसलों का बीमा चालू करना चाहिए।

हमें तम्बाकू के निर्यात से 30 करोड़ रुपये तथा उस पर उत्पादन शुल्क से भी उतनी ही राशि उपलब्ध होती है, परन्तु तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। अतः आन्ध्र

प्रदेश की सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों के हित को देखने के लिये साँविधिक तम्बाकू बोर्ड की स्थापना का सुझाव भेजा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। उन्होंने वित्तीय पहलुओं की कमियों का उल्लेख किया है और समय की गति के साथ आगे बढ़ने के लिये पर्याप्त निष्ठा दिखाई है।

मुझे विश्वास है कि हम यथा समय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या खाद्यान्न की है। इसके हल होने से अन्य समस्याए भी हल हो जायेंगी। हमारे देश के 69.5 प्रतिशत कामगार कृषि पर निर्भर हैं, परन्तु अभी तक हमारी भूमि का केवल 20 प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत आता है और केवल 20 प्रतिशत गाँवों को बिजली की सुविधाएं प्राप्त हैं। इस वर्ष हमारा उत्पादन 1370 लाख टन हुआ है। 1980 तक हमें 1900 लाख के लगभग उत्पादन की आवश्यकता होगी। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारी सिंचाई परियोजनाओं को यथा शीघ्र पूरा किया जायें।

गंडक परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है। मंत्री महोदय ने बताया है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन की कमी है। यह समझना कठिन है कि ऐसी लाभदायक परियोजनाओं के लिये धन की कमी क्यों है, विशेषकर जबकि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं। वित्त मंत्री को देखना चाहिए कि गंडक जैसी परियोजनाएं धन की कमी के कारण अधूरी न पड़ी रहें।

हमारे राज्य में तिरहुत में भूमि के एक बड़े भाग को गंडक परियोजना के पहले प्रतिवेदन में शामिल किया गया था, लेकिन नेपाल की पूर्वी नहर को कुछ जल देने के पश्चात् अब यह समझा गया है कि उन क्षेत्रों की सिंचाई नहीं की जायेगी। उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिये नल-कूप लगाने का कार्य शुरू किया गया है। परन्तु देखा गया है कि ऐसे नलकूल धनी कृषकों की भूमि में लगाये गये हैं। यदि सामाजिक तनाव पैदा होने दिये जाते हैं तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों की शान्ति भंग होगी।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर चार मिनट म० म० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock).

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)। एक 75 वर्षीय व्यक्ति श्री बदरुद्दुदजा को गिरफ्तार कर उन्हें बिना मुकदमा चलाये जेल में रखा गया।

श्री नवल किशोर सिंह : जहाँ तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है, इस देश में उस बारे में

जितनी प्रगति हुई है, वह बहुत ही कम है। अब तक मुख्य मंत्रियों के 20 सम्मेलन हो चुके हैं और अभी भी राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हो पाई। ग्रामीण असंतोष को दूर करने के लिये भूमि सुधार लागू किये जाने चाहिए।

बेरोजगारी को रोकने के लिये आवंटित धन, 50 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए, बहुत ही कम है। इतनी व्यापक समस्या से निपटने के लिये इतना थोड़ा धन आवंटित करना वास्तव में दुःखदायक है। वित्त मंत्री को इस राशि में वृद्धि करनी चाहिए।

लघु और ग्रामीण उद्योगों की बहुत चर्चा की जाती है। सदन को पता होना चाहिए कि उनके उत्पादनों के लिये बाजार नहीं मिलते। सरकार भी उनकी खरीद को प्रोत्साहित नहीं करती। इस नीति का उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य कुशलता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जितने शीघ्र उनमें त्रुटि को दूर किया जाये और जितने शीघ्र हानि को लाभ में परिवर्तत किया जाये, उतना ही बेहतर होगा। उससे ही हमारी आशाओं और आकाँक्षाओं की पूर्ति होगी। खेद की बात है कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने रेलवे को आवश्यक सामान नहीं जुटा पाते।

बंगला देश से 50 लाख ही नहीं 1 करोड़ लोगों के आने के लिये तैयार रहना चाहिए। क्या कारण है कि विश्व की राजनीति में हम अपने को अलग अलग पाते हैं। इस पर विशेष रूप से विदेश मंत्रालय को विचार करना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि हम मित्र-विहीन बन गये हैं।

कुछ राज्यों में पहले ही कृषि आय पर कर लगे हुए हैं। यदि केन्द्र भी कृषि आय पर कर लगा देता है, तो इसका अर्थ है—एक ही आय पर दोहरा कर देना पड़ेगा। वित्त मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

Shri J. B. Dhote (Nagpur) : During the recent mid-term elections the ruling party raised slagans of socialism and 'garibi Hatao' and these slogans had raised high hopes in our people. They expected that a really socialist budget would be presented. Our economy is neither socialist, nor capitalist but is a mixture. When we think about the roots of socialism in the country, we find that its, structure is socialist but its soul is capitalist.

We find in our country that every political party talks much about socialism. Every leader talks of socialism. The chief Minister of Maharashtra said in a speech at Nagpur that the poverty is the outcome of sins of previous life. That statement agitated the gathering there and he became a socialist.

In the context of 'garibi Hatao', the Prime Minister made a statement that we are removing poverty and not affluence How could that be ? If we want to remove poverty we would have to remove affluence. How could that be ? If we want to remove poverty we would have to remove affluence.

संसद कार्य, तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज नबहादुर) : श्री नायक पर, जो कि इस सभा में नहीं है, आरोप लगाया गया है। यह अनुचित है।

उपाध्यक्षमहोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

Shri J. B. Dhote : The lean people are starving. If this state of affair continues for long the present set up cannot continue. A day will come when the poor will resort to revolution.

Shri Mohammad Tahir (Purnea): This is a deficit budget. The hon. Finance Minister should have kept the election menifesto in view while drafting budget proposals.

Too much is said about the removal of poverty but it is impossible to remove it overnight. Rich and poor will continue to live simultaneously. No provision has been made for old age pension in the budget. Provision for minorities has also not been made. Minorities of the country supported the ruling party due to the slogan of 'Graibi hatao'. So many atrocities are being perpetrated on minorities in this country but they have been keeping silence. This budget has not provided for the protection of minorities. I suggest that the Prime Minister should constitute a Minority Council with herself as chairman to look after the welfare of minorities.

The type of talk about refugees has created an impression that people have enmity with the Government. Rehabilitation of refugees is our responsibility and we can do it.

डा० कैलाटप (बम्बई दक्षिण) : वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 1971–72 का बजट पेश करके देश को आर्थिक विवरण की ओर उन्मुख किया है। विपक्ष द्वारा की गई बजट की निंदा राजनैतिक उद्देश्यों से ओतप्रोत हैं। यह बजट सुनियोजित है क्योंकि इससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, सम्पत्ति समर्पण के प्रति जागरूकता पैदा होगी, दीर्घकालीन बचत तथा कर अपवंचन रोकने के लिये अवसर मिलेंगे तथा सम्पत्ति की जमाखोरी पर रोक लगेगी।

यह बजट समाजवादी है, यदि मैदे, साबुन, खुदरा कपड़े तथा पेट्रोल से कर उठाया जाये। यदि इन वस्तुओं से कर उठाया जाये तो लोगों का श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व के प्रति कम होता विश्वास फिर से जाग उठेगा। इन वस्तुओं से कर उठाने के फलस्वरूप बजट के घाटे का बढ़ना स्वाभाविक ही है।

लाखों रु० कमाने वाले अमीर किसानों के ऊपर कोई कर नहीं लगाया गया है, उन पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अब आय प्राप्त होनी चाहिये। घाटे में चलने वाले इन उपक्रमों की काफी निंदा हो रही है। सरकारी उपक्रमों के लिये एक पृथक मंत्रालय खोला जाना चाहिये।

मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि मंत्रियों को आधुनिक राजे तथा महाराजे कहा जाता है। सरकार का खर्च कम करने के लिये मितव्ययता को पहले मंत्रियों को करनी चाहिये।

मैं वित्त मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि वे आयकर अधिकारियों को अनुदेश जारी करें कि कर निर्धारण करते हुए वे पक्षपात के बिना काम करें।

Shri Painuli (Tehri-Garhwal) : I support this budget. Members of the opposition parties have said that there had been an excessive dose of taxes. It is not only rich section but a poor farmer also has been taxed.

Planning for the development of hilly areas, Nefa to Ladakh has been a total failure which needs to be changed completely. The planning should suit the aspirations and local conditions of the hilly areas. Priorities have to be fixed afresh. 200 districts of the country have been declared backward out of which 36 are from Uttar Pradesh including 5 hilly districts. Per capita income of Tehri Garhwal district is lowest in India.

Crash programmes meant to remove the rural unemployment cannot be a success in the hilly areas. Forest based and mineral based industries should be opened in the hills. A cement factory should be opened at Dehradun.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : बजट पर विभिन्न वर्गों की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाये हुई हैं। इस बजट द्वारा जो कर लगाये गये हैं, उनकी सम्भावना पहले से बनी थी।

कुछ सदस्यों ने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैदा और पैट्रोल पर लगे कर द्वारा गरीब

लोगों को काफी धक्का लगा है। मैं भी ऐसा कहने वाले लोगों के साथ हूँ। यदि गरीबी को हटाना है तो रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे जिसके लिये बजट द्वारा जुटायी जाने वाली राशि अपर्याप्त है। वास्तव में धनी लोगों पर और अधिक कर लगने चाहिये थे ताकि गरीबों के विकास हेतु और अधिक धन प्राप्त हो सकता।

पिछले 20 वर्षों से हम कहते आये हैं कि अधिक पैदावार द्वारा ही देश समृद्ध हो सकेगा। प्रधान मंत्री ने अधिक पैदावार करने का आग्रह करके एक उचित कदम उठाया है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के कारखानों का प्रबन्ध कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार नहीं रहा। गैर सरकारी क्षेत्रों में कर्मचारियों को लाभ का पूरा भाग नहीं मिलता। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हे। हमारे देश के कारखानों का उत्पादन विदेशों के कारखानों की अपेक्षा बहुत कम है। जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन आदि देशों के कारखानों का उत्पादन हमारी अपेक्षा अधिक ही नहीं बल्कि सस्ता भी है, हमारे कारखाने का आदमी काम नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं लेकिन जो सुविधाएं बाहर के कारखानों के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं वे यहाँ नहीं। विदेशों के कारखानों का उत्पादन हमारे कारखानों की अपेक्षा पाँच या छः गुणा अधिक है। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति विदेश के कारखाने में दो हजार रुपये प्रति मास कमाता है जबकि उसी व्यक्ति को इस देश में दो या तीन सौ रु० भी नहीं मिलते। आप उस व्यक्ति को कम से कम पाँच या साढ़े सात सौ रुपये क्यों नहीं देते ताकि उसे यह अनुभव हो सके कि उसे अपने काम से लाभ हो रहा है।

हमें अपने कारखानों के कर्मचारियों को यह अनुभव कराना है कि यह देश उसका है और देश के लिये उसे अधिक पैदा करना है। जर्मनी के कारखाने का कर्मचारी कहता है कि पेट के लिये उसे आठ घंटे काम करना चाहिये लेकिन देश के लिये वह छः घंटे और अधिक काम करेगा। जर्मनी में कर्मचारी अपने आप को प्रबन्धाधिकरण से अलग नहीं समझता।

हमारे देश को आज जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें गाँव के किसानों तथा कारखाने के मजदूरों को अधिक उत्पादन के लिये प्रेरित करना है। तेलंगाना सरीखी स्थिति का भी समाधान होना चाहिये।

देश में कृषि भूमि काफी मात्रा में है जिसे पैसा लगा कर हम सींच भी सकते हैं। सूखे खेतों को सींच कर किसान और देश दोनों ही लाभान्वितत होंगे। सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिये बजट में की गयी व्यवस्था बहुत ही कम है। हमें किसानों की सहायता करनी चाहिये ताकि उसका स्तर भी शहर के कर्मचारी के बराबर हो सके। कारखानों के मजदूर किसान परिवारों से ही सम्बन्ध रखते हैं और उनकी समृद्धि का लाभ किसानों को भी पहुंचता है।

तेलंगाना तथा आन्ध्र के सरकारी कर्मचारी केन्द्र के बराबर वेतनमान तथा भत्ता प्राप्त करने के लिये संघर्ष करते आ रहे हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने पचास दिन की हड़ताल भी की थी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और उन्होंने हार थक कर अपनी हड़ताल वापिस ले ली। क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार नहीं कर सकती ?

मैं समझता हूँ कि जिन करों का सर्वसाधारण, किसान तथा राज्य सरकार पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, वे कर नहीं लगाये जाने चाहिये। मुझे आशा है कि मैदा, पैट्रोल तथा मोटे कपड़े पर से शुल्क हटा लिया जायेगा।

श्री कार्तिक उराँव (लोहारडगा): यह बजट अच्छे उद्देश्यों से बनाया गया है। इसलिये

मैं इसका समर्थन करता हूँ। जिन देश के लोगों ने अपना व्यापक समर्थन सत्तारूढ़ दल को दिया, वे अब इस ताक में हैं कि सरकार उन्हें क्या दे रही है। वास्तव में गरीबी हट नहीं सकती, कम जरूर हो सकती है। अमीर और गरीब हमेशा साथ साथ रहे हैं। अमीर तथा गरीब तो आज समृद्ध से समृद्ध देश में भी हैं। आप गरीबी का स्तर घटा सकते हैं इसे हटा नहीं सकते। अमीर को अधिक तथा गरीब को अधिक गरीब बनाने वाली नीति में परिवर्तन होना चाहिये। हर पाँच सदस्यों के परिवार की आय कम से कम 500 रुपये प्रति मास होनी चाहिये।

हमें देश के साधन जुटाने का प्रयत्न करना चाहिये। हमारा देश गरीब नहीं है, हमें अपराधियों तथा कर चोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

सन् 1956 में 2000 करोड़ रुपये की राशि के कर की चोरी की गयी। अब यह राशि शायद 5000 करोड़ होगी। इसके अतिरिक्त कर की बकाया की भी काफी मात्रा है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिये जिसका भार सर्वसाधारण पर पड़े। मैदा, मिट्टी का तेल, मोटे कपड़े तथा सिले सिलाये वस्त्रों पर से कर हटाने की माँग की गयी है।

बेरोजगारी की समस्या देश के लिये एक खतरा है। वित्त मंत्री महोदय ने बेरोजगारी के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो पर्याप्त नहीं है। सेवा-निवृत्ति की आयु घटा कर 55 वर्ष की जानी चाहिये।

क्षेत्रीय असंतुलन में तेलंगाना और छोटानागपुर, जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में सदा असंतोष फैला है। हम अपने घरों में शरणार्थी बनकर रह गये हैं। छोटा नागपुर को एक कालोनी ही समझा जा रहा है, यह एक समृद्ध क्षेत्र है वस्तुत: इसमें रहने वाले निर्धन हैं। इन अल्पविकसित क्षेत्रों में संचार, सिंचाई, सड़कों आदि का विकास किया जाना चाहिए। उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं ताकि इस बात की गुंजायश ही न रहे कि वे लोग कोई असंतोष प्रकट करें अथवा पृथक राज्य की माँग कर सकें।

निर्धन लोगों के लिये सस्ते मकान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोगों की झोंपड़िया देश में हो रहे कार्य का दर्पण है।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Looking at the provisions made for the various things such as Rural Employment, Educated unemployment, evacuees from East Bengal and also for rehabilitation of Jhuggi dwellers, I feel the imposition of new taxes is justified. The money collected therefrom shoud be used properly. Immediate steps should be taken to check the rise in price.

It has also come to the notice that we spend on useless things. We are sending hundreds of officials abroad for training without having any real purpose. On their return they are transferred to other ministries. In this we spend lot of money but we fail to get benefit of their training. We get aid from U. S. A. and we have kept more than 400 American Advisers in the Agriculture Ministry.

There are several foreign firms in our country. For instance Colgate invested Rs. 10 lakhs in our country and now they have assests worth five crores of rupees. They have already remitted profits to the tune of 20 crores of rupees abroad. In this way these foreign countries are exploiting our country. To check all this, we have to take drastic measures with determination. Only then we can bring changes in our social strcture.

We should establish our own national agency for broadcasting news to Latin American, African and Asian countries instead of depending upon B. B. C. and other foreign Agencies.

Instead of imposing indirect taxes Government should have imposed levy worth 100 crores of rupees for the East Bengal evacuees. I am sure the people who are prepared to give them blood for this cause would not oppose it.

There is no harm in impossing a small tax on the salt. The hon. Finance Minister can impose levy in any way he likes for the welfare of the East Bengal evacuees and I am sure people will support such a move.

श्री उन्नीकृष्णन (बडगरा) : श्री समर मुकर्जी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इस बजट को जनता-विरोधी तथा समाजवाद-विरोधी बजट बताया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि इस ओर के किसी भी सदस्य ने और न ही वित्त मंत्री ने इस बजट को समाजवादी बजट बताया है। जब देश में उत्पादन के साधन पूंजीवादी हो तो समाजवादी बजट लाया ही नहीं जा सकता। हम समाजवादी ढंग से उत्पादन करने का अभी प्रयास कर रहे हैं, अतः मुझे खेद है कि विरोधी दलों ने यह नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। मैं चाहता हूँ कि इस बजट पर व्यापक दृष्टिकोण अपना कर विचार किया जाय। हमें देश का विकास 55 करोड़ लोगों को ध्यान में रख कर करना है। मेरी वित्त मंत्रालय से शिकायत है कि उसके सलाहकार तथा अन्य अधिकारी भी समस्याओं को लघु दृष्टिकोण से ही देखते हैं।

इन्स्टीटूयट आफ पोलिटिकल इकानामी, पूना के प्रो० डाण्डेकर और प्रो० राव ने कहा है कि 1960–61 में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 45 प्रतिशत लोग तथा नगरीय क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत लोग निर्धन सेवा में थे। इस बारे में हमारी श्री पीलु मोडी के दल से मतभेद है। प्रो० दण्डेकर ने आगे कहा है कि यदि हम इस समस्या को हल करना चाहते है तो हमें उच्च श्रेणी के 25 प्रतिशत हिन्दुस्तानियों के विशेषाधिकारों में कटौती करनी होगी। इस बात का समर्थन मि० गेल्ब्रेथ द्वारा भी किया गया है हालाँकि वह कोई बहुत बड़े समाजवादी नहीं है। मेरे विचार में ऐसा 25 प्रतिशत के नहीं बल्कि ऐसा 30 से 35 प्रतिशत लोगों के मामले में किया जाना चाहिए।

मेरे विचार में शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण रोजगार कार्यों आदि के लिए रखी गई राशि पर्याप्त नहीं है। जब तक हम उच्च श्रेणी के 25 से 30 प्रतिशत लोगों के विशेषाधिकारों तथा उनके द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करते तब तक हम ऐसा निवेश नहीं कर सकते जिससे कि हम आगे निवेश के लिए पूंजी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार बड़े बड़े औद्योगिक गृहों के एकाधिकारों को भी कम करना होगा। इस सब का अर्थ होगा देश के समूचे कर ढांचे में परिवर्तन करना। यह एक मूल चीज है।

बार बार हम नगरीय क्षेत्र पर ही कर लगा रहे हैं। परन्तु यदि हमें इसमें परिवर्तन करना है तो हमें संविधान के उपबन्धों में परिवर्तन करना होगा। मैं चाहता हूँ कि कराधान की समस्यायों की जाँच के लिए एक कराधान जाँच आयोग नियुक्त किया जाये। मैं श्री मेलकोटे तथा माननीय नेताओं से, जो कि कार्मिक संघों के नेता है अपील करूंगा कि वे मजदूरों पर इस बात के लिये जोर डाले कि उत्पादन बढ़ाने में मजदूर अपना अंशदान दें और बोनस को इक्विटी पूंजी में बदलें ताकि 60 से 70 करोड़ रुपये पुनः उत्पादन के कार्य में लगाये जा सकें।

मैं जानना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में हमारे प्रतिनिधियों ने सोने के मूल्य में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की है क्योंकि हमारे देश को सोने की तस्करी तथा विभिन्न अन्य कारणों से भारी हानि उठानी पड़ती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारे वचन पूरे किये जायेंगे परन्तु हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। आशा है माननीय वित्त मंत्री हमारी बातों पर ध्यान देंगे।

Shri Shafquat Jung (Kairana) : The corruption is rampart in the country. The atmosphere of violence and resentment is prevailing in all corners of the country. In my view it is all due to social injustice being meted out to our people. Unless exploitation is done away with we cannot have peaceful atmosphere. We have to take drastic economic and social measures to check exploitation.

The wealth of the country is in few hands. Necessary steps should be taken for its equal distribution. We have been hearing about ceiling on property but nothing has been done in this regard so far. Ceiling on property should be imposed immediately.

The owners of the sugar mills owe lakhs of rupees to the cultivators. They are now investing no money in our factories for fear of nationalization. If these mills are to be nationalized then it should be done immediately so that mill owners may not be able to transfer their money to ther factories.

Muzaffarnagar is the most fertile area in India but it lacks transport facilities. With the closing of S-S. light Railway the difficulties of the people have increased enormously. Thousands of workers have become jobless. The hon. Minister should take note of it.

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड़) : उपाध्यक्ष महोदय बजट पर बोलने का जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

एक माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री पर झूठे तथा निराधार आरोप लगाये हैं। मैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ परन्तु मैं अपने उत्तर को सीमित ही रखूंगा।

Shri J. B. Dhote : I have full proof in support of the allegation which I have made. I know he is also one of the land lords.

श्री अनन्तराव पाटिल : **

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इस तर्क में न पड़कर अपना भाषण जारी रखना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : मेरे विचार में आप ने नहीं सुना कि माननीय सदस्य ने क्या शब्द प्रयोग किये हैं। **

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे शब्द गैर संसदीय है तो मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री अन्नन्तराव पाटिल : मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूँ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए है। इतना ही काफी है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the chair.

Sri J. B. Dhote ** He should tender apology.

श्री अनन्तराव पाटिल : उन्होंने निराधार आरोप लगाये हैं **

उपाध्यक्ष महोदय : इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री जे० बी० धोते : **

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए है। अतः मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए।

Sri J. B. Dhote **

उपाध्यक्ष महोदय : इसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम के अनुसार इस शब्द को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री अन्नन्तराव पाटिल : अनेक सदस्यों ने बजट नीति का स्वागत किया है और वित्तमंत्री को बधाई दी है। वह वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस बात का पूरा प्रयास किया है कि साधारण व्यक्ति पर कर का बोझ न पड़े।

मैं श्री वाजपेयी के इस बात से सहमत हूँ कि बोझ काफी भारी है परन्तु हमारे जैसे बड़े देश में यह 4 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बैठता है अर्थात् एक पैसा प्रतिदिन।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैदा पर जो कर लगाया गया है उससे गरीब व्यक्ति पर बोझ पड़ेगा। ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लाखों करोड़ों लोग कहते है जिन्होंने मैदे से बनी डबल रोटी अभी तक नहीं देखी है। परन्तु यदि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम श्रेणी के लोगों तथा मजदूरों पर इसका बोझ पड़ता है तो वित्तमंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस कर को वापस ले लिया जाय, किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि इससे जो धन एकत्र होगा वह बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उनको पौष्टिक आहार देने पर खर्च किया जायेगा। जहाँ तक पेट्रोल और सिले सिलाये वस्त्रों पर लगाये गये कर का सम्बन्ध है मेरे विचार में मध्यम श्रेणी के लोगों को यह बोझ बाँटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

बजट में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि सरकार एकाधिकार तथा धन के कुछ हाथों में जमा होने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने वाली है। बड़े उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए। लघु तथा सहायक उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये। ऐसा ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी तथा हरिजन लोग रहते हैं किया जाना चाहिए। गाँवों में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोली जानी चाहिए और शिल्पियों को और अधिक ऋण दिया जाना चाहिए।

माननीय वित्तमंत्री समाचार पत्र उद्योग पर कर लगाना भूल गये हैं। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने समाचारपत्रों को विज्ञापन से प्राप्त होने वाले राजस्व पर कर लगाने का सुझाव दिया था। माननीय वित्त मंत्री ने काले धन के बारे में भी कुछ नहीं कहा। यदि माननीय मंत्री काले धन को

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as orderrd by the Chair.

बाहर निकालने में सफल हो जायें तो यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति भी खराब है, सिविल सर्वेन्ट को वहां से हटा कर वहाँ पर व्यावसायिक प्रबन्धक लगाये जाने चाहिए।

श्री वी० एन० पी० सिंह : (फलपुर) : भारत में अत्यन्त गरीबी का कारण अत्यन्त असमानता है। हमारे देश में विकास के लाभ भी इस असमानता वाले आर्थिक और सामाजिक ढांचे के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सार्वजनिक व्यय से ही असमानताएं दूर नहीं की जा सकतीं। ये अन्याय केवल बजट से ही दूर नहीं किये जा सकते।

हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि निरन्तर विकास के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है। अब हम देखें कि वह किस प्रकार समानता वाले समाज के निर्माण में प्रयत्नशील हैं। 15,000 हजार से अधिक आय पर अधिभार पहली दरों की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। पूंजी लाभ पर कटौती को कम करने से तथा कराधान की दरें बढ़ाने से पहले की कराधान-दरों की तुलना में यह दरें 70 प्रतिशत बढ़ जायेंगी। 5500 रुपये प्रतिमास अर्जित करने वाले व्यक्ति को अब अपनी आय में 200 रुपये और जोड़ने के लिये एक लाख रुपये अर्जित करने होंगे।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि करों में अधिक वृद्धि करने से कर अपवंचन अधिक होगा। करों का अपवंचन करने वाले रिक्षा वाले, मजदूर और किसान नहीं है। करों का अपवंचन अमीर लोग ही करते हैं। अतः वित्त मंत्री ने बेनामी सौदों और सम्पत्ति का कम मूल्यांकन करने सम्बन्धी सौदों के बारे में कड़ी शर्तें रख कर सही कदम उठाया है।

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh) : Welcome the budget. The Budget has been criticised mostly on political grounds. The Finance Minister has not imposed any tax on the articles of daily necessity. Prohibition has become a total failure. Liquor is being sold illegally. The Government has suffered a heavy loss as result of that. I request the Government to reconsider its policy in this matter. Garment Duty on ready-made garments and *maida* will affect the Common man. I, thereore, request that it may be withdrawn.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अपने बजट भाषण में मैंने यह स्पष्ट किया है कि हम अपने सब लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं। अतः मैंने अपने बजट भाषण में इसका दावा नहीं किया है। मैंने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया है। वाद-विवाद के दौरान एक बात जो देश के हित में देखी गई है वह यह है कि आर्थिक नीतियों एवं उद्देश्यों सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तों पर सभी पक्ष एकमत हैं कुछ सदस्यों ने बजट की आलोचना तो की है लेकिन बजट की परख के लिये उन्होंने भी वही कसौटी अपनाई है। उदाहरणार्थ ग्वालियर के महाराजा ने कहा है कि यह बजट पूंजीवादी समर्थक है। कर-प्रस्तावों की आलोचना की गई है। कर लगाते समय मैंने प्रत्येक मद पर कर लगाने के असर की ओर ध्यान दिया था।

देश के वर्तमान ढांचे को देखते हुए अप्रत्यक्ष कर ही आय का मुख्य साधन हैं। कर लगाते समय इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि उनका भार निम्न वर्ग के लोगों पर न पड़े। यथा सम्भव गरीब लोगों पर कर का भार नहीं डाला गया है।

इस बारे में सहमति है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लाभ मुख्यतया दलित वर्गों और बेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त हो तथा विषमताओं की खाई को कम किया जाये और इसके साथ ही मूल्यों में स्थिरता लाई जायें। हमें अपने कार्य-परिणामों को इस कसौटी पर आँकना है।

ये सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य केवल एक बजट द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सकते। मैं इस

बात से सहमत हूँ कि यह लक्ष्य प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। परन्तु अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें ऐसे अनेक बजट लाने होंगे।

अनेक सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि बजट विकास प्रधान नहीं है। डा० वी० के आर० वी० राव ने कहा कि योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन में 8 या 9 प्रतिशत की बृद्धि होनी चाहिये, तभी 5.5 प्रतिशत की दर से विकास हो सकता है। योजना आयोग या मेरे अनुमान में कोई त्रुटि नहीं है। साधारणतया हम लघु उद्योगों के तेजी से विकास के बारे में विचार नहीं करते। इस क्षेत्र में विकास की दर नौ या दस प्रतिशत है। राष्ट्रीय विकास के बारे में मेरा वर्तमान दावा ठीक है। यह कहना गलत है कि यह बजट विकास-प्रधान नहीं है। बजट द्वारा विकास की दर में वृद्धि इस प्रकार हो सकती है कि मुद्रास्फीति बढ़ाये बिना विकास परिव्यय में काफी वृद्धि के लिए व्यवस्था की जाय। मेरा कथन विवादास्पद नहीं है।

अन्तरिम बजट में योजना के लिये 1970–71 के बजट के समान ही व्यवस्था है। अन्तरिम बजट में राज्यों को तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायता देने की पूरी व्यवस्था की गई है।

बंगला देश से आये विस्थापितों को राहत देने की अप्रत्याशित माँगों के कारण अब यह सम्भव नहीं है कि योजना परिव्यय की राशि उससे अधिक किया जाये, जितनी गत वर्ष के बजट में थी। यदि कम से कम विरोध का रास्ता अपनाया जाता तो हमारी सरकार के लिये विकास की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं होता। केन्द्रीय योजना के लिये जो 155 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है, वह चौथी योजना में उल्लिखित विकास की गति को बनाये रखने के लिये न्यूनतम है। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि योजना के लिये बढ़ाई गई राशि का पूरा उपयोग किया जायेगा।

योजना के उपबन्धों में वृद्धि करने के अतिरिक्त, जिससे विकास की गति अवश्य तेज होगी, हमने योजना के बाहर 75 करोड़ रुपये का उपबन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने तथा शिक्षित युवकों को रोजगार देने के लिये किया है। इस व्यवस्था से विकास की गति बढ़ेगी तथा और अधिक सामाजिक न्याय प्राप्त होगा।

आधारभूत ढांचा केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य संचार व्यवस्था करना, अच्छी सड़कें बनाना, उत्तम बन्दरगाह बनाना और गाँवों में बिजली सप्लाई करना है। सबसे महत्त्वपूर्ण गैर-सरकारी क्षेत्र कृषि है। अतः यह कहना कि आधारभूत ढांचे में निवेश करना केवल गैर सरकारी क्षेत्र के लिये है या तो वास्तविकता से मुंह मोड़ना है अथवा राजनीतिक लाभ उठाना है।

नौवहन क्षेत्र में 16 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतया नौवहन विकास निधि समिति के लिये की गई है, जो विभिन्न नौवहन कम्पनियों को ऋण देती है और जहाज खरीदती है, कुल 35 करोड़ के उपबन्ध में से 21 करोड़ रुपया भारतीय नौवहन निगम जो एक सरकारी उपक्रम है, के लिये निर्धारित किया गया है। बाकी राशि को सरकारी तथा गैर-सरकरी क्षेत्र की परिवहन कम्पनियों में बाँट दिया जायेगा।

चौथी योजना के तीन वर्षों के दौरान विकास निधि से 88 करोड़ रुपये का वितरण किया जायेगा और उसमें सरकारी क्षेत्र में स्थित नौवहन कम्पनियों को 57 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी। इससे सरकारी उपक्रमों को देने वाले मुख्य शेयर का बोध होता है।

बड़े तथा छोटे पत्तनों के विकास के लिये अन्तरिम बजट की अपेक्षा 13 करोड़ की वृद्धि वर्तमान पत्तनों में सुधार लाने के लिये की गई है।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित की गई राशि मे सड़कों शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिये 40 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतया रोजगार प्रदान करने के अभिप्राय से की गई है। रोजगार की व्यवस्था के लिये इस राशि को बहुत कम बताया गया है लेकिन हम अपने साधनों को देखकर इसके लिये इतना ही उपबन्ध करने पर मजबूर थे। 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अवशेष राशि इन क्षेत्रों अर्थात् कृषि और खाद्य को 78 करोड़ रुपये, जिसमें रक्षित भंडार की खरीद भी शामिल है, सिंचाई और विद्युत को 12 करोड़ रुपये, डाक और तार को 11 करोड़ रुपये तथा अन्य क्षेत्रों को 35 करोड़ रुपये। यदि यह विकास नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि विकास किसे कहते हैं।

हमारा बजट विकास-प्रधान बजट है। यदि घाटे को पूरा नहीं किया जाता तो मुद्रा स्फीति का भय बना रहता।

बजट में उपबन्ध सरकारी क्षेत्र के सभी चालू उद्यमों की आवश्यकताओं और योजना परि-व्यय में सम्मिलित सभी योजनाओं पर विचार करने के बाद किया गया है। मैं सभी को यह आश्वासन देता हूं कि यदि बोकारो, संयंत्र, उर्वरक संयत्र जैसे निर्माणाधीन उद्यमों के लिये और अधिक धन की आवश्यकता हुई तो हम उसके लिये अनुपूरक माँगें पेश करेंगे और वित्तीय कारणों से परियोजनाओं के कार्यान्वियन की गति को किसी भी प्रकार से धीमी नहीं होने देंगे।

मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि धन की कमी के कारण इस कार्य में ढील नहीं आने दी जायगी।

जहाँ तक निगमित क्षेत्र में कराधान का सम्बन्ध है, कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक कर लगाये गये हैं और इस प्रकार ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जो आर्थिक प्रगति के लिये सहायक सिद्ध नहीं होगी। इसके विपरीत कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि निगमित क्षेत्र पर कोई कर नहीं लगाया गया है। अतः निःसंदेह निगमित क्षेत्र की स्थिति बीच की स्थिति है। इस क्षेत्र में नये प्रस्तावों की कुल राशि लगभग 17 करोड़ रुपये की होगी और यदि हम इस वर्ष प्रत्यक्ष करों से प्राप्त कुल धनराशि की ओर ध्यान दें तो यह 23 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष करों से प्राप्त 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि निगमित क्षेत्र से प्राप्त होती है। अतः यह कहना उचित नहीं कि निगमित क्षेत्र को छुआ तक नहीं गया।

दूसरी ओर यह कहा गया है कि निगमित क्षेत्र में इतने कर बढ़ाये गये हैं कि इससे उस क्षेत्र में पूंजीनिवेश में प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ कि जिस वर्ष हमने 220 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने हैं उस वर्ष निगमित क्षेत्र में 16 करोड़ रुपये के कर लगाना कोई अधिक नहीं। इस समय मैं निगमित क्षेत्र में करों के प्रत्येक प्रस्ताव के औचित्य के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस सम्बन्ध में वित्त विधेयक पर चर्चा के समय हम आगे विचार कर सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि कुल कर भार में से अधिकाँश कर निगमित क्षेत्र में लगाने चाहिये थे, इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि विकास छूट के बारे में हमने जो सोचा था उसकी तुलना में इससे अधिक लाभ हो होगा। आगामी कुछ वर्षों में औद्योगिक

पूंजी-निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके साथ ही भविष्य में राष्ट्रीय राजकोष में निगमित क्षेत्र के अंशदान में काफी वृद्धि होगी।

प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में कहा गया है कि अप्रत्यक्ष करों में अधिक वृद्धि की गई है। गत पाँच या छः वर्षों में प्रत्यक्ष करों में अधिक वृद्धि की गई है। आगामी वर्ष में प्रत्यक्ष करों से 57 या 58 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। हम कोशिश करते रहे हैं कि कुल कराधान में प्रत्यक्ष करों के अनुपात में वृद्धि हो। इसके साथ यह भी महसूस करना चाहिये कि अन्तिम विश्लेषण में औद्योगीकरण की प्रगति की प्रक्रिया तेज करने से यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। वर्ष 1968–69 में प्रत्यक्ष करों की राशि 10 करोड़ थी, 1969–70 में 23 करोड़ रुपये थी और 1970–71 में यह बढ़ कर 36 करोड़ रुपये हो गई। अब चालू वर्ष में इन से 57 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। अतः यह कहना अनुचित है कि अतिरिक्त साधनों के लिये केवल अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की गई है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कुल राजस्व में प्रत्यक्ष करों के कम अनुपात के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारी अर्थ व्यवस्था विकासशील है और इसमें करों का मुख्य अंशदान अप्रत्यक्ष करों से ही आयेगा। जब अर्थ व्यवस्था विकसित हो जायेगी और करदाताओं की संख्या बढ़ जायेगी तभी प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले अंशदान में वृद्धि होगी। दूसरा कारण यह है कि कृषि क्षेत्र केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, राज्य सरकारें कई कारणों से इस क्षेत्र से पर्याप्त साधन नहीं जुटा सकी हैं। इस सम्बन्ध में कुछ संवैधानिक कठिनाई हैं परन्तु मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि धनवान व्यक्ति चाहे शहरों में रहते हों चाहे देहातों में, उनपर कर अवश्य लगाया जाना चाहिये और उन्हें अपना अंशदान अवश्य देना चाहिये। हम कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारों को इस बात के लिये सहमत कर सकें कि वे इस समस्या पर फिर से विचार करें।

माननीय सदस्यों को पता है कि आय-कर से छूट की सीमा बढ़ाने की माँग निरंतर की जा रही है। दूसरी ओर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने के लिये भी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। इस परिस्थिति में आय-कर दाताओं के निम्न वर्ग को राहत देना बहुत मुश्किल है। यह भी कहा गया है कि बचत के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि धन कर की दरों में वृद्धि करने से धन जमा करने के लिये उत्साह नहीं रहेगा। यदि बचत का अर्थ धन इकट्ठा करना है तो मैं इस प्रकार की बचत नहीं चाहता। मेरे विचार में समस्त देश इस प्रकार धन इकट्ठा करने के विचार को रद्द कर देगा। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 10 या 15 लाख की सम्पत्ति नहीं बना सकता तो वह बचत करने में हतोत्साह हो जायेगा। मेरे विचार में राष्ट्र निर्माण के लिये हमें आम जनता से तब तक सहयोग नहीं मिल सकेगा जब तक धन और आर्थिक शक्ति की अधिकतम असमानताओं को प्रभावशाली ढंग से रोका नहीं जाता। यह भी कहा गया है कि 15000 रुपये से अधिक वार्षिक आय वालों पर अधिभार 10 से 15 प्रतिशत कर देने से उनकी बचत की क्षमता समाप्त हो जायेगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आय-कर अधिक देने से उनकी बचत में कुछ कमी अवश्य होगी। परन्तु विकास और समाज कल्याण के प्रयोजन के लिये कुछ संसाधन बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि में अंशदान के बदले में की जाने वाली कटौती के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 1000 रुपये और उससे कम राशि की प्रतिवर्ष बचत के लिये शतप्रतिशत कटौती की गई है। केवल उन लोगों के

मामले में पहले की अपेक्षा कम कटौती होगी जो 5000 रुपये से अधिक बचत करेंगे, परन्तु बहुत से लोग 5000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक बचत नहीं कर सकते। जो लोग 5000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक बचत करना चाहते हैं उनके लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है। एक और विचित्र तर्क दिया गया है कि इस बजट से जन साधारण को आघात पहुँचा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ मदों पर शुल्क लगाये जाने के कारण जन साधारण पर प्रभाव पड़ा है परन्तु देखना यह है कि इन शुल्कों का प्रभाव जन साधारण पर अत्यधिक पड़ा है या नहीं? अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जन साधारण की मजूरी पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है जिसका प्रभाव अन्ततोगत्वा उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक पर पड़ता है। मिट्टी के तेल को मैंने छुआ तक नहीं। इसी प्रकार चीनी, चाय, काफी, जूते, माचिस, आदि को भी मैंने नहीं छुआ। कपड़े धोने के साबुन को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। लक्स और रक्सोना आदि साबुनों के मूल्यों मे भी बजट के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई है। कुछ खुदरा व्यापारी इस सम्बन्ध में अनुचित लाभ कमा रहे हैं परन्तु इस सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिससे वे ऐसा न कर सकें। साबुन निर्माता कम्पनियों ने बजट के बाद घोषणा की है कि मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लाइफ ब्वाय साबुन की भी यही स्थिति है। मैंने मँदे और मोटे कपड़े पर से उत्पादन शुल्क वापिस लेने का निश्चय किया है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की गई है और इसके साथ हम टैक्सी चलाने वालों की किराया बढ़ाने की माँग का भी समर्थन करेंगे।

हमने जनता को एक वचन दिया था कि हम बच्चों के लिये एक चार्टर बनायेंगे। अतः हमने बच्चों के लिये एक चार्टर सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है। उक्त चार्टर को पूरा करने के लिये वित्तीय साधन जुटाने हेतु हमें एक उप-कर लगाना होगा। इस उप-कर को स्वीकार करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि मैंने मँदे पर लगाये गये उत्पादन शुल्क को वापिस ले लिया है तथापि बच्चों के लिये की गई व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी। इसका अर्थ केवल यह है कि उस सीमा तक हमारा घाटा बना रहेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : स्कूटरों और टैक्सियों के कूपनों के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसका केवल यही समाधान है कि क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकारियों को टैक्सियों और स्कूटरों के किरायों में उचित वृद्धि करने की अनुमति दे देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।

जहाँ तक मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न है, मैंने बताया था कि वर्ष 1969 के मध्य में मूल्यों में वृद्धि आरम्भ हुई थी। इसका मुख्य कारण कपास, तिलहन आदि जैसे औद्योगिक कच्चे माल की कमी थी। स्वाभावतः हमने वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी नीति के बारे में कई निर्णय किये जिससे मार्च के महीने में, विशेषकर अनाज के मूल्यों में कमी हो गई है।

अब प्रश्न यह है कि करों का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने इस सम्बन्ध में कई प्रशासनिक उपाय किये हैं। तिलहन का मूल्य सूचकाँक जनवरी 1971 में 233 था जो मार्च 1971 में घटकर 211.8 रह गया है। तेल और चर्बी की कमी को पूरा करने का भी ध्यान रखा गया है। साबुन उद्योग के लिये बकरे की चर्बी का आयात किया जायेगा।

आयात नीति इस ढंग से बनाई गई है कि अनिवार्य इस्पात की कमी से वास्तविक उप-

भोक्ता को कोई कष्ट न हो। निर्यात को विनियमित किया जा रहा है, परन्तु वास्तविक उपभोक्ताओं के आयात कोटे में वृद्धि की गई है।

इस वर्ष औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों की स्थापना की गई थी। इसका काम इसको भेजे गये उद्योगों के लागत ढांचे की समीक्षा और जाँच करना तथा मूल्यों की सिफारिशें करना है। बहुत-सी वस्तुओं के मूल्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण जारी रखा गया है। इन वस्तुओं में मिल के कपड़े की कुछ किस्में, कृषि ट्रैक्टर, मोटर कारें और स्कूटर, सीमेंट, कृत्रिम रबड़, वनस्पति, कुछ उर्वरक, मिट्टी का तेल, चीनी और औद्योगिक अलकोहल हैं। हाल ही में चीनी पर से नियंत्रण हटाया गया है। अल्यूमीनियम और उसके उत्पाद तथा बिजली के तार और केबल को भी वर्ष 1970–71 में सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है। इस वर्ष औषधियों के मूल्यों को भी व्यापक विनियमो और नियंत्रणों के अधीन लाया गया है। इस सम्बन्ध में मई 1970 में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश लागू किया गया था। औषधि मूल्य पुर्नविलोकन बोर्ड की स्थापना की गयी है जो औषधियों के मूल्य निश्चित करने में सरकार की सहायता करेगा। टैरिफ आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप टायर निर्माताओं को ट्रकों के टायरों के मुल्य घटाने के लिये राजी कर लिया गया है। तेल मूल्य समिति के अध्ययन के आधार पर मट्टी के तेल, मोटर स्पिरिट और नापथा को छोड़ कर अन्य सभी पेट्रोलियम उत्पादों के परचून बिक्री मूल्यों में 1 जून 1970 से कमी कर दी गयी है। वर्ष के दौरान कागज उद्योग के उत्पादों के मूल्यों को भी नियंत्रिक करने की आवश्यकता महसूस हुई।

वर्ष के दौरान मूल्य अस्थिरता के कारण ये रहे हैं : अनिवार्य वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई, धन की अधिक सप्लाई तथा एकाधिकार की प्रवृत्ति मूल्यों की समस्या उस समय तक हल नहीं हो सकती जब तक पर्याप्त अन्न न पैदा किया जाय।

माँग के मामले में समुचित संयम की आवश्यकता है। हमें ऋण एवं राजकोष के मामले में अपनी अर्थ व्यवस्था में अनुशासन से काम लेना है।

डा० आस्तिन तथा अन्य सदस्यों ने व्यय में कमी होने का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय इसके लिये दोषी नहीं। इस दिशा में हमने कुछ कदम उठाये हैं।

1195 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की तुलना में 1971 में केन्द्रीय योजना वाली योजनाओं के खर्च में लगभग 179 करोड़ रुपये की कमी हुई है। हमने इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और इस कमी के कारणों का पता लगाने के लिये विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने स्वयं सरकार के समस्त सचिवों की एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि इन उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा की जाती रहनी चाहिये, ताकि उन्हें शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय मंत्रालयों में, कार्यदलों की स्थापना, योजना स्वीकृति प्रक्रिया में परिवर्तन, लेखा अधिकारियों द्वारा मासिक विवरण देने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय विवरण की छानबीन आदि आदि कई कदम उठाये भी जा चुके हैं। कुछ सदस्यों ने पूछा है कि हमने कौन-कौन से नये कदम उठाये हे। इस बजट द्वारा अवश्य ही कुछ नये तथा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिनका सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव व्यापक रूप से पड़ेगा। हमने जो नये कदम उठाये हैं, उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं: सम्पत्ति अवमूल्यन को रोकने के लिये सम्पत्ति का अधिग्रहण; बेनामी सम्पत्ति रखने को निरुत्सा-

हित करना; सम्पत्ति कर लगाना; सम्पदा शुल्क बकाया की वसूली का कार्य आय कर विभाग को सौंपना, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक का चालू सत्र में पेश किया जाना; विदेशी मुद्रा की चोरी रोकने के लिये समिति की स्थापना तथा कम्पनी कर्मचारियों के वेतन की सीमा बाँधना।

बंगला देश से आये शरणार्थियों की उचित ढंग से देखभाल करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बंगला देश से आये हमारे भाई सम्मान पूर्ण और प्रतिष्ठित रूप से अपने देश को वापस जायें। परन्तु हम उनके लिए बजट में स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इन उत्तरदायित्वों को निभाने में अपना उचित अंशदान दे। 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था साँकेतिक रूप से की गयी है जो कि हमारा देश अपने बजट में कर सकता है। लेकिन यह एक राजनैतिक प्रश्न है। हमें केवल बजट की व्यवस्था का ही निर्णय नहीं करना होगा, बल्कि इस मामले के राजनैतिक महत्व को देखते हुए निर्णय करना होगा।

कई सदस्यों ने सरकारी उपक्रमों के कार्य का जिक्र किया और उनके कार्य संचालन तथा कार्य कुशलता में सभी प्रकार से सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि पुनः निवेश के लिये धन पैदा किया जा सके।

जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के दोषों का प्रश्न है उन के बारे में मैं वास्तविक रूप से जागरुक हूँ। परन्तु मैं यह बात भी कह देना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र ने पहले वर्षों की अपेक्षा 1969–70 के दौरान अपने कार्य में सुधार दिखाया है। कुल 81 चालू प्रतिष्ठानों में से 49 ने 72.27 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया जबकि 1968–69 में कुल 66.07 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। 1969–70 के दौरान 24 उपक्रमों ने 3 प्रतिशत लाभ की घोषणा की।

सरकारी उपक्रमों की कई समस्यायें हैं। आयोजन, प्रबन्ध तथा औद्योगिक सम्पर्क सरीखी कई समस्याएं इनमें से प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात द्वारा अर्जित आय के मामले में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसलिये यह कहना अपने साथ अन्याय करना है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुधारने के लिये प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, और प्रगति नहीं हो रही है। 1965–66 के दौरान इन उद्यमों ने 4.60 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया था जबकि 1969–70 के दौरान 84.64 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात हुआ।

बजट भाषण में उन दिशाओं का, जिनकी ओर हमने पग उठाने हैं, उल्लेख किया गया है। उन मामलों पर हम ध्यान से विचार करते रहेंगे। निश्चय ही यह हमारा उत्तरदायित्व है और यह बात भी नहीं है कि हम इस मामले के बारे में अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं। सरकारी क्षेत्र से वित्तीय अधिशेष इस देश में हमारी आर्थिक नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी।

ऐसी भी आलोचना हुई है कि पोषाहार कार्यक्रम में कुछ कमी है। दुर्भाग्यवश, प्रशासनिक प्रबन्धों को करने में विलम्ब किया गया और यह काम केवल गत जुलाई के अंत में आरम्भ किया गया और इसलिए इसमें कुछ कठिनाइयाँ और दोष हैं लेकिन हम इन बातों से हतोत्साहित नहीं हो सकते हैं। हमने द्रुत उपाय करने ही हैं। इस वर्ष हमें आयु समूह को बढ़ाना और 0 से 6 के आयु समूह को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें यह देखने के लिये और अधिक प्रशासनिक कदम उठाने होंगे कि इस वर्ष की गई व्यवस्था को पूरी तरह उपयोग में लाया जाय।

बजट के बारे में यह आलोचना भी हुई है कि यह एक पूंजीवादी बजट है। यह पुरानी बातों को बार बार दोहराने वाला एक सिद्धान्त मात्र है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह पूंजीवादी बजट हैं क्योंकि इसमें प्रतिरक्षा व्यय में बृद्धि की गयी है और इसमें देश की पुलिस के लिए व्यवस्था की गयी है। क्या ऐसी आलोचना करने वाले अपने देश की सुरक्षा बनाये रखना चाहते हैं अथवा नहीं।

इस बजट में हमारी मुख्य लड़ाई गरीबी के विरुद्ध रही है। इस देश में गरीबी की समस्या धीमे विकास तथा आय और सम्पत्ति के असमान वितरण के कारण है। हम क्रांतिकारी उपायों द्वारा इसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे है।

देश की जनता से कई वायदे किये गये हैं। हमें इस बजट को केवल दलगत राजनीति के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिये। हमने अपने आपको समाजवाद की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है। यह वायदा पूरा किया जाना है और इस बजट के द्वारा हमने इस लम्बी और कठिन यात्रा की ओर निश्चित कदम उठा लिया है।

अनुदानों की माँगे (मनीपुर) 1971–72

DEMANDS FOR GRANTS (MANIPUR), 1971-72

अध्यक्ष महोदय : सदन अब मनीपुर संघ राज्य के 1971–72 के बजट सम्बन्धी अनुदानों की माँगों पर विचार करेगा।

माँग संख्या 1 से 44 सदन के सामने हैं।

मनीपुर की अनुदानों की माँगों के सम्बन्ध में निम्नांकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3 4	5
4	1	**श्री दशरथ देव** :—बिक्रि कर समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	2	मणिपुर विधान सभा के लिये शीघ्र निर्वाचन कराने में असफलता।	100 रुपये
	3	आदिवासियों के पुनर्वास में असफलता।	100 रुपये
	4	मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों को किसी प्रकार की स्वायतता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
10	5	मणिपुर के पिछड़े आदिवासियों को मुकदमों के सम्बन्ध में सहायता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
12	6	मणिपुर में पुलिस के दमन को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम / कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3 4	5
23	7	नागरिक पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजा-वाद को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	8	मणिपुर के दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की शीघ्र सप्लाई करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
14	9	मणिपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	10	'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत अधिक रकम का नियतन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	11	**श्री दशरथ देव** :—मणिपुर में चिकित्सा के लिये और अस्पताल खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
15	12	मणिपुर विशेष कर दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा की अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
17	13	मणिपुर में निर्धन कृषकों को कृषि सम्बन्धी सुविधाएं देने में असफलता ।	100 रुपये
	14	कृषकों को आसान शर्तों पर कृषि ऋण देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	15	मणिपुर में कागज उद्योग की स्थापना की आवश्यकता ।	100 रुपये
	16	मणिपुर कुटीर तथा बुनकर उद्योगों के संरक्षण देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
28	17	मणिपुर में परिवहन और संचार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता ।	100 रुपये

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय ! केन्द्र सरकार पुनः सभा के समक्ष त्रिपुरा बजट लाई है । गत सत्र में जब मनीपुर के लिये अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय भी मैंने इस तथ्य की ओर संकेत किया था कि दुर्भाग्य से अभी तक मणीपुर में राज्य की विधान सभा का चुनाव नहीं कराया गया जिससे बजट पर अर्थ पूर्ण ढंग से विचार किया जा सकता । यह केन्द्र में कांग्रेस सरकार के स्वेच्छाधारी निर्णय के कारण हुआ है । गत वर्ष प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिलाया था कि हमारी सरकार ने मणीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय कर लिया है । किन्तु उन्होंने सदा की भांति अब भी वहाँ की जनता को धोखा दिया है । मेरी समझ में नहीं आता कि एक वर्ष बीतने पर भी अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विधेयक क्यों नहीं लाया गया ।

मनीपुर को पूरे राज्य का दर्ज इसलिये नहीं दिया जा रहा है कि वहाँ की जनता कांग्रेसी

समाजवाद का अर्थ भलीभांति समय चुकी है तथा सरकार वहाँ की जनता से आँख नहीं मिला सकती।

काँग्रेसी शासन तथा उसके विनाशकारी परिणामों के बारे में सभी को पता है। उसके 24 वर्ष के शासन काल में मनीपुर तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की जनता की घोर उपेक्षा की गई है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये**
Sri K. N. TEWARI IN THE CHAIR]

स्वतंत्रता प्राप्ति के 24 वर्ष पश्चात भी मनीपुर, त्रिपुरा, नागालैंड आदि क्षेत्र अत्यंत पिछड़े हुए हैं। मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 22,350 वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें 87 प्रतिशत क्षेत्र नित्तांत पहाड़ी है और केवल 13 प्रतिशत क्षेत्र घाटी वाला क्षेत्र है। जिसने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है वह जानता है कि वहाँ पैदल चलने के लिये भी ठीक मार्ग नहीं है, मोटर चलने योग्य सड़कों का तो उल्लेख ही क्या करना है। काँग्रेस सरकार ने मनीपुर में उद्योग, कृषि, सिंचाई, बिजली, संचार, शिक्षा आदि के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

महोदय मनीपुर के लिये बजट व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि सरकार ने अधिकतम राशि पुलिस प्रशासन और जेलों के लिये नियत की है उसमें केवल जनता के दमन की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

पिछली बार पुलिस बजट के लिये हमने 1,12,20,000 रुपयों की स्वीकृति दी थी और अब फिर 2,24,41,000 रुपयों की स्वीकृति माँगी जा रही है। अनुपूरक बजट के दौरान जेलों के लिये 1,86,000 रुपयों की स्वीकृति दी गई थी और अब 3,71,000 रुपयों की स्वीकृति माँगी जा रही है।

चौथी पंच वर्षीय योजना में मनीपुर के लिये सरकार ने केवल 30.25 करोड़ रुपयों का नियतन किया है। इतनी कम राशि से मनीपुर का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। पहली योजना में परिव्यय की राशि 1.55 करोड़ रुपये थी; खर्च 1.03 करोड़ रुपया। दूसरी योजना में परिव्यय 6.25 करोड़ रुपया था और खर्च 5.97 करोड़ रुपये। तीसरी योजना में परिव्यय 2.88 करोड़ रुपया तथा खर्च 12.81 करोड़ रुपये था। 1969-70 की वार्षिक योजना के लिये परिव्यय की राशि 4.72 करोड़ रुपये थी और खर्च 4.72 करोड़ रुपया। 1970-71 की वार्षिक योजना के लिये परिव्यय की राशि 5.19 करोड़ रुपये थी और अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया। कुल माँग 30.25 करोड़ रुपये है।

इन आँकड़ों से पिछड़े हुये क्षेत्र की समस्या के गाम्भीर्य का पता चलता है। यदि इस राशि को भी ईमानदारी से खर्च न किया जाये तो समस्या का आँशिक हल भी नहीं हो सकता।

औद्योगिक विकास के बारे में मेरा निवेदन है कि 22 अप्रैल, 1969 को तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री ने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा भी कि मनीपुर सरकार ने चौथी योजना में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना का सुझाव दिया है। सीमेंट कारखाना, क्षमता 100 मीयट्रिक टन प्रति दिन, लुग्दी सीमेंट बोर्ड, क्षमता 50 मीट्रिक टन प्रति दिन, स्टार्च ग्लूकोज-कार्नफ्लैक की एकीकृत यूनिट आदि आदि। श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने यह भी कहा

था कि इन प्रस्तावों पर संसाधनों की उपलब्धि तथा निधि के नियतन के आधार पर निर्णय किया जायेगा तथा चौथी योजना को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

चौथी पंच वर्षीय योजना को अंतिम रूप दिये जाने पर भी ज्ञात होता है कि मनीपुर की जनता के साथ धोखा किया गया है तथा वहाँ पर कोई वास्तविक उद्योग स्थापित नही किया गया। इसके अतिरिक्त यदि वहाँ की जनता रोटी-कपड़े की माँग करती है तो उसका दमन किया जाता है।

जहाँ तक विद्युत उत्पादन का प्रश्न है, मनीपुर में उसके लिये पर्याप्त क्षमता है किन्तु उसके संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। तमेंगलोंग क्षेत्र में 1970–71 में विद्युतीकरण के लिये 3.3 लाख रुपये खर्च किये गये। इससे विदित होता है कि वहाँ के लिये बहुत ही कम राशि खर्च की गई है।

सचार की स्थिति और भी दयनीय है। मनीपुर की जनता इम्फाल के तेमेंगलोंग, पल्लेल चंडेल सड़क, म्फाल के उकुरल आदि सड़कों के निर्माण और सुधार के बारे में माँग करती रही है। सीमा क्षेत्रों की सड़कों के सुधार की भी बहुत आवश्यकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में इस सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। वित्त मंत्री महोदय सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं किन्तु उसके लिये कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण करना तथा सुधार करना आवश्यक है।

कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिये। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बहुत कम है अतः वहाँ सीढ़ीदार खेती को बड़े पैमाने पर आरम्भ करना चाहिये। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोकने के लिये किसानों को अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिये। मनीपुर के लिये आलू विकास कार्यक्रम के बारे में विशेष प्रचार किया गया था किन्तु कोई नहीं जानता कि उसमें आगे क्या प्रगति हुई।

फलोधान-नर्सरी और काजू वृक्ष रोपण के विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी। भारत में कच्चे काजू की 70 प्रतिशत कमी है जिसके परिणामस्वरूप केरल में बहुत से कारखाने बन्द पड़े हैं। यदि सरकार मनीपुर में काजू उत्पादन आरम्भ करती है तो यह प्रशंसनीय कार्य होगा तथों इससे इस क्षेत्र में विद्यमान एकाधिकार भी समाप्त हो जायेगा।

मनीपुर में मुर्गी पालन, सूअर पालन और पशु पालन के उद्योगों के लिये पर्याप्त क्षमता है किन्तु सरकार ने योजना बनाते समय इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्ष 1970–71 में मनीपुर के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में दो पशु चिकित्सा अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु कोई नहीं जानता कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ।

चौथी योजना का अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि उसमें "बड़े और मध्य स्तर के सिचाई कार्यक्रम" शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित इंदराज हैं। चालू योजनाएं--शून्य, नई योजनाएं--शून्य जाँच अनुसंधान और प्रकीर्ण मद–0.10 करोड़ रुपये केवल। इन आँकड़ों से मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मनीपुर में विकास कार्यों पर बल दिया जाने की अपेक्षा पुलिस प्रशासन पर बल दिया गया है।

भारत में आदिवासी सम्बन्धी समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या है तथापि सरकार ने उस पर कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया। आदिवासियों की सर्वदा घोर उपेक्षा की जाती रही

है, अंग्रेजी शासन से लेकर कांग्रेस राज तक। पिछले दिन मनीपुर के आदिवासियों के एक वर्ग ने ज्ञापन दिया था जिसमें यह शिकायत की गई है कि चोंगयू लोगों को अनुसूचित जन जाति नहीं माना गया है। समझ में नहीं आता कि सरकार को उन्हें अनुसूचित जन जाति मानने में क्या कठिनाई है। उन्हें यह मान्यता प्राप्त न होने के कारण इस सम्बन्ध में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है।

मनीपुर के आदिवासी चाहते हैं कि उन्हें मनीपुर राज्य के अन्दर क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जाये। भौगोलिक परिस्थिति भी इसके अनुकूल है। प्रशासनिक सुधार समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि वहाँ अनुसूचित क्षेत्र की स्थापना की जाये जिससे वे लोग अपना विकास कार्य कर सकें। मालूम नहीं सरकार ने इस सिफारिश को क्यों नहीं स्वीकार किया।

आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिये तथा उन्हें अन्य जातियों और प्रभावपूर्ण लोगों के चंगुल से बचाने के लिये यह अनिवार्य है कि उन लोगों को स्वायत्तता प्रदान की जाये। इन लोगों का शोषण किया गया है। किन्तु मैं समझता हूँ कि पिछड़े लोगों का उत्थान नहीं होने दिया जायेगा तथा निहित स्वार्थ अपने स्वार्थों का त्याग आसानी से नहीं करेंगे।

भाषा के आधार पर जब किसी राज्य की माँग की जाती है तो सरकार इसे वहाँ की जनता का प्रजातंत्रीय अधिकार समझाती है, किन्तु जब गरीब आदिवासी यही माँग करते हैं तो उन्हें पृथकतावादी की संज्ञा दी जाती है। मेरा निवेदन है कि आदिवासी भारत से अलग नहीं होना चाहते बल्कि वे चाहते हैं कि उनके भी अधिकार हों तथा उनका भी समाज में कोई स्थान हो। यह माँग न्यायोचित है अतः सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये जिससे उन्हें निम्नतम स्वायत्तता मिल सके तथा वे लोग अपना विकास कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि सरकार इसी सत्र में एक विधेयक लाये जिसमें मनीपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की व्यवस्था हो। उसके अन्तर्गत क्षेत्रीय समिति की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिये।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मनीपुर) : सभापति महोदय ! मुझे प्रसन्नता है कि मुझे मनीपुर बजट पर बोलने का अवसर दिया गया है। एक माननीय मित्र ने मनीपुर की तथा वहाँ के आदिवासियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। यह सच है कि सरकार ने उन समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है।

सदन को ज्ञात है कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग पिछले 20 वर्षों से की जा रही है। वहाँ की जनता की धारणा है कि हम जो भी माँग करते आ रहे हैं उसको पूरा नहीं किया गया।

यह बड़े दुःख की बात है कि इस बजट पर पुनः इस सदन में चर्चा की जा रही है और इसका कारण यह है कि वहाँ पर विधान सभा नहीं है। मनीपुर की समस्याओं पर इस सदन में विचार-विमर्श किये जाने से वहाँ की समस्याएँ हल हो सकेंगी। इस दृष्टि से तो यह बात अच्छी है किन्तु इससे बेहतर यह होगा कि वहाँ की जनता को ही अपनी समस्याओं को अपने ढंग से सुलझाने का अवसर दिया जाये तथा इस सदन का मूल्यवान समय इन बातों पर खर्च नहीं किया जाये।

सदन को ज्ञात है कि मनीपुर का क्षेत्रफल 9000 वर्ग मील है तथा उसमें से मैदानी भाग

का क्षेत्रफल 700 वर्ग मील है तथा शेष भाग पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ के आदिवासी लोगों के लिये स्कूल, पेय जल, डाक सुविधाएं, सड़क और संचार आदि की आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। शिक्षा सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं। लोगों में स्कूल आदि खोलने का बड़ा उत्साह है जिससे वे अपना विकास कर सकें तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम कर सकें किन्तु उनको हतोत्साह किया जाता है। इसका कारण धन का अभाव हो सकता है और सरकार को उनकी वित्तीय सहायता करनी चाहिये। किन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पेय जल की भी बड़ी समस्या है। उस क्षेत्र में केवल पाइपों द्वारा ही पानी की सप्लाई की जा सकती है किन्तु सरकार ने वहाँ पर यह प्रणाली अभी तक आरम्भ नहीं की। इस कारण वहाँ की जनता को बड़ी कठिनाई होती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों तथा संचार व्यवस्था का बड़ा महत्व होता है। किन्तु उस क्षेत्र में यह व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये मनीपुर की सड़कों का सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये।

पहले मनीपुर केवल एक जिला था। हाल ही में उसे पाँच जिलों में विभक्त किया गया है। अब उनके कई जिले बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं है। बताया गया है कि यह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया है। किन्तु मेरे विचार से प्रशासन में कोई सुविधा नहीं हुई है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों को अभी भी मध्यवर्ती घाटी में सम्मिलित किया गया है जिससे वहाँ की जनता को कठिनाई हो रही है।

वर्तमान पाँच जिलों के कारण उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिये कम से कम दो और जिले, सदर हिल्स और टेंग्नोपल, सम्मिलित किये जायें। आबादी, क्षेत्र और सड़कों के विकास की दृष्टि से इसकी बहुत आवश्यकता है। इस कार्य में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होगी तथा मनीपुर की पूरी जनता की कठिनाइयाँ भी दूर हो सकेंगी।

एक परिवर्तन यह भी किया गया है कि पहले यहाँ का प्रशासक मुख्य आयुक्त था और अब उप-राज्यपाल है। इन परिवर्तनों के बावजूद हमारी आकाँक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। यह तभी सम्भव है जब वहाँ की जनता को, मनीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने की न्यायोचित माँग पूरी कर दी जाय।

चौंग्थू लोगों को अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दिये जाने की माँग के सम्बन्ध में मेरा कोई विरोध नहीं है किन्तु मेरे विचार से यह नीति उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार की मान्यता से वहाँ के विभिन्न आदिवासियों में एकता नहीं लाई जा सकती। इस प्रक्रिया से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका सरकार समाधान नहीं कर सकती। मेरी माँग है कि इन आदिवासी वर्गों को अलग अलग मान्यता देने की अपेक्षा सभी आदिवासियों को एक नाम के अन्तर्गत मान्यता दी जाय। इनका पुराना नाम हुकी है तथा इसी एक नाम के अन्तर्गत उन सभी को यह मान्यता दे देनी चाहिये।

अंत में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक विधेयक लाये जिसके द्वारा विद्यमान क्षेत्रीय, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके तथा हमारा समाजवाद का वायदा पूरा हो सके।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें आशा थी कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया होगा। भारतीय साम्यवादी दल का प्रतिनिधि-मण्डल, जिसके नेता मनीपुर के थे, प्रधान मंत्री से मिला था तथा हम भी प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु बड़े खेद की बात है कि सरकार ने अभी तक वहाँ चुनाव नहीं कराये। मनीपुर की जनता ने जब भी यह माँग की है उसको निर्दयतापूर्वक पीटा गया है तथा जेलों में भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि मनीपुर के प्रत्येक व्यक्ति की यह माँग है कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाये तथा उसके लिये वह संघर्ष करने को तत्पर हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि केन्द्र सरकार को अन्ततोगत्वा उनकी यह माँग पूरी करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों को जब राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो मनीपुर को भी दिया जाना चाहिये।

सदन के सभी दलों ने एकमत से इस बात का समर्थन किया है कि मनीपुर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये। माननीय मित्र श्री दशरथ देव ने वहाँ की दयनीय स्थिति का पूरा चित्र खींचा है। सरकार ने वहाँ कुछ नहीं किया। संसद-सदस्यों के एक शिष्ट मण्डल ने मनीपुर का दौरा किया तथा वह वहाँ की एकता, संस्कृति तथा उनके प्रति दिखाये गये आदर भाव से बड़ा प्रभावित हुआ। मनीपुरी संस्कृति, मनीपुरी नृत्य अत्यंत प्रशंसनीय है तथा उनमें एक अद्भुत आकर्षण है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते है।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 11 जून, 1971/21 ज्येष्ठ, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, June 11, 1971 Jyaistha 21 1893. (Saka).

Printed at Law Publishing House, Allahabad.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/Engiish translation of speeches etc. in English/Hindi.]